



Rubber Board Ann Rep. 2003-04




संस्कृत विद्यापीठ
State of India
Gwalior University

बंकिम सं./Acc. No: 23778
दिनांक/Date: 27/3/19
आचार्य/Initials: VS





Rubber Research Institute of India



NRETC Complex Agartala



Training



14/6/03

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2003-2004



रबर बोर्ड
THE RUBBER BOARD



वार्षिक रिपोर्ट
2003-2004



रबर बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

संस्थान
of India
Y

संस्थान सं. No: 23778J
दिनांक/LOG: 27/3/08
आवक/Initials

संस्थान सं. सं. सं. सं.

1995-2005



संस्थान सं. सं. सं. सं.

अनुक्रमणिका

भाग I	प्रस्तावना	1 - 3
भाग II	रचना और कार्य	4 - 5
भाग III	रबड़ उत्पादन	6 - 13
भाग IV	प्रशासन	14 - 20
	स्थापना	
	विपणन	
	श्रमिक कल्याण	
	विधिक	
	हिंदी	
	प्रचार एवं जन-संपर्क	
	सतर्कता	
भाग V	रबड़ अनुसंधान	21 - 26
भाग VI	प्रक्रमण एवं उपज विकास	27 - 29
भाग VII	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	30 - 32
भाग VIII	वित्त एवं लेखा	33 - 34
भाग IX	अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क	35 - 39
भाग X	सांख्यिकी एवं योजना	40 - 41
भाग XI	सांख्यिकीय सारणियाँ	42 - 44
	बोर्ड के सदस्यों की सूची	45 - 47



प्रस्तावना

भारत सरकार ने रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन देश में रबड़ खेती उद्योग के विकास के प्राथमिक लक्ष्य से कोरपोरेट निकाय के तौर पर रबड़ बोर्ड को गठन की। **हीविवा ब्रासीलियनसिस** द्वारा उत्पादित लाटेक्स से संसार के सर्वाधिक बहु उपयोगी कच्चे माल के रूप में जाननेवाला स्वाभाविक रबड़ प्राप्त होता है। इस कच्चे माल का उपयोग भारत में करीब 35000 उत्पादों के निर्माण में किया जाता है तथा राष्ट्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में इसकी अपार देन है। बोर्ड ने विकास एवं विस्तार की एक सख्त श्रृंखला की संस्थापना की तथा जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के क्षेत्रों में याने रबड़ बागान क्षेत्र के सभी स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। साथ ही साथ अनुसंधान को इसका प्रणोद क्षेत्र माना तथा रबड़ के जैविकीय एवं प्रौद्योगिकीय सुधार हेतु अनुसंधान चलाने के लक्ष्य से बोर्ड ने 1955 में भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान (भा.र.ग.सं.) की संस्थापना की।

बोर्ड इसके प्रारंभ से ही रबड़ की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन देता आ रहा है। छठी योजना अवधि से रबड़ के नवरोपण एवं पुनरोपण प्रोत्साहित करने के लिए रबड़ बागान विकास योजना नामक रबड़ बागान हेतु एक एकीकृत योजना प्रचलित है तथा विश्व बैंक द्वारा इसे सर्वाधिक सफल योजनाओं में एक माना है। इसके अलावा उत्पादकता में वृद्धि लाने, वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयासों से गुणवत्ता में सुधार लाने, कृषकों के मूल स्तरीय संगठन बनाने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा रबड़ खेती द्वारा स्थायी विकास सुनिश्चित करने में उन्हें सशक्त करने के लिए कृषकों को विकास एवं विस्तार समर्थन दिया जाता है। गैर-पारंपरिक क्षेत्र विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में रबड़ बागानों की वृद्धि दर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जहाँ एकीकृत

दृष्टिकोण स्वीकृत करके रबड़ विकास कार्य चलाये गये थे। उत्तर-पूर्व एवं उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व केरल जैसे अन्य राज्यों के आदिवासी परिवर्तन कृषकों के लिए कार्यान्वित रबड़ आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रमों का विशेष जिक्र करना अति आवश्यक है जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास/परिस्थिति को बनाये रखना सुनिश्चित करते भी है।

रबड़ उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देकर, दक्षता में वृद्धि एवं अवसरचना विकास हेतु सहायता प्रदान कर स्वाभाविक रबड़ के विभिन्न उपयोगों तथा अपारंपरिक उपयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड अन्य कई उपाय भी अपनाते आ रहा है।

विश्व के सर्वाधिक फसल देनेवाले क्लोनों में एक एवं लोकप्रिय क्लोन आर आर आई आई 105 का प्रजनन एवं निर्मुक्त करना भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान की उल्लेखनीय देन है। भारतीय रबड़ गवेषण

संस्थान द्वारा प्रति हेक्टेयर 2500 कि.ग्रा. से अधिक संभाव्य उपजवाली आर आर आई आई 400 श्रेणी की 4 उपजातियाँ निर्मुक्त की गयीं। **हीविवा** की विभिन्न कृषि प्रणालियों पर कृषि प्रौद्योगिकियों भी भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान ने विकसित की हैं। संस्थान ने रबड़ संसाधन को सुधारने तथा कृत्रिम रबड़ का प्रभावी रूप से प्रतिस्थापन करने लायक विशेष रबड़ विकसित करने में भी उल्लेखनीय देन दी है। प्रक्रमण फैक्टरियों में प्रदूषण रोकने हेतु विशेष परिस्थिति सुरक्षा प्रणालियों, प्रक्रमण में ऊर्जा बचाने की विधि, रबड़ काष्ठ के प्रक्रमण, सहायक आय पैदा करने के कार्यकलाप एवं रबड़ आधारित फसल प्रणालियों पर अनुसंधान के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।



वर्ष 2003-04 के दौरान निष्पादन

उत्पादन क्षेत्र

वर्ष 2003-04 के दौरान भारतीय रबड़ बागान उद्योग ने लंबी अवधि की सुस्ती से उभरकर उत्पादन एवं उत्पादकता में प्रशंसनीय वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2001-2002 की 0.2 प्रतिशत वृद्धि दर एवं 2002-03 की 2.9 प्रतिशत वृद्धि दर के विरुद्ध 2003-04 के दौरान स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन में हुई वृद्धि की दर 9.6 प्रतिशत थी जो पिछले दशक की सर्वोच्च वृद्धि दर है। वर्ष 2003-04 के दौरान

वाहन टायर निर्माण क्षेत्र की उपभोग वृद्धि वर्ष 2002-03 की 16 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2003-04 में 7.1 प्रतिशत रही। लेकिन सामान्य रबड़ माल विनिर्माण क्षेत्र में स्वाभाविक रबड़ की मांग वृद्धि दर वर्ष 2002-03 की 2.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2003-04 में 0.3 प्रतिशत की कमी दिखायी।

वर्ष 2003-04 तथा उसके एकदम पूर्व के दो वर्षों के स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन, उपभोग और वृद्धि दर इस प्रकार हैं-

वर्ष	उत्पादन (मेट्रिक टन में)	वृद्धि दर	उपभोग (मेट्रिक टन में)	वृद्धि दर
2001-02	6,31,400	0.2%	6,38,210	1.1%
2002-03	6,49,435	2.9%	6,95,425	9%
2003-04	7,11,650	9.6%	7,19,600	3.5%

देश का स्वाभाविक रबड़ उत्पादन 711,650 टन रहा जबकि वर्ष 2002-03 में यह 649,435 टन रहा। स्वाभाविक रबड़ के सुधरे हुए भाव एवं अनुकूल मौसमिक स्थिति मिलकर वर्ष 2003-04 के उत्पादन में भारी वृद्धि का कारण बना। वर्ष के दौरान उत्पादन वृद्धि को अन्य मुख्य कारणों में स्वाभाविक रबड़ बागानों के टाप किये क्षेत्र की वृद्धि एवं कृषि प्रबंधन प्रणालियों का अपनाता रहा। परिणामस्वरूप वर्ष 2003-04 के दौरान स्वाभाविक रबड़ की उत्पादकता जिसका आकलन प्रति हेक्टेयर औसतन उपज के आधार पर किया जाता है, वर्ष 2002-03 की 1592 कि ग्रा से बढ़कर 1663 कि ग्रा हो गयी जो विश्व में सर्वाधिक है।

उपभोग क्षेत्र

देश में स्वाभाविक रबड़ की मांग में वृद्धि वर्ष 2003-04 के दौरान जारी रही जो 3.5 प्रतिशत रही। रबड़ उपज विनिर्माण उद्योग द्वारा स्वाभाविक रबड़ का कुल उपभोग वर्ष 2003-04 के दौरान 719,600 टन रहा जबकि यह वर्ष 2002-03 में 695,425 टन रहा। उपभोग में प्रबल

स्वाभाविक रबड़ के आयात एवं निर्यात

एकत्रित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-04 के आयात वर्ष 2002-03 के 26217 टन से उछलकर 44,199 टन हो गया। वर्ष 2003-04 के दौरान स्वाभाविक रबड़ के आयात की ओर हुई मुख्य घटना भारत सरकार को आयात नीति में परिवर्तन रहा जिसके तहत अग्रिम अनुज्ञा योजना के अधीन आयात पर रोक हटा दी गयी। सरकार ने जुलाई 2003 में स्वाभाविक रबड़ को शुल्क रहित आयात सुविधा पुनः स्थापित कर दी तथा आगे 9 जनवरी 2004 को स्वाभाविक रबड़ पर मूल सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया और 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया।

देश से स्वाभाविक रबड़ के निर्यात में भारी वृद्धि हुई तथा वर्ष 2001-02 के 6,995 टन और वर्ष 2002-03 के 55,311 टन के निर्यात से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 75,905 टन हो गया। निर्यात में इस उछाल के मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निर्यात संबंधन उपाय एवं जून 2003 से अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में कायम स्वाभाविक रबड़ के तुलनात्मक उच्चतर भाव है।



स्वाभाविक रबड़ का भाव

देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में वर्ष 2003-04 के दौरान स्वाभाविक रबड़ के भाव पर्याप्त रूप से उच्च रहें। देशी बाजार में भावों में वृद्धि का कारण स्वाभाविक रबड़ का निर्यात रहा। आर एस एस 4 श्रेणी के शीट रबड़ के वर्ष 2003-04 का औसतन भाव प्रति क्विंटल 5,040 रु. रहा जबकि यह वर्ष 2002-03 के दौरान 3919 रु. प्रति क्विंटल रहा। आर एस एस 4 श्रेणी के रबड़ शीट हेतु प्राप्त सर्वाधिक भाव 25 फरवरी 2004 का 5650 रु. प्रति 100 कि.ग्रा. था जो पिछले 7 वर्षों का सर्वाधिक है। अप्रैल से जून 2003 तक की अवधि के दौरान आर एस एस 4 श्रेणी के रबड़ का भारतीय भाव समान श्रेणी के आर एस एस 3 के अन्तर्राष्ट्रीय भावों से अधिक रहा तथा जुलाई 2003 से लेकर भारतीय भाव अन्तर्राष्ट्रीय भावों से कम रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी स्वाभाविक रबड़ के भाव वर्ष 2003-04 के दौरान उच्चतर रहे। भारतीय आर एस एस 4 श्रेणी के रबड़ के समतुल्य माने जानेवाले आर एस एस

3 श्रेणी के रबड़ का बैंकोक बाजार भाव अक्टूबर 2003 के दौरान भारी रूप से बढ़ गया। 4 नवंबर 2003 को 6633 रु. प्रति 100 कि.ग्रा. का सर्वाधिक भाव दर्ज किया गया। आर एस एस 3 श्रेणी के रबड़ के 2003-04 का वार्षिक औसतन भाव 5278 रु. प्रति 100 कि.ग्रा. रहा। अन्तर्राष्ट्रीय भावों में वृद्धि का कारण स्टोक निशेषण और जिसके परिणाम स्वरूप हुए स्टोक असंतुलन रहा। स्वाभाविक रबड़ के निर्यात करने वाले प्रमुख एशियाई देशों की मुद्राओं के विरुद्ध अमरीकी डॉलर के मूल्य में हुए हास ने भी भावों को बढ़ा दिया।

पिछले तीन वर्ष के आर एस एस 4 श्रेणी के रबड़ के औसतन भाव इस प्रकार थे।

वर्ष	भाव (प्रति क्विंटल)
2001-02	3,228/- रु
2002-03	3,919/- रु
2003-04	5,040/- रु



भाग II

रचना एवं कार्य

बोर्ड की रचना

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 4(3) के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष।

ख) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य होंगे, जिनमें एक रबड़ उत्पादनरहित का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा।

ग) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 सदस्य होंगे, जिनमें छः रबड़ उत्पादनरहित का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन व्यक्तियों में तीन छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यों को मनोनीत करेंगे जिनमें से दो विनिर्माताओं एवं चार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ङ) संसद के तीन सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा द्वारा दो सदस्यों को और राज्य सभा द्वारा एक सदस्य को चुन लिये जाएंगे।

च) कार्यपालक निदेशक (पदेन); और

छ) रबड़ उत्पादन आयुक्त (पदेन)।

कार्यपालक निदेशक का पद अभी तक नहीं भरा गया है।

31.3.2004 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की सूची रिपोर्ट के अंत में दी गयी है।

बोर्ड के प्रकार्य

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8 में बताए गए बोर्ड के प्रकार्य हैं:-

(1) रबड़ उद्योग के विकास जैसे उचित समझता है वैसे उपायों से प्रोत्साहित करना

(2) इस के लिए इन उपायों का प्रबंध करना है-

क) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान चलाना, सहायता देना या प्रोत्साहित करना;

ख) छात्रों को रोपण, कृषि, खाद देने एवं छिड़काव की उन्नत रीतियों का प्रशिक्षण देना;

ग) रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह प्रदत्त करना;

घ) रबड़ विपणन का सुधार;

ङ) एस्टेट मालिकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं से सांख्यिकी का एकत्रण करना;

च) श्रमिकों को काम करने हेतु बेहतर सुविधा व व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा उनकी सुख सुविधाओं व प्रोत्साहनों का सुधार करना; और

छ) अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत बोर्ड के अधिकार में दिये गए किसी भी अन्य कार्यों का निर्वहण करना।

(3) बोर्ड का यह भी कार्य होगा

क) रबड़ के आयात और निर्यात सहित रबड़ उद्योग के विकास से संबंधित सारे मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;

ख) रबड़ से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना;

ग) इस अधिनियम के कार्यों एवं बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्र सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को



जैसा निर्धारित हो, अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

घ) समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार रबड़ उद्योग से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना और उसे पेश करना;

रबड़ अधिनियम की धारा 8 में कथितानुसार बोर्ड के कार्यकलापों व उसी तरह प्रकार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा हेतु सात समितियाँ गठित की गई हैं। ये हैं:- कार्यकारिणी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, विपणन विकास समिति, रोपण समिति, सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति, श्रमिक कल्याण समिति और कर्मचारी कार्य समिति।

अन्य हितों के प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री एट्टुमानूर वी राधाकृष्णन जो 30.11.2002 से 21.8.2003 तक की अवधि तक बोर्ड के उपाध्यक्ष के पदभार संभाल रहे थे उन्हें पुनःगठित बोर्ड ने 31.10.2003 को एक वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में पुनः चुन लिया गया।

श्री एस.एम.डसलफिन भा.प्र.से. वर्ष 2003-04 के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जारी रहे।

संगठनात्मक रचना

रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का आठ विभागों द्वारा याने रबड़ उत्पादन, प्रशासन, रबड़ अनुसंधान, प्रक्रमण एवं उपज विकास, प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श, वित्त एवं लेखा, सांख्यिकी एवं योजना और अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क निष्पादन किया जाता है। इन विभागों के मुख्य क्रमशः रबड़ उत्पादन आयुक्त, सचिव, निदेशक (अनुसंधान), निदेशक (प्र व उ वि), निदेशक (प्र व त प), निदेशक (वित्त), संयुक्त निदेशक (सां व यो) और निदेशक (अनु व उ शु) हैं। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सचिव के पद रिक्त रहने के कारण निदेशक (अनु व उ शु) ने सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

बोर्ड के प्रशासन, रबड़ उत्पादन, सांख्यिकी व योजना, अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क और वित्त एवं लेखा विभाग, कोषकुत्रु, कोट्टयम - 686 002 के अपने ही कार्यालय भवन में स्थित हैं। अनुसंधान विभाग, प्रक्रमण व उपज विकास विभाग और प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श विभाग भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान परिसर, कोट्टयम-686 009 में स्थित हैं।

अनुज्ञापन और उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन नौ उप/संपक कार्यालय हैं। देश के विभिन्न रबड़ उत्पादित क्षेत्रों में रबड़ उत्पादन विभाग के 4 आंचलिक कार्यालय, 2 न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 42 प्रादेशिक कार्यालय, 167 क्षेत्रीय स्टेशन, दो जिला विकास केन्द्र सहित 13 प्रादेशिक पौधशालाएँ, एक केन्द्रीय पौधशाला और 19 टापेस प्रशिक्षण स्कूल स्थित हैं।

अनुसंधान विभाग केरल में दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में एक-एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र चलाता है। कोट्टयम स्थित पयलट ब्लॉक रबड़ फैक्टरी, चेतकल के केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में स्थित पयलट लैटेक्स संसाधन फैक्टरी और कोट्टयम में प्राकृतिक रबड़ के रेडियेशन वलकनीकरण के लिए एक पयलट प्लांट का संचालन रबड़ प्रक्रमण एवं उपज विकास विभाग द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना के अधीन संस्थापित आदर्श टी एस आर फैक्टरी का भी संचालन प्रक्रमण एवं उपज विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

बोर्ड के सारे विभागों एवं कार्यालयों पर अध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण होता है। 31.3.2004 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कुल संख्या 2054 थी, जिनमें क वर्ग के 315 अधिकारी, ख वर्ग के 605 अधिकारी, ग वर्ग के 940 और घ वर्ग के 194 कर्मचारी सम्मिलित हैं। कार्यकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध रहा। उनके अच्छे कार्य बोर्ड को आगे बढ़ने में सहायक रहे।

आगे के पृष्ठों में विभिन्न विभागों के कार्यकलापों के संक्षिप्त विवरण दिये गये हैं।



भाग III

रबड़ उत्पादन

रबड़ खेती, स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन को प्रोत्साहित करनेवाली योजनाओं का रूपायन एवं कार्यान्वयन, प्राथमिक प्रक्रमण को समर्थन एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने की योजनाओं के रूपायन एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व रबड़ उत्पादन विभाग को है। वर्ष 2003-04 के दौरान रूपायित एवं कार्यान्वित मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं।

1. रबड़ बागान विकास योजना।
2. ब्लॉक रोपण, ग्रूप रोपण योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच रबड़ खेती का संवर्द्धन।
3. वैज्ञानिक रोपण और उत्पादन के लिए कृषकों को सलाहकारी और विस्तार सेवाएं।
4. उत्पादन एवं प्रक्रमण सुधार लोकप्रिय बनाने हेतु बागवानी चौझों की पूर्ति।
5. छोटे कृषकों के उत्पादों के प्राथमिक संसाधन एवं गुणता सुधार की योजना।
6. छोटे रबड़ कृषकों के बीच सामाजिक कार्यकलाप, स्वयं सहायक ग्रुपों का प्रोत्साहन।
7. रबड़ टापरों एवं कृषकों को आय सृजन हेतु प्रशिक्षण।

बोर्ड ने पारंपरिक/अपारंपरिक क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अलग से विभिन्न रबड़ विकास योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा।

रबड़ बागान विकास योजना

पारंपरिक क्षेत्र/उत्तरपूर्व को छोड़कर अन्य अपारंपरिक क्षेत्र में रबड़ बागान विकास योजना

रबड़ बागान विकास योजना द्वारा नवरोपण एवं पुनरोपण हेतु मुफ्त तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2003-04 का रोपण लक्ष्य 5200 हे. रहा

जिसके विरुद्ध रोपित क्षेत्र 4849 हे. है। पारंपरिक क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर अन्य अपारंपरिक क्षेत्र में रबड़ बागान विकास योजना के अधीन 2003-04 के दौरान का लक्ष्य एवं निष्पादन का विवरण इस प्रकार है:-

इसके अलावा पिछले वर्ष 1588 हे. में रोपण के लिए प्राप्त 2572 अनुज्ञाएं भी इस वर्ष के दौरान जारी कीं।

2003-04 रोपण

रोपण वर्ग	लक्ष्य	जारी अनुज्ञाओं की संख्या	उपलब्धि (हे.में)
पुनरोपण	4200	4547	3591
नवरोपण	1000	2453	1258
योग	5200	7000	4849

पिछले वर्ष के बकाया भुगतान सहित वर्ष 2003-04 के दौरान पारंपरिक एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर बाकी गैर पारंपरिक क्षेत्र में प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता 8,32,31,283 रु. थी।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ब्लॉक रोपण परियोजना

इस परियोजना का कार्यान्वयन बोर्ड और केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा एकीकृत नीति स्वीकृत करते हुए किया जाता है जो आदिवासी/अनुसूचित वर्ग के समग्र विकास पर लक्षित है। संबंधित राज्य सरकार परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करती है। योजना के अधीन राज्यवार हासिल उपलब्धि आगे दी गयी है।



राज्य	वर्ष 2003-04 के दौरान योजना के अधीन लाये गये क्षेत्र (क्षेत्र हे.में)	वर्ष 2003-04 के दौरान लाभान्वितों की संख्या	2003-04 तक संचित योग (क्षेत्र हे.में)	2003-04 तक लाभान्वितों की संचित संख्या
उड़ीसा	शून्य	शून्य	225	328
आन्ध्र प्रदेश	16	7	98	70
कर्नाटक	शून्य	शून्य	250	418
केरल	शून्य	शून्य	2,063	5,971
त्रिपुरा	107	109	2,764	2,362
योग	123	116	5,399	9,149

रबड़ बागान बीमा

बोर्ड की रबड़ बागान विकास योजना के अधीन के सभी अपक्व बागानों और 22 वर्ष की आयु तक के परिपक्व बागानों की स्वेच्छिक आधार पर इस योजना के अन्तर्गत बीमा की जाती है। रबड़ रोपण विकास योजना से बाहर के अपक्व बागानों की बीमा कृषकों के हितानुसार वैकल्पिक है। बीमा किये गये बागानों और क्षतिपूर्ति के तौर पर दो गई रकम का विवरण नीचे दिया जाता है।

मद	31/03/2003 तक संचित योग	01/04/2003 से 31/03/2004 तक उपलब्धि	संचित योग
बीमाकृत अपक्व क्षेत्र (हे.)	95,954.97	4,891.54	1,00,846.51
जोतों की संख्या	1,44,079.00	6,870.00	1,50,949.00
बीमाकृत पक्व क्षेत्र (हे.)	11,721.12	1,068.21	12,789.33
जोतों की संख्या	6,148.00	456.00	6,604.00
दी गयी क्षतिपूर्ति (रु.लाखों में)	227.61	47.39	275.00
लाभान्वितों की संख्या	6,131.00	798.00	6,929.00

फलीदार छादन फसल बीजों का वितरण

इस योजना का रूपायन एवं कार्यान्वयन क्षेत्रों में फलीदार छादन फसल लगाने के लिए मांग के आधार पर प्यूरिया

एवं म्यूकुणा बीज उपलब्ध कराने हेतु विस्तार स्कंध द्वारा किया जाता है। योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियों निम्न में दिए गए हैं।

मद	01/04/03 के 2003-04 के अनुसार स्टोक (कि.ग्रा.)	01/04/03 से दौरान खरीद का परिमाण (कि.ग्रा.)	31/03/04 तक वितरण (कि.ग्रा.)
फलीदार छादन फसल बीज (प्यूरिया)			
पारंपरिक क्षेत्र में वितरण	17,500	346,000	38,000
फलीदार छादन फसल बीज (म्यूकुणा)			
पारंपरिक क्षेत्र में वितरण	33,750	509,000	471,350



भाग III

रबड़ उत्पादन

रबड़ खेती, स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन को प्रोत्साहित करनेवाली योजनाओं का रूपायन एवं कार्यान्वयन, प्राथमिक प्रक्रमण को समर्थन एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने की योजनाओं के रूपायन एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व रबड़ उत्पादन विभाग को है। वर्ष 2003-04 के दौरान रूपायित एवं कार्यान्वित मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं।

1. रबड़ बागान विकास योजना।
2. ब्लॉक रोपण, ग्रुप रोपण योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच रबड़ खेती का संवर्द्धन।
3. वैज्ञानिक रोपण और उत्पादन के लिए कृषकों को सलाहकारी और विस्तार सेवाएं।
4. उत्पादन एवं प्रक्रमण सुधार लोकप्रिय बनाने हेतु बागवानी चौझों की पूर्ति।
5. छोटे कृषकों के उत्पादों के प्राथमिक संसाधन एवं गुणता सुधार की योजना।
6. छोटे रबड़ कृषकों के बीच सामाजिक कार्यकलाप, स्वयं सहायक ग्रुपों का प्रोत्साहन।
7. रबड़ टापरों एवं कृषकों को आय सृजन हेतु प्रशिक्षण।

बोर्ड ने पारंपरिक/अपारंपरिक क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अलग से विभिन्न रबड़ विकास योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा।

रबड़ बागान विकास योजना

पारंपरिक क्षेत्र/उत्तरपूर्व को छोड़कर अन्य अपारंपरिक क्षेत्र में रबड़ बागान विकास योजना

रबड़ बागान विकास योजना द्वारा नवरोपण एवं पुनरोपण हेतु मुफ्त तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2003-04 का रोपण लक्ष्य 5200 हे. रहा।

जिसके विरुद्ध रोपित क्षेत्र 4849 हे. है। पारंपरिक क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर अन्य अपारंपरिक क्षेत्र में रबड़ बागान विकास योजना के अधीन 2003-04 के दौरान का लक्ष्य एवं निष्पादन का विवरण इस प्रकार है:-

इसके अलावा पिछले वर्ष 1588 हे. में रोपण के लिए प्राप्त 2572 अनुज्ञाएं भी इस वर्ष के दौरान जारी कीं।

2003-04 रोपण

रोपण वर्ग	लक्ष्य	जारी अनुज्ञाओं की संख्या	उपलब्धि (हे.में)
पुनरोपण	4200	4547	3591
नवरोपण	1000	2453	1258
योग	5200	7000	4849

पिछले वर्ष के बकाया भुगतान सहित वर्ष 2003-04 के दौरान पारंपरिक एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर बाकी गैर पारंपरिक क्षेत्र में प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता 8,32,31,283 रु. थी।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ब्लॉक रोपण परियोजना

इस परियोजना का कार्यान्वयन बोर्ड और केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं कनाटक राज्य सरकारों द्वारा एकीकृत नीति स्वीकृत करते हुए किया जाता है जो आदिवासी/अनुसूचित वर्ग के समग्र विकास पर लक्षित है। संबंधित राज्य सरकार परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करती है। योजना के अधीन राज्यवार हासिल उपलब्धि आगे दी गयी है।



राज्य	वर्ष 2003-04 के दौरान योजना के अधीन लाये गये क्षेत्र (क्षेत्र हे.में)	वर्ष 2003-04 के दौरान लाभान्वितों की संख्या	2003-04 तक संचित योग (क्षेत्र हे.में)	2003-04 तक लाभान्वितों की संचित संख्या
उड़ीसा	शून्य	शून्य	225	328
आन्ध्र प्रदेश	16	7	98	70
कर्नाटक	शून्य	शून्य	250	418
केरल	शून्य	शून्य	2,063	5,971
त्रिपुरा	107	109	2,764	2,362
योग	123	116	5,399	9,149

रबड़ बागान बीमा

बोर्ड की रबड़ बागान विकास योजना के अधीन के सभी अपक्व बागानों और 22 वर्ष की आयु तक के परिपक्व बागानों की स्वेच्छिक आधार पर इस योजना के अन्तर्गत

बीमा की जाती है। रबड़ रोपण विकास योजना से बाहर के अपक्व बागानों की बीमा कृषकों के हितानुसार वैकल्पिक है। बीमा किये गये बागानों और क्षतिपूर्ति के तौर पर दी गई रकम का विवरण नीचे दिया जाता है।

मद	31/03/2003 तक संचित योग	01/04/2003 से 31/03/2004 तक उपलब्धि	संचित योग
बीमाकृत अपक्व क्षेत्र (हे.)	95,954.97	4,891.54	1,00,846.51
जोतों की संख्या	1,44,079.00	6,870.00	1,50,949.00
बीमाकृत पक्व क्षेत्र (हे.)	11,721.12	1,068.21	12,789.33
जोतों की संख्या	6,148.00	456.00	6,604.00
दी गयी क्षतिपूर्ति (रु.लाखों में)	227.61	47.39	275.00
लाभान्वितों की संख्या	6,131.00	798.00	6,929.00

फलीदार छादन फसल बीजों का वितरण

इस योजना का रूपायन एवं कार्यान्वयन क्षेत्रों में फलीदार छादन फसल लगाने के लिए मांग के आधार पर प्यूररिया

एवं म्यूकुणा बीज उपलब्ध कराने हेतु विस्तार स्कंध द्वारा किया जाता है। योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियाँ निम्न में दिए गए हैं।

मद	01/04/03 के	2003-04 के अनुसार स्टोक (कि.ग्रा.)	01/04/03 से दौरान खरीद का परिमाण (कि.ग्रा.)	31/03/04 तक वितरण (कि.ग्रा.)
फलीदार छादन फसल बीज (प्यूररिया)				
पारंपरिक क्षेत्र में वितरण		17,500	346,000	38,000
फलीदार छादन फसल बीज (म्यूकुणा)				
पारंपरिक क्षेत्र में वितरण		33,750	509,000	471,350

**रोपण सामग्रियों का उत्पादन (पारंपरिक क्षेत्र)**

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों को प्राप्त/हिल करने तथा इसके बाजार भाव पर नियंत्रण लाने के दुगुने लक्ष्य से बोर्ड गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों का उत्पादन और सीमित हद तक कृषकों को लागत मूल्य पर वितरण भी करता है। छोटे कृषकों को मूल्य में रियायत भी दी जाती है। इस तरह उत्पादित रोपण सामग्री आवश्यक कृषकों को स्रोत झाड़ सामग्री तैयार करने या बागान तैयार करने के लिए दिए गए। विवरण निम्न प्रकार है:

बोर्ड के स्वामित्व की पौधशालाओं की संख्या-पारंपरिक क्षेत्र	- 7
पौधशालाओं का क्षेत्र (पारंपरिक क्षेत्र)	- 43.36 हे.
बोर्ड के स्वामित्व की पौधशालाओं की संख्या (उ.पू./अपा.क्षे)	- 7
पौधशालाओं का क्षेत्र (उ.पू./अपा.क्षे)	- 22.81 हे.

मद	उपलब्धि
पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादन 2003-04	
हरे बड़्डू टूट	146136 नं.
भूरे बड़्डू टूट	693326
कुल	839462

टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल**क) नियमित टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल (पारंपरिक क्षेत्र)**

टापिंग में छोटे कृषकों एवं श्रमिकों को प्रशिक्षण देने हेतु बोर्ड द्वारा संचालित 14 नियमित टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल परंपरागत क्षेत्र के विभिन्न बागान क्षेत्रों में हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 97 बैचों में 218 अ.जा/अ.ज.जा. के व्यक्ति सहित 1387 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

ख) हस्वावधि टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल (पारंपरिक क्षेत्र)

परंपरागत टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल के अलावा वैज्ञानिक टापिंग के विभिन्न प्रायोगिक पहलुओं पर बोर्ड द्वारा हस्वावधि

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान योजना के अधीन 420 बैचों में 6562 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसके लिए 16.81 लाख रुपये का व्यय किया गया।

रबड़ उत्पादक संघों का प्रोत्साहन (र उ सं)

प्रायोगिकी के प्रभावी हस्तांतरण एवं स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन में 89 प्रतिशत के हिस्सेदार छोटी जोंत क्षेत्र के सशक्तीकरण हेतु बोर्ड ने रबड़ उत्पादक संघ (र उ सं) नामक छोटे कृषकों के ग्राम स्तरीय संगठन के रूपायन को प्रोत्साहित करने की नीति अपनायी है।

रबड़ उत्पादक संघ रबड़ बोर्ड के अतिरिक्त हाथ के रूप में कार्य करने तथा छोटे कृषकों को प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तार कार्यों के अर्थपूर्ण हस्तांतरण में मदद देने के लिए लक्षित है। इस अवधि के दौरान 11 नये रबड़ उत्पादक संघों को रूपायित किया। जिससे इसका संचित योग 2159 हो गया। भागीदारी नीति द्वारा मृत रबड़ उत्पादक संघों को पुनःजीवित करने का भी कार्य किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान 73 रबड़ उत्पादक संघों को पुनःजीवित कर दिया।

वर्ष 2003-04 के दौरान रबड़ उत्पादक संघों की 5323 कार्यकारी बैठकें और 1581 आम बैठकें आयोजित की जिनमें रबड़ उत्पादक संघों के 28408 निदेशक मंडल सदस्य एवं 45656 कृषक भाग लिए। वर्ष के दौरान रबड़ उत्पादक संघों द्वारा 747 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 12728 कृषक भाग लिये। 933 बैठकों में दृश्य-श्रव्य उपकरणों को प्रयुक्त किया था तथा 28094 कृषक लाभान्वित हुए।

35 रबड़ उत्पादक संघों, 30 पारंपरिक क्षेत्र में एवं 5 गैर पारंपरिक क्षेत्र में, को आदर्श रबड़ उत्पादक संघ के रूप में चयन किया है तथा प्रायोगिकी हस्तांतरण केन्द्रों व सामाजिक प्रक्रमण केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अवसरचनाओं की संस्थापना हेतु वित्तीय एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया जा रहा है। ये आदर्श रबड़



उत्पादक संघ कृषकों, श्रमिकों आदि के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

रबड़ उत्पादक संघों को सामूहिक प्रक्रमण केन्द्र, धूम घर, प्रशिक्षण हाल व बहिस्त्राव उपचार संयंत्र की संस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

इस योजना को स्वाभाविक रबड़ की गुणवत्ता सुधार हेतु रबड़ उत्पादक संघों को बेहतर कच्चे माल आपूर्ति शृंखला के लिए फसल एकत्रण केन्द्र एवं सामूहिक प्रक्रमण सुविधाओं की संस्थापना के लिए समर्थन देने पर लक्षित है। वर्ष के दौरान सहायता स्वरूप 191 रबड़ उत्पादक संघों को 5,31,78,631/- रुपये का वितरण किया गया।

स्त्री शाक्तीकरण कार्यक्रम

रबड़ उत्पादक संघों द्वारा शुरू किए स्त्री शाक्तीकरण कार्यक्रम (आय सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम) को विभाग ने अपने मुख्य कार्यालय के विकास अधिकारी (महिला विकास) एवं प्रादेशिक कार्यालयों के नॉडल अधिकारियों के द्वारा नैतिक समर्थन प्रदत्त किए। महिला स्वयं सहायक ग्रुपों को प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन के क्षेत्रों में सख्त समर्थन प्रदान किया।

कृषक शिक्षा कार्यक्रम

आपसी वैयक्तिक संपर्क

कृषकों को तकनीकी जानकारी प्रदत्त करने हेतु वर्ष 2003-04 के दौरान बोर्ड के विस्तार अधिकारियों द्वारा 1,74,379 कृषक क्षेत्रों का दौरा किया तथा आवश्यक तकनीकी सलाह दे दी। ऐसे क्षेत्र स्तरीय दौरे के अवसर पर विस्तार अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार निदर्शनों का भी आयोजन किया।

सामूहिक संपर्क

विस्तार अधिकारियों और करीब एक दशलक्ष तक आनेवाले रबड़ कृषकों के अनुपात के भारी अन्तर को देखते हुए विभाग ने कृषक समाज से संपर्क बनाए रखने के

लिए एक सामूहिक नीति अपनायी है। रबड़ खेती एवं प्रक्रमण के आधुनिक तकनीकियों के प्रसार हेतु हर वर्ष अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2003-04 के दौरान का विषय गुणता सुधार में सामूहिक नीति रहा।

आयोजित बैठकों एवं भागीदारों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:

बैठक का स्वभाव	बैठकों की संख्या	भागीदारों की संख्या
एक दिवसीय संगोष्ठी	80	6413
अर्ध दिवसीय बैठक	864	29492
ग्रुप बैठक	2767	36562
अभियान बैठक	2753	68535
प्रशिक्षण कार्यक्रम	808	13887
र उ सं बैठक	8445	73425
दृश्य-श्रव्य उपकरणों का उपयोग	951	28572
अन्य बैठकें	4390	10581
कुल	21058	267467

ग) शास्त्रदर्शन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन अपारंपरिक/उत्तर पूर्वी क्षेत्र त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और गोआ के कुल 214 कृषकों को 18 बैचों में केरल लाया गया तथा उन्हें पारंपरिक क्षेत्र में रबड़ खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

राज्य	बैचों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
त्रिपुरा	7	81
असम	6	68
उड़ीसा	3	39
गोआ	1	13
आन्ध्र प्रदेश	1	13
योग	18	214

**रोपण सामग्रियों का उत्पादन (पारंपरिक क्षेत्र)**

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों को प्राप्त/हस्तगत करने तथा इसके बाजार भाव पर नियंत्रण लाने के दुगुने लक्ष्य से बोर्ड गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों का उत्पादन और सीमित हद तक कृषकों को लागत मूल्य पर वितरण भी करता है। छोटे कृषकों को मूल्य में रियायत भी दी जाती है। इस तरह उत्पादित रोपण सामग्री आवश्यक कृषकों को स्रोत झण्ड सामग्री तैयार करने या बागान तैयार करने के लिए दिए गए। विवरण निम्न प्रकार है:

बोर्ड के स्वामित्व की पौधशालाओं की संख्या-पारंपरिक क्षेत्र	- 7
पौधशालाओं का क्षेत्र (पारंपरिक क्षेत्र)	- 43.36 हे.
बोर्ड के स्वामित्व की पौधशालाओं की संख्या (उ.पू./अपा.क्षे)	- 7
पौधशालाओं का क्षेत्र (उ.पू./अपा.क्षे)	- 22.81 हे.

मद	उपलब्धि
पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादन 2003-04	
हरे बड़्ड टूट	146136 नं.
मूरे बड़्ड टूट	693326
कुल	839462

टापेस प्रशिक्षण स्कूल**क) नियमित टापेस प्रशिक्षण स्कूल (पारंपरिक क्षेत्र)**

टापिंग में छोटे कृषकों एवं श्रमिकों को प्रशिक्षण देने हेतु बोर्ड द्वारा संचालित 14 नियमित टापेस प्रशिक्षण स्कूल परंपरागत क्षेत्र के विभिन्न बागान क्षेत्रों में हैं। रिपोर्टोधीन अवधि के दौरान 97 बैचों में 218 अ.जा/अ.ज.जा. के व्यक्ति सहित 1387 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

ख) हस्वावधि टापेस प्रशिक्षण स्कूल (पारंपरिक क्षेत्र)

परंपरागत टापेस प्रशिक्षण स्कूल के अलावा वैज्ञानिक टापिंग के विभिन्न प्रायोगिक पहलुओं पर बोर्ड द्वारा हस्वावधि

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान योजना के अधीन 420 बैचों में 6562 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसके लिए 16.81 लाख रुपये का व्यय किया गया।

रबड़ उत्पादक संघों का प्रोत्साहन (र उ सं)

प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण एवं स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन में 89 प्रतिशत के हिस्सेदार छोटी जोत क्षेत्र के सशक्तीकरण हेतु बोर्ड ने रबड़ उत्पादक संघ (र उ सं) नामक छोटे कृषकों के ग्राम स्तरीय संगठन के रूपान्तरण को प्रोत्साहित करने की नीति अपनायी है।

रबड़ उत्पादक संघ रबड़ बोर्ड के अतिरिक्त हाथ के रूप में कार्य करने तथा छोटे कृषकों को प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तार कार्यों के अर्थपूर्ण हस्तांतरण में मदद देने के लिए लक्षित है। इस अवधि के दौरान 11 नये रबड़ उत्पादक संघों को स्थापित किया। जिससे इसका संचित योग 2159 हो गया। भागीदारी नीति द्वारा मृत रबड़ उत्पादक संघों को पुनःजीवित करने का भी कार्य किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान 73 रबड़ उत्पादक संघों को पुनःजीवित कर दिया।

वर्ष 2003-04 के दौरान रबड़ उत्पादक संघों की 5323 कार्यकारी बैठकें और 1581 आम बैठकें आयोजित की जिनमें रबड़ उत्पादक संघों के 28408 निदेशक मंडल सदस्य एवं 45656 कृषक भाग लिए। वर्ष के दौरान रबड़ उत्पादक संघों द्वारा 747 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 12728 कृषक भाग लिये। 933 बैठकों में दृश्य-श्रव्य उपकरणों को प्रयुक्त किया था तथा 28094 कृषक लाभान्वित हुए।

35 रबड़ उत्पादक संघों, 30 पारंपरिक क्षेत्र में एवं 5 गैर पारंपरिक क्षेत्र में, को आदर्श रबड़ उत्पादक संघ के रूप में चयन किया है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों व सामाजिक प्रक्रमण केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अवसर-चर्चाओं की संस्थापना हेतु विरीय एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया जा रहा है। ये आदर्श रबड़

उत्पादक संघ कृषकों, श्रमिकों आदि के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

रबड़ उत्पादक संघों को सामूहिक प्रक्रमण केन्द्र, धूम घर, प्रशिक्षण हाल व बहिस्त्राव उपचार संयंत्र की संस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

इस योजना को स्वाभाविक रबड़ की गुणवत्ता सुधार हेतु रबड़ उत्पादक संघों को बेहतर कच्चे माल आपूर्ति श्रृंखला के लिए फसल एकत्रण केन्द्र एवं सामूहिक प्रक्रमण सुविधाओं की संस्थापना के लिए समर्थन देने पर लक्षित है। वर्ष के दौरान सहायता स्वरूप 191 रबड़ उत्पादक संघों को 5,31,78,631/- रुपये का वितरण किया गया।

स्त्री शास्त्रीकरण कार्यक्रम

रबड़ उत्पादक संघों द्वारा शुरू किए स्त्री शास्त्रीकरण कार्यक्रम (आय सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमलाप) को विभाग ने अपने मुख्य कार्यालय के विकास अधिकारी (महिला विकास) एवं प्रादेशिक कार्यालयों के नॉडल अधिकारियों के द्वारा नैतिक समर्थन प्रदत्त किए। महिला स्वयं सहायक ग्रुपों को प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन के क्षेत्रों में सख्त समर्थन प्रदान किया।

कृषक शिक्षा कार्यक्रम

आपसी वैयक्तिक संपर्क

कृषकों को तकनीकी जानकारी प्रदत्त करने हेतु वर्ष 2003-04 के दौरान बोर्ड के विस्तार अधिकारियों द्वारा 1,74,379 कृषक क्षेत्रों का दौरा किया तथा आवश्यक तकनीकी सलाह दे दी। ऐसे क्षेत्र स्तरीय दौरे के अवसर पर विस्तार अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार निदर्शनों का भी आयोजन किया।

सामूहिक संपर्क

विस्तार अधिकारियों और करीब एक दशलक्ष तक आनेवाले रबड़ कृषकों के अनुपात के भारी अन्तर को देखते हुए विभाग ने कृषक समाज से संपर्क बनाए रखने के

लिए एक सामूहिक नीति अपनायी है। रबड़ खेती एवं प्रक्रमण के आधुनिक तकनीकियों के प्रसार हेतु हर वर्ष अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2003-04 के दौरान का विषय गुणता सुधार में सामूहिक नीति रहा।

आयोजित बैठकों एवं भागीदारों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:

बैठक का स्वभाव	बैठकों की संख्या	भागीदारों की संख्या
एक दिवसीय संगोष्ठी	80	6413
अर्ध दिवसीय बैठक	864	29492
ग्रुप बैठक	2767	36562
अभियान बैठक	2753	68535
प्रशिक्षण कार्यक्रम	808	13887
र उ सं बैठक	8445	73425
दृश्य-श्रव्य उपकरणों का उपयोग	951	28572
अन्य बैठकें	4390	10581
कुल	21058	267467

ग) शास्त्रदर्शन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन अपारंपरिक/उत्तर पूर्वी क्षेत्र त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और गोआ के कुल 214 कृषकों को 18 बैचों में केरल लाया गया तथा उन्हें पारंपरिक क्षेत्र में रबड़ खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

राज्य	बैचों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
त्रिपुरा	7	81
असम	6	68
उड़ीसा	3	39
गोआ	1	13
आन्ध्र प्रदेश	1	13
योग	18	214

**तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

बोर्ड के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 15 विस्तार अधिकारियों को केरल कृषि विश्व विद्यालय में विस्तार कार्य हेतु भागीदार अध्ययन, सामूहिक प्रबंधन की गति विज्ञान विस्तार में सूचना प्रौद्योगिकी साध्य सेवाएं विषयों पर प्रशिक्षित किया।

कंप्यूटरीकरण

सभी प्रादेशिक कार्यालयों में रबड़ बागान विकास योजना के आवेदनों पर कार्रवाई कंप्यूटरों द्वारा करना शुरू की है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ विकास योजनाएं**रबड़ बागान विकास योजना**

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागान विकास योजना के वर्ष 2003-04 के दौरान का निष्पादन निम्न प्रकार है:

(क) 2003-04 के रोपण

रोपण श्रेणी	लक्ष्य हेक्टरों में	जारी अनुज्ञाओं की संख्या	उपलब्धि हेक्टरों में
पुनरोपण	30	1	33
नवरोपण	2000	2255	1816
योग	2030	2256	1849

(ख) पूर्व वर्ष के रोपण के बकाया अनुज्ञाओं सहित वर्ष 2003-04 के दौरान जारी कुल अनुज्ञाओं की संख्या

रोपण श्रेणी	जारी अनुज्ञाओं की संख्या	उपलब्धि हेक्टरों में
पुनरोपण	3	39.86
नवरोपण	2338	1868.00
योग	2341	1907.86

क्षेत्र के रबड़ रोपण विकास की महत्तर संभावनाओं पर विचार करते हुए विभाग ने विद्यमान बागानों के अनुरक्षण में सहायताएं प्रदान करने तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार योजना के कार्यकलाप जारी रखे। वर्ष के दौरान 107 हे. क्षेत्र में ब्लोक रोपण हेतु 109 जनजातीय लोगों का चयन किया। ब्लोक रोपण के अधीन लाये गये संचित क्षेत्र एवं लाभान्वितों की संख्या मार्च 2004 के अंत तक क्रमशः 2760.28 हे. एवं 24471 थे। गृप रोपण योजना के अधीन 287.65 हे. रोपण हेतु 298 व्यक्तियों ने प्रतिभागिता की। 31.3.2004 अनुसार गृप रोपण योजना के अधीन रोपित कुल क्षेत्र 5240.66 हे. तथा लाभान्वितों की संख्या 5596 हैं। अगले वर्ष के रोपण हेतु पॉली बैगों की तैयारी के लिए 11.17 लाख बड्ड ड्रैगों एवं 801784 पॉलिथीन बैगों का वितरण क्रमशः 2641 एवं 2081 कृषकों को किया।

एकीकृत ग्राम स्तरीय रबड़ विकास

10 वीं योजना के दौरान ग्राम स्तर पर रबड़ आधारित विकास हेतु एक एकीकृत नीति अपनायी गयी है जिसके दो संघटक हैं याने,

- 1) 1997 के बाद स्थापित अस्वस्थ बागानों का पुनरुज्जीवन एवं कमजोर बागानों का पुनःस्वस्थ कर देना।
- 2) सामूहिक नीति अपनाकर क्षेत्र विस्तार, परिपक्व बागानों के लिए उत्पादकता सुधार उपायों का कार्यान्वयन एवं सामूहिक आधार पर प्रक्रमण एवं विपणन सुविधाओं का सृजन।

वर्ष 2003-04 के दौरान योजना के अधीन की प्रगति आगे के पृष्ठ में दी गयी है:-

एकीकृत ग्राम स्तरीय विकास योजना के अधीन सहायता स्वरूप 11,32,705 रु. का भुगतान किया।



संघटक	गुआहटी		अगर्तला		लाभाभ्यन्तों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र (हे.)
	लाभाभ्यन्तों की संख्या अ.जा./अ.ज.जा.	क्षेत्र (हे.)	लाभाभ्यन्तों की संख्या (हे.) अ.जा./अ.ज.जा.	क्षेत्र		
पुनरुज्जीवन	49	27.36	58	24.08	107	51.44
पुनःस्वस्थ करना	63	60.93	72	39.63	135	100.56
योग	112	88.29	130	63.71	242	152

कृषि प्रबंधन प्रणालियों का निदर्शन

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से रबड़ एक नई फसल होने के नाते कृषकों को अपने बागानों में वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन प्रणालियों अपनाने हेतु सख्त विस्तार समर्थन देने की आवश्यकता है। बोर्ड ने त्रिपुरा तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट व प्रशिक्षण केन्द्रों (एन आर ई टी सी) की स्थापना पहले ही की है। अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में जिला विकास केन्द्रों (डी डी सी) की भी स्थापना की है। असम में एक रबड़ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आर आर टी सी) की स्थापना भी की है। इन केन्द्रों ने वर्ष 2003-04 के दौरान कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, निदर्शन बागानों आदि का आयोजन किया।

बागान निवेशों का वितरण

वर्ष के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोर्ड ने निम्नलिखित बागान निवेशों का वितरण किया है।

निवेश सामग्री	कृषकों की संख्या	परिमाण
यूरिया		208.65 मे.ट
म्यूरेट ऑफ पोटेश	4310	162.20 मे.ट
एम आर पी		475.20 मे.ट
बर्डिङग टेप	25	287 कि ग्र
अलुमिनियम छननी	64	163 नं.
कुल कृषक	4399	

छादन फसल बीजों का वितरण

मद	प्रारंभिक स्टोक	वर्ष के दौरान प्रापण की गयी मात्रा	वितरित परिमाण
छादन फसल बीज	2198.5 कि ग्र	946.5 कि ग्र	3145 कि ग्र

रबड़ कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा त्रिपुरा राज्य में न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं असम में दो व मेघालय में एक जिला विकास केन्द्रों का अनुरक्षण किया जाता है। अगर्तला के रबड़ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा जंगितचक्रे के जिला विकास केन्द्र ने 56 बेचों में विभिन्न विषयों पर 831 कृषकों को प्रशिक्षण दिया। 4 प्रदर्शनियों आयोजित की जिनमें 5350 कृषकों ने संदर्शन किया। कुल 3980 कृषकों को सहभागिता से 111 रबड़ उत्पादक संघों/रबड़ कृषक समितियों का गठन किया गया।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषक शिक्षण कार्यक्रम

वैयक्तिक संपर्क

तकनीकी जानकारी के संप्रेषण में वैयक्तिक संपर्क एक उत्तम विस्तार उपकरण होने के नाते बोर्ड के विस्तार अधिकारियों ने 2003-04 के दौरान 31,681 क्षेत्र स्तरीय दौरा किया तथा कृषकों को आवश्यक तकनीकी सलाह प्रदत्त की। ऐसे दौरे के अक्सर पर आवश्यकता के अनुसार विस्तार अधिकारियों द्वारा निदर्शन भी चलाये गये थे।

सामूहिक संपर्क

रबड़ खेती एवं संसाधन से संबंधित नवीनतम तकनीकियों को लोकप्रिय बनाने हेतु अभियान कार्यक्रमों का आयोजन



हर वर्ष किया जाता है। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्न में दिया गया है।

बैठक का प्रकार	बैठकों की संख्या	भागीदारों की संख्या
अर्ध दिवसीय संगोष्ठियाँ	2	92
ग्रुप बैठकें	497	10438
प्रदर्शनियाँ	4	5350
अभियान	88	2755

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में टापर्स प्रशिक्षण स्कूल—नियमित पाठ्यक्रम (स्कूल-3)

अनुसूचित जाति/जनजाति के 139 व्यक्तियों सहित 251 व्यक्तियों को 17 बैचों में नियमित प्रशिक्षण दिया गया तथा जिन्हें वृत्तिका भी दी गयी थी। इस शीर्ष में 2,01,885 रु. का व्यय किया गया।

उत्तर पूर्वी/अपारंपरिक क्षेत्र में हस्वाविध गहन टापर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम

90 बैचों में 1345 व्यक्तियों को 3,72,080 रु. के व्यय में हस्वाविध गहन टापर्स प्रशिक्षण दिया गया।

स्त्री शाक्तीकरण कार्यक्रम

वर्ष 2003-04 के दौरान केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र की महिलाओं के लिए निम्न लिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया।

कार्यक्रमों के विवरण	बैचों की संख्या	सहभागियों की संख्या
टापर्स प्रशिक्षण	5	75
फसल संसाधन	5	75
स्वास्थ्य कैंप	10	1303
मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण	3	5

सीमा संरक्षण योजना

इस योजना के अन्तर्गत छोटे कृषकों को अपने छोटे बागानों को मवेशियों से बचाने के लिए बाड़ा निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता के विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क) बाँस बाड़ा निर्माण हेतु सहायता

राज्य	वर्ग	लाभान्वितों की संख्या	क्षेत्र(हे.)	कुल प्रदत्त रकम (रुपयों में)
त्रिपुरा व असम	अ.जा.	57	22.60	42503
	अ.ज.जा.	1360	1192.28	1903642
	साधारण	296	228.10	237297
	योग	1713	1442.98	21,83,442

ख) कांटीले तार बाड़ा निर्माण हेतु सहायता

राज्य	वर्ग	लाभान्वितों की संख्या	क्षेत्र(हे.)	कुल प्रदत्त रकम (रुपयों में)
असम	अ.जा.	1	3.19	5,583
	अ.ज.जा.	6	3.47	10,172
	साधारण	1	3.35	3,350
	योग	8	10.01	19,105

अन्य सहायताएं

निम्न लिखित विवरणानुसार सिंचाई, मधुमक्खीपालन, सामूहिक संसाधन हेतु सहायताएं तथा रबड़ रोलरों की मुफ्त आपूर्ति जैसी अन्य योजनाएं वर्ष के दौरान कार्यान्वित कीं।



क्र.सं.	राज्य	सहायता का प्रकार	इकाइयों की संख्या	प्रदत्त कुल रकम (रुपयों में)
1	असम	सिंचाई	1.39 हे.	6,950
2	असम	रबड़ रॉलरों की मुफ्त आपूर्ति	16 नं.	
3	त्रिपुरा	मधुमक्खी पालन	1 सेट	8,000
4	त्रिपुरा	सामूहिक प्रक्रमण		
		र उ सं.	10	48,69,300
		ब्लॉक रोपण	9	44,60,897
5	त्रिपुरा	र उ सं को जेनरेटर की पूर्ति	1	30,000

गुणतायुक्त रोपण सामग्रियों का सृजन (उ.पू.)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोर्ड द्वारा अनुरक्षण को जा रही पौधशालाओं में वर्ष के दौरान 3.92 लाख बड्ड टूटें तैयार कीं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर अन्य अपारंपरिक क्षेत्र

विभाग ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोआ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के विद्यमान बागानों के अनुरक्षण तथा क्षेत्र विस्तार के कार्यकलाप जारी रखे। रबड़ बागान विकास योजना और अन्य विस्तार समर्थन योजनाओं

के अलावा इन क्षेत्रों में आदिवासी कृषकों की आर्थिक स्थिरता पर लक्षित ब्लॉक रोपण परियोजनाएं भी कार्यान्वित कीं।

मूल्य स्थिरीकरण निधि

मूल्य स्थिरीकरण निधि का लक्ष्य हर वर्ष घोषित की जानेवाली मूल्य पट्टी से जब भाव 20 प्रतिशत कम हो जाता है तब छोटे कृषकों को समर्थन देने का है। वर्ष 2003-04 के दौरान 16,240 कृषकों को शामिल किया गया।



भाग IV

प्रशासन

प्रशासन विभाग के निम्नलिखित अनुभाग एवं प्रभाग हैं।

स्थापना अनुभाग

(सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन एवं हकदार)

विपणन प्रभाग

श्रमिक कल्याण अनुभाग

विधिक अनुभाग

हिन्दी अनुभाग

स्थापना अनुभाग

सामान्य प्रशासन

बोर्ड एवं उसकी समितियों का संगठन/पुनःसंगठन, बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठकें आयोजित करना, बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, गृह-व्यवस्था कार्यकलाप का प्रबंधन आदि सामान्य प्रशासन के मुख्य कार्यों में हैं।

बोर्ड एवं समितियों की बैठक

रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड और समितियों की निम्न लिखित बैठकें हुईं।

बोर्ड की बैठकें

147वाँ बैठक	-	29.05.2003
148वाँ बैठक	-	19.07.2003
149वाँ बैठक	-	31.10.2003
150वाँ बैठक	-	29.03.2004

समिति बैठकें

※ कर्मचारी कार्य समिति	23.05.2003
※ कार्यकारिणी समिति	16.08.2003
※ बाजार विकास समिति	24.01.2004
※ रोपण समिति	26.03.2004
※ श्रमिक कल्याण समिति	26.03.2004

हकदार

व्याजयुक्त अग्रिमों की मंजूरी

वर्ष 2003-04 के दौरान बोर्ड के 31 कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम के रूप में 79,62,500 रु. की वित्तीय सहायता का वितरण किया गया। अन्य अग्रिमों के रूप में निम्न विवरणानुसार 78 कर्मचारियों को 22,28,650/- रु. का वितरण किया गया।

अग्रिम का प्रकार	कर्मचारियों की संख्या	वितरित रकम (रुपयों में)
कार अग्रिम	4	5,46,000/-
मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम	34	9,37,150/-
साइकिल अग्रिम	23	34,500/-
कंप्यूटर अग्रिम	17	7,11,000/-
योग	78	22,28,650/-

गृह निर्माण अग्रिमों की व्याज सहित वसूली/प्रतिदान के बाद 22 मामलों में पुनः हस्तंतरण प्रलेख तैयार किये गए।

सेवा पुस्तिकाओं एवं वैयक्तिक फाइलों का अनुरक्षण

वर्ष के दौरान 18 सेवा पुस्तिकाएँ एवं वैयक्तिक फाइलों खोली गयीं तथा अन्य सेवा पंजियों के साथ इनका सही अनुरक्षण किया गया।

सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति लाभ

वर्ष के दौरान 42 कर्मचारी बोर्ड की सेवाओं से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए तथा 3 कर्मचारी स्वेच्छिक रूप से सेवा निवृत्त हुए। पेंशन, उपदान, पेंशन संरक्षीकरण, छुट्टी भुनाना आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभ समय पर मंजूर किये गए तथा



भुगतान किये गये। सेवाकाल में मृत्यु हुए 7 पदधारियों के परिवारों को कुटुंब पेंशन मंजूर किये गये।

कार्मिक प्रशासन

वर्ष के दौरान 18 व्यक्तियों को बोर्ड की सेवा में भर्ती की गयी। कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त ढंग से चयन समितियाँ/विभागीय पदोन्नति समितियाँ कार्मिकों के चयन के लिए गठित की थीं। आरक्षण बिंदुओं पर चयनित/पदोन्नत कार्मिकों से संबंधित सामयिक विवरणियाँ सरकार को भेजी थीं।

निम्न लिखित विवरणानुसार 223 कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नत किया गया/उच्च श्रेणी प्रदान की गयी।

नियमित पदोन्नतियाँ	: 143
ए सी पी योजना के अन्तर्गत उच्च श्रेणी प्रदत्त	: 48
पदों का उच्च श्रेणीकरण	: 25
वेतनमान का परिशोधन	: 4
पेशा सुधार के अंतर्गत उच्च श्रेणी प्रदत्त	: 3

I. 31.3.2004 को बोर्ड के अधीन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 2054 थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

विभाग का नाम	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	योग
रबड़ उत्पादन	180	382	498	105	1165
अनुसंधान	61	134	190	55	440
अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क	23	29	82	6	140
प्रशासन	14	14	56	17	101
प्रक्रमण एवं उपज विकास	17	18	40	3	78
वित्त एवं लेखा	6	14	34	2	56
प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	9	8	28	4	49
सांख्यिकी एवं योजना	5	6	12	2	25
योग	315	605	940	194	2054

II. 31.3.2004 के अनुसार कुल महिला कर्मचारियों का विवरण एवं कुल कर्मचारी बल में उनकी प्रतिशतता

वर्ग	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल संख्या में प्रतिशत
क	68	315	21.59
ख	231	605	38.18
ग	394	940	41.91
घ	24	194	12.37
महा योग	717	2054	34.91

विपणन प्रभाग

वर्ष के दौरान प्रभाग ने स्वाभाविक रबड़ के भावों के एकत्रण, संकलन एवं प्रसारण का कार्य जारी रखा। स्वाभाविक रबड़ के मुख्य रूप से व्यापार किये जा रहे रूप याने आर एस एस 4 एवं आर एस एस 5 श्रेणी के शीट रबड़ के कोटेटयम एवं कोची के भाव एकत्रित किए, संकलित किये तथा प्रकाशनार्थ समाचार एजेंसियों एवं प्रस तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार सहित अन्य एजेंसियों को रिपोर्ट किये। रबड़ के अन्य श्रेणी के भाव भी दैनिक/साप्ताहिक/द्विसाप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किए।



रबड़ बोर्ड के वेब-साइट में भी विभिन्न श्रेणी के रबड़ के देशी व अन्तर्देशीय भाव दैनिक आधार पर अंकित किए।

श्रमिक कल्याण अनुभाग

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8, उपधारा 2, खंड (च) के अनुसार श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ एवं शतै सुनिश्चित करना तथा सुख सुविधाओं व प्रोत्साहन में अभिवृद्धि लाना बोर्ड के प्रमुख कार्यों में एक है। इसमें परिलक्षित कार्य रबड़ बागान उद्योग के विकास एवं उत्थान के लिए एवं रबड़ बागान उद्योग के श्रमिकों के बीच, जो रबड़ खेती के विकास और उत्थान के अभिन्न अंग है, रुचि दिलाने व पैदा करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं।

रबड़ खेती के विकास एवं संबर्द्धन में अनिवार्य टापरस/श्रमिकों में दिलचस्पी सृजित करने के मद्देनजर बोर्ड ने टापरस/श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित कीं।

निम्न में दिए गये विवरणानुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 201 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 200.8 लाख रुपये का वितरण किया गया।

शैक्षिक वृत्तिका योजना

यह योजना रबड़ बागान श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित कॉलेज व स्कूलों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वृत्तिका में (1) छात्रावास/आवास शुल्क तथा (2) एकमुश्त अनुदान सम्मिलित हैं।

योग्यता पुरस्कार योजना

यह योजना रबड़ टापरों/श्रमिकों के बच्चे जो प्रशंसनीय रूप से उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 1000/- रु. से 5000/- रु. तक के योग्यता पुरस्कार दिए जाते हैं। यह उनको पढ़ाई के उत्तम निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।

गृह निर्माण सहायिकी योजना

यह योजना टापरों एवं रबड़ बागान के श्रमिकों को अपनी भूमि में भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गयी थी। इस योजना के अधीन आवेदक के कार्यरत बागान का क्षेत्र 0.75 हेक्टेयर से कम न हो। योजना के उपबंधों के अनुसार इस तरह का एक टापर गृह निर्माण करता है तो उन्हें अधिकतम 7500/- रु. या आकलित निर्माण लागत के 25 प्रतिशत में जो भी कम हो उतनी रकम की आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौचड़ की दीवार, तोड़े गए बाँस की दीवार एवं घास/पत्तों से बनाए घर के लिए अधिकतम 6000/- रु. की सहायिकी मिलेगी। तोड़े गए बाँस की दीवार एवं जूआई शीट के छप्पर वाले घरों के लिए अधिकतम 7500/- रु. तक की सहायता प्रदान की जाती है।

प्रसाधन सुविधा प्रदान करने की योजना

इस योजना का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के रबड़ टापरों के बीच स्वच्छ परिस्थिति के प्रति रुचि पैदा करना है। बांड द्वारा निर्धारित नक्शा एवं अनुमान के अनुसार शौचालय निर्माण में टापरों को सहायता दी जाती है। निर्माण लागत के 75 प्रतिशत या 3000 रु. में जो भी कम हो उतनी रकम तक वित्तीय सहायता सीमित की गई है।

चिकित्सा सहायता योजना

यह योजना असंगठित क्षेत्र की रबड़ जेतों के टापरों के लिए शुरू की गयी है तथा रोग के कारण कार्य पर उपस्थित न होने के बदले टापरों को क्षतिपूर्ति भी दी जाती है। इस योजना द्वारा चिकित्सा हेतु रोगपीडित टापरों द्वारा खर्च किये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

रबड़ की छोटी जेतों में कार्य करनेवाले टापरों में छोटे परिवार के संदेश को प्रोत्साहित करने के लिए बंध्यकरण ऑपरेशन करनेवाले टापरों को योजना के अन्तर्गत एकमुश्त राशि दी जाती है।



अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के लिए भवन निर्माण एवं सानिटरी सहायिकी योजना

यह योजना मात्र असंगठित रबड़ क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के टापरो के लिए है। इस योजना के अन्दर शौचालय सहित गृहनिर्माण के लिए 14,000 रु. तक की सहायिकी प्रति आवेदक दी जाती है।

समूह बीमा-सह-जमा योजना

यह योजना रबड़ बागान श्रमिकों के दुर्घटना द्वारा घायल होने तथा मृत्यु होने के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया हुआ प्रमुख उपाय है। यह योजना बागान श्रमिक अधिनियम 1951 लागू न किए बागानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए लागू है।

यह योजना श्रमिकों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करती भी है। 1986-87 के दौरान शुरू हुए प्रथम चरण का प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2000-01 में 11वाँ चरण पहुँच गया। हर योजना अलग वार्षिक योजना है तथा 10 वर्ष की अवधि तक परिचालित होगी। इस योजना में नामदर्ज श्रमिकों को निर्धारित रकम जमाकर हर वर्ष बीमा का नवीकरण करना है। I से V तक के चरण पूरे हो गये तथा छः चरणों का नवीकरण 2003-04 के दौरान करना है। वर्ष के दौरान समूह बीमा योजना के चरण IV के अंतर्गत 1081 श्रमिकों को 28,38,407 रु. वितरित किये।

केवल छोटी जेतों के टापरो को 50,000 रु. की बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नयी समूह बीमा-सह-जमा योजना का प्रारंभ वर्ष 2001-02 के दौरान किया है। यह योजना दुर्घटनाओं में उच्चतर क्षतिपूर्ति देती है तथा टापरो में जमा करने की आदत को प्रोत्साहित करती है। योजना के अधीन लाभान्वितों का अंशदान 250 रु. है तथा बोर्ड का 150 रु. प्रति सदस्य है।

वर्ष 2003-04 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत का निष्पादन निम्न प्रकार है :

योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या	वितरित कुल रकम (रु)
शैक्षिक वृत्तिका	8121	4591030
शैक्षिक योग्यता पुरस्कार	165	214250
चिकित्सा सहायता	451	787091
गृह निर्माण सहायिकी	796	5968750
गृहनिर्माण/शौचालय सहायि की(अ.जा./ज.जा.)	555	4020375
शौचालय सहायिकी	660	1979625
बीमा सह जमा योजना	9541	1168950
प्रचालन व्यय		1350000
योग	20289	20080071

विधिक अनुभाग

आवश्यकता के अनुसार बोर्ड द्वारा रिपोर्टोधीन वर्ष के दौरान हस्ताक्षर करने के कानूनी दस्तावेजों के प्रारूप तैयार किए/दस्तावेज तैयार किए। बोर्ड के हितों की रक्षा के लिए अधिवक्ताओं के ज़रिए उचित कदम उठाए गए। लंबित मामलों के अलावा 14 नये मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा बोर्ड के विरुद्ध दर्ज किए गए विवाचन मामलों को चलाने के लिए कदम उठाए गए। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों पर स्थायी काउंसेलों एवं केन्द्र सरकार वकीलों को खंडवार टिप्पणियाँ दी एवं आवश्यक अनुदेश दिए थे। विभिन्न जिलों के क्षतिपूर्ति फोरम के सामने आये उपभोक्ता विवाद संबंधी फाइलों पर अनुभाग ने उत्तर तैयार किये और फाइल किये तथा सुनवाई के समय बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया। रिपोर्ट वर्ष के दौरान विधिक अनुभाग के ध्यान आकर्षित 699 फाइलों में समय ही पर कार्रवाई की/सलाह दी। गृह निर्माण अग्रिमों के 35 आवेदनों में नियमानुसार आवेदनों की पात्रता निर्धारित करने हेतु दस्तावेजों की छानबीन की।



श्रमिक मामलों के निपटान हेतु प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र धेंकनाल, र.अ.एवं वि.केन्द्र अन्डमान, के.प.स्टे. चेतकल, भा.र.ग.सं.फार्म, एच बी एस नेट्टना व परलियार, र.उ.विभाग की पौधशालाएं/प्रक्षेत्रों को आवश्यक सहायताएं प्रदान की। रबड़ अधिनियम/रबड़ नियम में रबड़ बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे तैयार किए।

हिंदी अनुभाग

रबड़ बोर्ड राजभाषा नियम के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय है।

रिपोटॉधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के हिंदी अनुभाग ने निम्नलिखित कार्य किए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

वर्ष के दौरान बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तीन बैठकें आयोजित कीं। कार्यसूचियाँ राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार तैयार कीं। बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत कीं तथा उन पर चर्चा की।

हिंदी सलाहकार समिति

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 1 सितंबर 2003 को संपन्न बैठक में अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया।

हिंदी पखवाडा/हिन्दी दिवस समारोह

बोर्ड के मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान में 15 सितंबर से 26 सितंबर 2003 तक हिन्दी पखवाडा समारोह का आयोजन किया तथा बोर्ड के 30 अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया।

बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कीं तथा इन प्रतियोगिताओं में काफी संख्या में अधिकारी/कर्मचारी भाग लिए।

हिंदी में द्वैमासिक बुलेटिन

वर्ष के दौरान हिन्दी द्वैमासिक बुलेटिन रबड़ समाचार का प्रकाशन जारी रखा। इन अंकों में अधिकारियों/कर्मचारियों/उनके परिवार सदस्यों की रचनाएं तथा विभिन्न उपयोगी सामग्रियाँ प्रकाशित कीं।

हिंदी शिक्षण योजना

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार ग क्षेत्र में हिंदी शिक्षण कार्य वर्ष 2005 तक पूरा किया जाना है। तदनुसार बोर्ड के मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान में हिंदी टंकण कक्षाएं आयोजित की क्योंकि कोर्टुयम में हिंदी शिक्षण योजना (टंकण) का कोई केन्द्र कार्यरत नहीं है। 11 पदधारी हिंदी टंकण पाठ्यक्रम में भाग लिए। वर्ष के दौरान 22 पदधारियों ने हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 15 ने हिंदी प्रबोध परीक्षा। वर्ष के दौरान 6 पदधारियों ने हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हेतु योग्य पदधारियों को नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन दिये गये।

हिंदी कार्यशाला

वर्ष के दौरान बोर्ड के 26 प्रादेशिक कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया। कुल 457 अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा में प्रशिक्षण दिया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

अध्यक्ष रबड़ बोर्ड, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के पद पर भी जारी रहे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोर समिति को एक-एक बैठक वर्ष के दौरान आयोजित की। नराकास के सदस्य कार्यालयों के पदधारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं संयुक्त हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया।

हिंदी पुस्तकालय

बोर्ड के हिन्दी अनुभाग के अधीन एक हिन्दी पुस्तकालय कार्यरत है।



भारत सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन नीति से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन अधिकारियों को दिये गये।

राजभाषा के प्रगामी पयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से एकत्रित कीं तथा संकलित कीं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व श्रेणीय कार्यान्वयन कार्यालय को अर्पित कीं।

अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

बोर्ड के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित कीं। इन समितियों की बैठकें सुनिश्चित कीं।

आज का शब्द

मुख्यालय में आज का शब्द लिखना जारी रखा तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी लिखना सुनिश्चित किया। अधीनस्थ कार्यालयों में *आज का शब्द* लिखने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदत्त किये।

हिंदी में मूल काम करने हेतु प्रोत्साहन योजना

हिन्दी में मूल रूप से काम करने हेतु अधिक पदधारियों को प्रोत्साहित किया। हिन्दी में टिप्पणी लिखने एवं मसौदा तैयार करने हेतु उन्हें आवश्यक सहायताएं प्रदत्त कीं। कुल 244 पदधारी इस प्रोत्साहन योजना में भाग लिए तथा इस योजना के अन्तर्गत उन्हें नकद पुरस्कार भी दिये गये।

राजभाषाई निरीक्षण

वर्ष के दौरान बोर्ड के 13 अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषाई निरीक्षण चलाये गये।

सामान्य

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र एवं आदेश जैसे दस्तावेज हिन्दी में अनुचित किए। इसी तरह, प्रपत्रों के हिंदी में अनुवाद तथा द्विभाषी रूप में प्रपत्रों का मुद्रण किया गया। हिंदी में प्राप्त पत्रों के

उत्तर हिंदी में देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। आवश्यकतानुसार संबंधितों को हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिए गए।

रबड़ बोर्ड के वेब साइट में शामिल करने हेतु रबड़ अधिनियम एवं नियम के हिंदी पाठ उपलब्ध कराए गए।

बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखाओं का अनुवाद हिंदी में किया गया तथा इसके द्विभाषी प्रकाशन हेतु आवश्यक सहायताएं प्रदान कीं।

अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में कार्य करनेवाले प्रभाग

प्रचार एवं जनसंपर्क प्रभाग

प्रचार एवं जनसंपर्क प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्न लिखित कार्य किये।

रबड़ मासिक

वर्ष के दौरान मासिक के 12 अंक प्रकाशित किए। औसत मासिक परिचालन 15,954 है। आजीवन ग्राहक 6,300 हैं।

रबड़ स्टैटिस्टिकल न्यूज़

वर्ष के दौरान रबड़ स्टैटिस्टिकल न्यूज़ के 12 अंक प्रकाशित किए गए।

इनसाइड रबड़ बोर्ड

इनसाइड रबड़ बोर्ड के 2 अंक प्रकाशित किए।

आकाशवाणी

प्रभाग के अधिकारियों द्वारा आकाशवाणी में भाषण रिकार्ड किए तथा जिनका प्रसारण किया गया। श्री के.डी.सेबास्टियन, प्रचार सह सूचना अधिकारी, श्री के.जी.सतीशकुमार, प्रचार सह सूचना अधिकारी तथा सहायक निदेशक (प्र) ने आकाशवाणी तिरुवनन्तपुरम द्वारा एक



एक भाषण दिए। रबड़ पर आकाशवाणी में रिकॉर्ड किये गये तथा प्रसारित किये गये 13 भागों के एक सिलसिलेवार कार्यक्रम के आयोजन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में सहायक निदेशक प्रचार ने कार्य किया।

संगोष्ठी एवं बैठकें

बोर्ड के कार्यकाल से संबंधित में कई संगोष्ठियों, बैठकों एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारी भाग लिये तथा भाषण दिये।

प्रदर्शनी

प्रभाग ने 11 प्रदर्शनियों में भाग लिये - याने:

- i. कूनूर में उपासी प्रदर्शनी
- ii. तोडुपुषा में कार्षिक मेला
- iii. बसेलियस कॉलेज कोट्टयम में प्रदर्शनी
- iv. कोट्टयम में इन्डेक्स
- v. अग्रिफेस्ट प्रदर्शनी, कण्णूर
- vi. कर्षकश्री कार्षिकमेला, पालक्काड
- vii. कार्षिक व्यापार मेला, पालोड
- viii. उत्तरपूर्वी व्यापार बैठक, नई दिल्ली
- ix. उत्तरपूर्वी व्यापार प्रदर्शनी 04, नई दिल्ली
- x. रबड़ टेक एक्सपो 04, मैसूर
- xi. इंडस्ट्रियल इंडिया ट्रेड फेयर, कोलकोता

आलेख

प्रभाग ने विभिन्न प्रकाशनों में आलेखों का प्रकाशन किया। इसके अलावा प्रभाग से 83 विज्ञापन एवं 35 प्रेस विज्ञापितियाँ जारी कीं।

रबड़ ग्रीवर्स कम्पानियन 2004

रबड़ ग्रीवर्स कम्पानियन 2004 की 9500 प्रतियाँ तथा रबड़ एण्ड इट्स कल्टिवेशन की 1000 प्रतियाँ का मुद्रण एवं वितरण किया गया।

सतर्कता प्रभाग

सतर्कता प्रभाग ने क एवं ख वर्ग के 17 अधिकारियों तथा ग एवं घ वर्ग के 15 कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों

के आधार पर कुल 32 शिकायतों पर रिपोर्ट वर्ष के दौरान पृछताछ/जांच की। सामान्यतया ये शिकायतें एक बागवान को सहायिकी मंजूर करने हेतु उनके प्रतिनिधियों से अनियमित रूप से पुरस्कार प्राप्त करने, पट्टेदार भूमि के बाहर के प्लॉट में एक रबड़ उत्पादक संघ के लाटेक्स एकत्रण केन्द्र/सामूहिक प्रक्रमण केन्द्र निर्माण करने के लिए अनुमति देकर बोर्ड को 4,08,000 रु. के नुकसान पहुँचाने तथा जिससे रबड़ उत्पाद संघ के अध्यक्ष को समान लाभ होने देने का आरोप, वैयक्तिक लाभ हेतु सरकारी पद का पूर्णतः दुरुपयोग करना, कार्य करते समय अनियमित आचार/अनुपयुक्त व्यवहार करना, कार्य स्थान से पलायन तथा कार्य की उपेक्षा जिससे बोर्ड की संपत्तियों का भारी नुकसान, लगातार विदेश में रहकर सरकारी कार्यों की उपेक्षा करना/अप्राधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहना, बोर्ड के निदेशों/आदेशों की अवज्ञा करना आदि पर थी।

बोर्ड के 19 पदधारियों के विरुद्ध 16 कठिन दण्ड कार्रवाई तथा 3 हल्की दण्ड कार्रवाई ली गयी।

क एवं ख वर्ग स्तर के सभी अधिकारियों से 31.12.2003 के अनुसार अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी मांगी गयी थी। इस तरह अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों पर उचित कार्रवाई की। सतर्कता प्रभाग ने अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 131 आवेदनों तथा चल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 89 आवेदनों पर कार्रवाई की।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार 3.11.2003 से 8.11.2003 तक की अवधि में बोर्ड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम की विशेषताओं में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा लेना, पोस्टर एवं बैनर लगाना, कॉलेज, हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रों व बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिताएं चलाना आदि सम्मिलित हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन समापन समारोह का भी आयोजन किया जिसमें सफल विद्यार्थियों/कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रों का वितरण किया।



रबड़ अनुसंधान

कोट्टयम में मुख्यालय के साथ भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान (आर आर आई आई) की संस्थापना वर्ष 1955 में हुई। संस्थान का मुख्य अनुसंधान प्रक्षेत्र केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिला में रात्री के चेत्तक्कल में 250 हे. क्षेत्र में स्थित है। इसके 9 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में फैले हुए हैं। उत्तर पूर्व के चार क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन मिलकर अगर्तला में मुख्यालय के साथ उत्तर पूर्वी अनुसंधान परिसर बनता है। संस्थान पौधा प्रजनन, जननद्रव्य परिरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, शोषण प्रौद्योगिकी, सस्य विज्ञान व मृदा विज्ञान, सस्य शरीरक्रिया विज्ञान, आर्थिकी एवं रबड़ प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्य चलाता है। संस्थान में 120 वैज्ञानिक तथा 320 समर्थक कर्मचारी हैं।

वनस्पति विज्ञान प्रभाग ने उच्च उत्पादन वाली उपजातियों विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य जारी रखे। प्रजनन, शरीर एवं कोशिका विज्ञान पर जांच जारी रखी। भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान द्वारा विकसित 400 शृंखला की उपजातियों (आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422, आर आर आई आई 429, आर आर आई आई 430) ने सर्वाधिक लोकप्रिय उच्च उत्पादक उपजाति आर आर आई आई 105 से बेहतर उत्पादन का प्रदर्शन जारी रखा। बड़े पैमाने के परीक्षणों में फसल सुधार 10 से 28 प्रतिशत तक रहा। इन उपजातियों को सम्मिलित करके कन्याकुमारी, अगर्तला एवं नागरकट्टा के बहुस्थानीय परीक्षणों में परीक्षण पेडों को टारपिंग हेतु काटा गया है। इन परीक्षणों में सर्वाधिक वृद्धि आर आर आई आई 429 उपजाति में देखी गयी। बोर्ड की रोपण सामग्री अनुशंसाओं में आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422 एवं आर

आर आई आई 430 को वर्ग ११ में उन्नत कर दिया है। महाराष्ट्र के दपचारी के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में आर आर आई आई 6, आर आर आई आई 208, एवं आर आर आई आई 105 से सर्वाधिक फसल प्राप्त हुई। प्रयोगशाला अध्ययन में टारपिंग पैन्तल शूक्कण (टी पी डी) से प्रभावित पेडों के पराग कणों ने अधिक बंध्यता प्रतिशत दिखाया। काष्ठ अध्ययन में आर आर आई आई 203 में अन्य अध्ययन की गयी उपजातियों की तुलना में सर्वाधिक धड़ आयतन देखा गया। अध्ययन से यह भी देखा गया कि एथिफॉन के लगातार प्रयोग से रबड़ काष्ठ की गुणता या परिमाण में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

जननद्रव्य प्रभाग में बिखाम एवं जंगली मूल दोनों जननद्रव्यों के परिरक्षण, लक्षण-वर्णन एवं मूल्यांकन जारी रखे। स्रोत झाड़ पौधाशालाओं के रूप में 600 जंगली अनुवृद्धियों व 4 नियंत्रणों का रोपण किया। उपज एवं अन्य स्वभाव गुण हेतु 22 चर्यान्त अनुवृद्धियों का उपजाति परीक्षण तैयार किया। उपजाति संग्रहालय में आठ नई उपजातियों सम्मिलित कीं। आर आर आई आई 105 की तुलना में आई आर सी ए उपजातियों में आई आर सी ए 130 एवं 111 की बेहतर मोटाई, धड़ आयतन एवं उपज है। प्राथमिक मूल्यांकन परीक्षणों में दो जंगली जननद्रव्यों ने आर आर आई आई 105 उपजाति से बेहतर उपज प्रदर्शन किया जबकि 14 अनुवृद्धियों को उपज नियंत्रण उपजाति से तुलनात्मक रही। 1989 स्रोत झाड़ पौधाशालाओं में पतझड़ एवं पुष्पण रिकॉर्ड किये गये। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन पडिपूर एवं प्रादेशिक परीक्षण स्टेशन नागरकट्टा में अनुवृद्धियों के लक्षण वर्णन जारी रखे। काष्ठ गुणता संबंधी परियोजना जारी रखी। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन दपचारी में 130 जंगली अनुवृद्धियों का रोपण सूखा निरीक्षण हेतु किया गया। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, नागरकट्टा में ठंड निरीक्षण



एक भाषण दिए। रबड़ पर आकाशवाणी में रिकॉर्ड किये गये तथा प्रसारित किये गये 13 भागों के एक सिलसिलेवार कार्यक्रम के आयोजन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में सहायक निदेशक प्रचार ने कार्य किया।

संगोष्ठी एवं बैठकें

बोर्ड के कार्यकलाप से संबंधित में कई संगोष्ठियों, बैठकों एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारी भाग लिये तथा भाषण दिये।

प्रदर्शनी

प्रभाग ने 11 प्रदर्शनियों में भाग लिये - याने:

- i. कूनूर में उपासी प्रदर्शनी
- ii. तोडुपुषा में कार्षिक मेला
- iii. बसेलियस कॉलेज कोर्टटयम में प्रदर्शनी
- iv. कोर्टटयम में इन्डेक्स
- v. अग्रिफेस्ट प्रदर्शनी, कण्णूर
- vi. कर्षकश्री कार्षिकमेला, पालक्काड
- vii. कार्षिक व्यापार मेला, पालोड
- viii. उत्तरपूर्वी व्यापार बैठक, नई दिल्ली
- ix. उत्तरपूर्वी व्यापार प्रदर्शनी 04, नई दिल्ली
- x. रबड़ टेक एक्सपो 04, मैसूर
- xi. इंडस्ट्रियल इंडिया ट्रेड फेयर, कोलकोता

आलेख

प्रभाग ने विभिन्न प्रकाशनों में आलेखों का प्रकाशन किया। इसके अलावा प्रभाग से 83 विज्ञापन एवं 35 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं।

रबड़ ग्रीवर्स कम्पानियन 2004

रबड़ ग्रीवर्स कम्पानियन 2004 की 9500 प्रतियाँ तथा रबड़ एण्ड इट्स कल्टिवेशन की 1000 प्रतियाँ का मुद्रण एवं वितरण किया गया।

सतर्कता प्रभाग

सतर्कता प्रभाग ने क एवं ख वर्ग के 17 अधिकारियों तथा ग एवं घ वर्ग के 15 कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों

के आधार पर कुल 32 शिकायतों पर रिपोर्ट वर्ष के दौरान पूछताछ/जांच की। सामान्यतया ये शिकायतें एक बागवान को सहायिकी मंजूर करने हेतु उनके प्रतिनिधी से अनियमित रूप से पुरस्कार प्राप्त करने, पट्टेदार भूमि के बाहर के प्लॉट में एक रबड़ उत्पादक संघ के लाटेक्स एकत्रण केन्द्र/सामूहिक प्रक्रमण केन्द्र निर्माण करने के लिए अनुमति देकर बोर्ड को 4,08,000 रु. के नुकसान पहुँचाने तथा जिससे रबड़ उत्पाद संघ के अध्यक्ष को समान लाभ होने देने का आरोप, वैयक्तिक लाभ हेतु सरकारी पद का पूर्णतः दुरुपयोग करना, कार्य करते समय अनियमित आचार/अनुपयुक्त व्यवहार करना, कार्य स्थान से पलायन तथा कार्य की उपेक्षा जिससे बोर्ड की संपत्तियों का भारी नुकसान, लगातार विदेश में रहकर सरकारी कार्यों की उपेक्षा करना/अप्राधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहना, बोर्ड के निर्देशों/आदेशों की अवज्ञा करना आदि पर थी।

बोर्ड के 19 पदधारियों के विरुद्ध 16 कठिन दण्ड कार्रवाई तथा 3 हल्की दण्ड कार्रवाई ली गयी।

क एवं ख वर्ग स्तर के सभी अधिकारियों से 31.12.2003 के अनुसार अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी मांगी गयी थी। इस तरह अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों पर उचित कार्रवाई की। सतर्कता प्रभाग ने अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 131 आवेदनों तथा चल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 89 आवेदनों पर कार्रवाई की।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार 3.11.2003 से 8.11.2003 तक की अवधि में बोर्ड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम की विशेषताओं में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा लेना, पोस्टर एवं बैनर लगाना, कॉलेज, हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रों व बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिताएं चलाना आदि सम्मिलित हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन समापन समारोह का भी आयोजन किया जिसमें सफल विद्यार्थियों/कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रों का वितरण किया।



रबड़ अनुसंधान

कोर्टयम में मुख्यालय के साथ भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान (आर आर आई आई) की संस्थापना वर्ष 1955 में हुई। संस्थान का मुख्य अनुसंधान प्रक्षेत्र केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिला में राजी के चेतक्कल में 250 हे. क्षेत्र में स्थित है। इसके 9 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में फैले हुए हैं। उत्तर पूर्व के चार क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन मिलकर अगर्तला में मुख्यालय के साथ उत्तर पूर्वी अनुसंधान परिसर बनता है। संस्थान पौधा प्रजनन, जननद्रव्य परिरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, शोषण प्रौद्योगिकी, सस्य विज्ञान व मृदा विज्ञान, सस्य शरीरक्रिया विज्ञान, आर्थिको एवं रबड़ प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्य चलाता है। संस्थान में 120 वैज्ञानिक तथा 320 समर्थक कर्मचारी हैं।

वनस्पति विज्ञान प्रभाग ने उच्च उत्पादन वाली उपजातियों विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य जारी रखे। प्रजनन, शरीर एवं कोशिका विज्ञान पर जांच जारी रखी। भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान द्वारा विकसित 400 शृंखला की उपजातियों (आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422, आर आर आई आई 429, आर आर आई आई 430) ने सर्वाधिक लोकप्रिय उच्च उत्पादक उपजाति आर आर आई आई 105 से बेहतर उत्पादन का प्रदर्शन जारी रखा। बड़े पैमाने की परीक्षाओं में फसल सुधार 10 से 28 प्रतिशत तक रहा। इन उपजातियों को सम्मिलित करके कन्याकुमारी, अगर्तला एवं नागरकट्टा के बहुस्थानीय परीक्षाओं में परीक्षण पेडों को टापींग हेतु काटा गया है। इन परीक्षाओं में सर्वाधिक वृद्धि आर आर आई आई 429 उपजाति में देखी गयी। बोर्ड की रोपण सामग्री अनुशंसाओं में आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422 एवं आर

आर आई आई 430 को वर्ग xx में उन्नत कर दिया है। महाराष्ट्र के दपचारी के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में आर आर आई आई 6, आर आर आई आई 208, एवं आर आर आई आई 105 से सर्वाधिक फसल प्राप्त हुई। प्रयोगशाला अध्ययन में टापींग पैनेल शुष्कण (टो पी डी) से प्रभावित पेडों के पराग कणों ने अधिक बंध्यता प्रतिशत दिखाया। काष्ठ अध्ययन में आर आर आई आई 203 में अन्य अध्ययन की गयी उपजातियों की तुलना में सर्वाधिक घड आयतन देखा गया। अध्ययन से यह भी देखा गया कि एथिफॉन के लगातार प्रयोग से रबड़ काष्ठ की गुणता या परिमाण में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

जननद्रव्य प्रभाग में विखाम एवं जंगली मूल दोनों जननद्रव्यों के परिरक्षण, लक्षण-वर्णन एवं मूल्यांकन जारी रहे। स्नेत झाड़ पौधाशालाओं के रूप में 600 जंगली अनुवृद्धियों व 4 नियंत्रणों का रोपण किया। उपज एवं अन्य स्वभाव गुण हेतु 22 चयनित अनुवृद्धियों का उपजाति परीक्षण तैयार किया। उपजाति संग्रहालय में आठ नई उपजातियाँ सम्मिलित कीं। आर आर आई आई 105 की तुलना में आई आर सी ए उपजातियों में आई आर सी ए 130 एवं 111 की बेहतर मोटाई, घड आयतन एवं उपज है। प्राथमिक मूल्यांकन परीक्षाओं में दो जंगली जननद्रव्यों ने आर आर आई आई 105 उपजाति से बेहतर उपज प्रदर्शन किया जबकि 14 अनुवृद्धियों को उपज नियंत्रण उपजाति से तुलनात्मक रही। 1989 स्नेत झाड़ पौधाशालाओं में पतझड़ एवं पुष्पण रिकॉर्ड किये गये। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन पंडिचूर एवं प्रादेशिक परीक्षण स्टेशन नागरकट्टा में अनुवृद्धियों के लक्षण वर्णन जारी रखे। काष्ठ गुणता संबंधी परियोजना जारी रखी। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन दपचारी में 130 जंगली अनुवृद्धियों का रोपण सूखा निरीक्षण हेतु किया गया। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, नागरकट्टा में ठंड निरीक्षण



एक भाषण दिए। रबड़ पर आकाशवाणी में रिकॉर्ड किये गये तथा प्रसारित किये गये 13 भागों के एक सिलसिलेवार कार्यक्रम के आयोजन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में सहायक निदेशक प्रचार ने कार्य किया।

संगोष्ठी एवं बैठकें

बोर्ड के कार्यकलाप से संबंधित में कई संगोष्ठियाँ, बैठकें एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारी भाग लिये तथा भाषण दिये।

प्रदर्शनी

प्रभाग ने 11 प्रदर्शनियों में भाग लिये - याने:

- कूनूर में उपासी प्रदर्शनी
- तोड़पुषा में कार्षिक मेला
- बसेलियस कॉलेज कोर्टटयम में प्रदर्शनी
- कोर्टटयम में इन्डेक्स
- अग्रिफेस्ट प्रदर्शनी, कण्णूर
- कर्षकश्री कार्षिकमेला, पालक्काड
- कार्षिक व्यापार मेला, पालोड
- उत्तरपूर्वी व्यापार बैठक, नई दिल्ली
- उत्तरपूर्वी व्यापार प्रदर्शनी 04, नई दिल्ली
- रबड़ टेक एक्सपो 04, मैसूर
- इंडस्ट्रियल इंडिया ट्रेड फेयर, कोलकोता

आलेख

प्रभाग ने विभिन्न प्रकाशनों में आलेखों का प्रकाशन किया। इसके अलावा प्रभाग से 83 विज्ञापन एवं 35 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं।

रबड़ ग्रावर्स कम्पानियन 2004

रबड़ ग्रावर्स कम्पानियन 2004 की 9500 प्रतियाँ तथा रबड़ एण्ड इट्स कल्टिवेशन की 1000 प्रतियों का मुद्रण एवं वितरण किया गया।

सतर्कता प्रभाग

सतर्कता प्रभाग ने क एवं ख वर्ग के 17 अधिकारियों तथा ग एवं घ वर्ग के 15 कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों

के आधार पर कुल 32 शिकायतों पर रिपोर्ट वर्ष के दौरान पृष्ठताछ/जांच की। सामान्यतया ये शिकायतें एक बागवान को सहायिकी मंजूर करने हेतु उनके प्रतिनिधि से अनियमित रूप से पुरस्कार प्राप्त करने, पट्टेदार भूमि के बाहर के प्लॉट में एक रबड़ उत्पादक संघ के लाटेक्स एकत्रण केन्द्र/सामूहिक प्रक्रमण केन्द्र निर्माण करने के लिए अनुमति देकर बोर्ड को 4,08,000 रु. के नुकसान पहुँचाने तथा जिससे रबड़ उत्पाद संघ के अध्यक्ष को समान लाभ होने देने का आरोप, वैयक्तिक लाभ हेतु सरकारी पद का पूर्णतः दुरुपयोग करना, कार्य करते समय अनियमित आचार/अनुपयुक्त व्यवहार करना, कार्य स्थान से पलायन तथा कार्य की उपेक्षा जिससे बोर्ड की संपत्तियों का भारी नुकसान, लगातार विदेश में रहकर सरकारी कार्यों की उपेक्षा करना/अप्राधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहना, बोर्ड के निदेशों/आदेशों की अवज्ञा करना आदि पर थी।

बोर्ड के 19 पदधारियों के विरुद्ध 16 कठिन दण्ड कार्रवाई तथा 3 हल्की दण्ड कार्रवाई ली गयी।

क एवं ख वर्ग स्तर के सभी अधिकारियों से 31.12.2003 के अनुसार अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी मांगी गयी थी। इस तरह अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों पर उचित कार्रवाई की। सतर्कता प्रभाग ने अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 131 आवेदनों तथा चल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 89 आवेदनों पर कार्रवाई की।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार 3.11.2003 से 8.11.2003 तक की अवधि में बोर्ड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम की विशेषताओं में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा लेना, पोस्टर एवं बैनर लगाना, कॉलेज, हाई स्कूल/हायर सेकन्डरी स्कूल छात्रों व बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिताएं चलाना आदि सम्मिलित हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन समापन समारोह का भी आयोजन किया जिसमें सफल विद्यार्थियों/कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रों का वितरण किया।



रबड़ अनुसंधान

कोर्टटयम में मुख्यालय के साथ भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान (आर आर आई आई) की संस्थापना वर्ष 1955 में हुई। संस्थान का मुख्य अनुसंधान प्रक्षेत्र केरल राज्य के पत्तनमलिट्टा जिला में राप्ती के चेतक्कल में 250 हे. क्षेत्र में स्थित है। इसके 9 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में फैले हुए हैं। उत्तर पूर्व के चार क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन मिलकर अगर्तला में मुख्यालय के साथ उत्तर पूर्वी अनुसंधान परिसर बनता है। संस्थान पौधा प्रजनन, जननद्रव्य परिरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, शोषण प्रौद्योगिकी, सस्य विज्ञान व मृदा विज्ञान, सस्य शरीरक्रिया विज्ञान, आर्थिक एवं रबड़ प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्य चलाता है। संस्थान में 120 वैज्ञानिक तथा 320 समर्थक कर्मचारी हैं।

वनस्पति विज्ञान प्रभाग ने उच्च उत्पादन वाली उपजातियों विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य जारी रखे। प्रजनन, शरीर एवं कोशिका विज्ञान पर जांच जारी रखी। भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान द्वारा विकसित 400 श्रृंखला की उपजातियों (आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422, आर आर आई आई 429, आर आर आई आई 430) ने सर्वाधिक लोकप्रिय उच्च उत्पादक उपजाति आर आर आई आई 105 से बेहतर उत्पादन का प्रदर्शन जारी रखा। बड़े पैमाने के परीक्षणों में फसल सुधार 10 से 28 प्रतिशत तक रहा। इन उपजातियों को सम्मिलित करके कन्याकुमारी, अगर्तला एवं नागरकट्टा के बहुस्थानीय परीक्षणों में परीक्षण पेडों को टारिंग हेतु काटा गया है। इन परीक्षणों में सर्वाधिक वृद्धि आर आर आई आई 429 उपजाति में देखी गयी। बोर्ड की रोपण सामग्री अनुसंधानों में आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422 एवं आर

आर आई आई 430 को वर्ग ५ में उन्नत कर दिया है। महाराष्ट्र के दपचारी के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में आर आर आई आई 6, आर आर आई आई 208, एवं आर आर आई आई 105 से सर्वाधिक फसल प्राप्त हुई। प्रयोगशाला अध्ययन में टारिंग पैनेल शुष्कण (टी पी डी) से प्रभावित पेडों के पराग कणों ने अधिक बंध्यता प्रतिशत दिखाया। काष्ठ अध्ययन में आर आर आई आई 203 में अन्य अध्ययन की गयी उपजातियों की तुलना में सर्वाधिक थड आयतन देखा गया। अध्ययन से यह भी देखा गया कि एथिफोन के लगातार प्रयोग से रबड़ काष्ठ की गुणता या परिमाण में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

जननद्रव्य प्रभाग में विखाम एवं जंगली मूल दोनों जननद्रव्यों के परिरक्षण, लक्षण-वर्णन एवं मूल्यांकन जारी रखे। खोत झाड पौधाशालाओं के रूप में 600 जंगली अनुवृद्धियों व 4 नियंत्रणों का रोपण किया। उपज एवं अन्य स्वभाव गुण हेतु 22 चयनित अनुवृद्धियों का उपजाति परीक्षण तैयार किया। उपजाति संग्रहालय में आठ नई उपजातियाँ सम्मिलित कीं। आर आर आई आई 105 की तुलना में आई आर सी ए उपजातियों में आई आर सी ए 130 एवं 111 की बेहतर मोटाई, थड आयतन एवं उपज है। प्राथमिक मूल्यांकन परीक्षणों में दो जंगली जननद्रव्यों ने आर आर आई आई 105 उपजाति से बेहतर उपज प्रदर्शन किया जबकि 14 अनुवृद्धियों की उपज नियंत्रण उपजाति से तुलनात्मक रही। 1989 खोत झाड पौधाशालाओं में पतझड एवं पुष्पण रिकॉर्ड किये गये। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन पडियूर एवं प्रादेशिक परीक्षण स्टेशन नागरकट्टा में अनुवृद्धियों के लक्षण वर्णन जारी रखे। काष्ठ गुणता संबंधी परियोजना जारी रखी। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन दपचारी में 130 जंगली अनुवृद्धियों का रोपण सूखा निरीक्षण हेतु किया गया। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, नागरकट्टा में ठंड निरीक्षण



जारी रखा। सूखा रोधिता हेतु जंगली अनुवृद्धियों का क्षेत्र-स्तरीय निरीक्षण पौधा शरीरक्रिया विज्ञान प्रभाग के सहयोग से केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन, चेन्नैकल में किया गया। प्रमुख रोगों के जंगली जीनरूपों का क्षेत्र स्तरीय निगरानी सहित निरीक्षण जारी रखा। चूणिल आसिता रोग रोधिता हेतु 35 अनुवृद्धियों को सूचिवद्ध किया है। पेडी पौधों के अध्ययन में पॉली बैग पौधों की तुलना में पेडी पौधों की वृद्धि तीन गुना तेज़ पायी गयी।

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग में कायिक भूणोद्भव पर अध्ययन जारी रखे। भूण उत्प्रेरण तथा पौधा पुनरुज्जीवन के लिए पोषक एवं वृद्धि नियंत्रक आवश्यकताओं को और श्रेष्ठतम बनाने हेतु कार्य चल रहा है। आर आर आई आई 105 उपजाति के कायिक भूणोद्भव द्वारा विकसित ऊतक संवर्द्धन पौधों को केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन चेन्नैकल में एक और क्षेत्र परीक्षण में लगा दिए। पत्र एवं बीजाण्ड संवर्द्धन से ऊतक संवर्द्धित पौधों को विकसित करने का प्रयास शुरू किया। अगुणित एवं त्रिगुणित पौधों को विकसित करने के लिए पराग कणों एवं भूणपोष ऊतकों का संवर्द्धन किया है। ट्रान्सजेनिक पौधों में सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस किण्वक की अधिक अभिव्यक्ति पायी गयी। सभी ट्रान्सजेनिक पौधों का बड ग्रॉफ़िटिंग द्वारा गुणन किया। रोग रोधिता में शामिल बीटा-1, 3-ग्लूकनेस जीन को क्लोन किया तथा संरचनात्मक व्याख्या दी गयी। हीविचा के ऑसिंक सी- डी एन ए लाइब्ररियों विकसित कीं। उन्नत अणुसंख्यता अध्ययन जारी रखा।

शोषण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम आवृत्ति के टापींग संबंधी परीक्षण जारी रखे। कुलशेखरम क्षेत्र में वर्षा रक्षक के साथ कम आवृत्ति के टापींग पर अध्ययन अवसंरचना तैयार की। एक वर्ष के आंकड़ों में कुलशेखरम क्षेत्र में साप्ताहिक टापींग सफल देखा गया बशर्ते कि वर्षा रक्षक अपनाया हो। जी टी 1 उपजाति में साप्ताहिक टापींग पर कर्नाटक में 30 हेक्टेयर का एक नया परीक्षण शुरू किया। प्रयोगशाला से कृषि भूमि कार्यक्रम के अन्तर्गत कम आवृत्ति के टापींग को कई बागानों में अपनाया है जिसका

कुल क्षेत्र विस्तार 20000 है. से भी अधिक है। तीन बागानों ने पूर्ण रूप से साप्ताहिक टापींग में बदल गया है। 4 दिनों में एक (डी/4) और 6 दिनों में एक (डी/6) के अधीन कम आवृत्ति ऊर्ध्वमुखी टापींग पर तीन परीक्षण शुरू किये गये हैं।

लाटेक्स निरूपण इकाई में 206 छोटी जोतों में जाँच चलायी गयी। आर आर आई आई 400 श्रेणी की उपजातियों के लिए प्राचलों का भी आकलन किया गया। चेरुवल्ली एस्टेट में उपजाति पी बी 260 के लाटेक्स निरूपण के लिए क्षेत्र स्तरीय परीक्षण चालू किया गया।

सस्य विज्ञान/मृदा प्रभाग ने अन्तरासस्यन व फसलन प्रणाली सम्मिलित कृषि प्रबंधन तकनीकियाँ, जल संरक्षण, खर पतवार प्रबंधन, पोषक प्रबंधन आदि पर अनुसंधान कार्य जारी रखे। 14 मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं के अधीन 53 परीक्षण थे। एक परीक्षण से पता चला कि नाइट्रोजन एवं पोटासियम की अधिक मात्रा के उपयोग के परिणाम अधिक वृद्धि और अधिक फसल रहे। गाद भरे गड्ढों के क्षेत्र स्तरीय परीक्षणों से देखा गया कि प्रति हेक्टेयर 250 गड्ढे इष्टतम हैं। एक अन्य अध्ययन से देखा गया कि जैव खाद के प्रयोग से अपक्व पौधों की वृद्धि में कोई लाभकारी प्रभाव नहीं होता है।

डी आर आई एस इकाई ने रबड़ के पोषक-तत्व पहलुओं, मृदा उर्वरता एवं ढलान के संबंध में मृदा-जल प्रवृत्ति पर जाँच की। छोटी जोतों की सलाहकारी सेवा जारी रखी। कुल 8914 मृदा नमूनों एवं 1420 पत्रक नमूनों का विश्लेषण किया गया तथा छोटे कृषकों को 4600 खाद अनुशंसाएं दे दीं। बागान क्षेत्र में 553 क्षेत्रों को ऐसी अनुशंसाएं प्रदान कीं। मृदा एवं पत्ता विश्लेषण के अलावा 39311 लाटेक्स नमूनों का विश्लेषण शुक्र रबड़ संघटक के लिए किया गया तथा 257 नमूनों का बाणशील वसा अम्ल हेतु विश्लेषण किया गया। वर्ष के दौरान 53 चल मृदा परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन छोटे कृषकों को खाद अनुशंसाएं देने हेतु किया गया।



पोधा रोगविज्ञान प्रभाग ने रोग एवं कीटों के नियंत्रण, रोग व मौसम संबंध, बहिष्कार प्रबंधन, मृदा सूक्ष्म जैविकी एवं आण्विक रोग विज्ञान पर अनुसंधान जारी रखा। मे.हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन द्वारा विकसित छिड़काव तेल रबड़ में वाणिज्यिक उपयोग हेतु अनुमोदित किया। भारी परिमाण के छिड़काव परीक्षण में बोर्डो मिश्रण के साथ रबड़ बीज तेल के मिलाने से बेहतर रोग नियंत्रण देखा गया। लोकप्रिय उपजातियों में असाधारण पत्ती सड़न रोग के कारण फसल नुकसान पर मूल्यांकन परीक्षण पूरा हुआ। आंकड़ों ने आर आर आई एन 600 में भारी फसल नुकसान दिखाया। यह भी देखा गया कि रोग नियंत्रण हेतु छिड़काव किये क्षेत्रों में काष्ठ का परिमाण अधिक रहा। आर आर आई आई 400 श्रेणी की उपजातियों में असाधारण पत्ती सड़न रोग के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु क्षेत्र स्तरीय परीक्षण शुरू किये गये। वल्क भक्षक इल्लियों के कवक के प्रयोग करके जैविक नियंत्रण प्रभावी नहीं देखा गया। चेषक भृंगों के नियंत्रण हेतु कारबोरिल 0.5 प्रतिशत के साथ 0.05 प्रतिशत लाम्ब्डा साइहालोथ्रिन के मिश्रण का प्रयोग प्रभावी देखा गया। आण्विक अध्ययनों से देखा गया कि असाधारण पत्ती सड़न रोग का कारण फाइटोफ्थोरा मेइदी ही है। कोरिन्सेस्पोरा पर आण्विक अध्ययन जारी रखा। टापींग पैनल शुष्कन के फैलाव पर अध्ययन चलाया गया।

रबड़ के मूल परिवेषी से प्रदीप्त राइजोबैक्टिरिया को अलग कर दिया तथा फोस्फेट विलेयीकरण मुख्य रोग जनकों के प्रति विरोध, सिडेरोफोर्स के उत्पादन की क्षमता की जांच की गयी। कई उपयोगी एककों की पहचान की गयी। म्यूकुगा के जड़ गोटों से राइसोबिया को अलग करने तथा नाइट्रोजिनेस क्रियाकलाप का मूल्यांकन किया गया।

वर्षा एवं फसल के संबंध के अध्ययन हेतु हर क्षेत्र से टापींग दिनों, फसल और मौसम के आंकड़े एकत्रित किये गये।

पोधा शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा वृद्धि, विकास एवं प्रतिबल शरीरक्रिया व टापींग पैनल शुष्कन आदि के विभिन्न पहलुओं पर कार्य जारी रखे। उच्च उपज की भविष्यवाणी करने हेतु

सूचक के रूप में लाटेक्स में उच्च ए टी पी (एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट) संघटक, टापींग पैनल शुष्कण प्रभावित पेड़ों में उच्च एथलीन उत्पादन, जननद्रव्य सामग्री वर्ग के पेड़ों से अधिक मोटाईवाले एवं कम मोटाईवाले पेड़ों में उच्चतर आनुवंशिक अंतर आदि इस अवधि की मुख्य खोजें रहीं। मृदा नमी प्रतिबल से उत्पन्न पत्तों के पीला पड़ने, सूख जाने तथा जीर्णता हेतु 600 जननद्रव्य कतारों में गणना कार्य किया गया। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, दपचारी से चयनित 10 एच पी उपजातियों का अपचायी प्रतिबल सहनशीलता की जांच की गयी तथा उपजातियों को श्रेणीबद्ध किया। रबड़ के अपक्व चरण में पतितमकम (सीसापिर्निया सावन) नामक औषधीय झाड़ों व पक्व चरण के दौरान छाया सहा काष्ठ वृक्ष महागणी (स्वेटीनिसा महागणी) व आंजिली (आर्टोकार्पस हर्स्ट्रेट) को अन्तराफसल के रूप में लगाने का अध्ययन शुरू किया। मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रेम वक्रे कन्वेंशन (यू एन एफ सी सी-1991) के पार्टियों के 9 वीं सम्मेलन में रबड़ वागानों द्वारा कार्बन प्रचुनन समस्या उठाने हेतु आई आर आर डी बी की बैठकों में प्रभाग भाग लिए।

जीनोम विश्लेषण प्रयोगशाला में आनुवंशिक संबंध अध्ययन, कृषिजोपजाति पहचान, जीनोम मैपिंग हेतु आण्विक मार्करों के विकास तथा जैविक व अजैविक प्रतिबल सहनशीलता हेतु आनुवंशिक मार्करों के विकास और रबड़ के कवक रोगजनकों के आण्विक संरचना के विकास हेतु कार्य जारी रखा। चयनित हिबिया जिनोम उपजातियों के अनुक्रमण से सामान्य एवं संयुक्त पुनरावर्तन विशेषताओं वाले 59 सूक्ष्म साटलाइटों की उपस्थिति का पता चला। हीबिया के प्राक्कलित अणुित जीनोम आकार 4×10^8 बी पी में प्रति उपजाति 650 बी पी के औसतन सन्निवेश आकार के आधार पर तत्करीबन 48×10^3 बी पी का अनुक्रमण किया तथा विभिन्न पुनरावर्तन मूल भावों की पहचान की गयी। एन सी बी आई जीन बैंक, अमरिका के साथ 29 जीनरूप अनुक्रमणों का पंजीकरण किया गया। हिबिया में रोग रोधी जीन को पहचानने की वैकल्पिक नीति, प्रतिरोधक जीन अनुरूप, प्रगति में है। कोलेटोट्रिकम



के विभिन्न प्रजातियों की पहचान हेतु आण्विक अध्ययन जारी रखे। जीन बैंक में दो अंककों (निशानों) का पंजीकरण किया।

रबड़ प्रौद्योगिकी प्रभाग ने विभिन्न रबड़ उत्पादक क्षेत्र के रबड़ शीटों की गुणता पर सर्वेक्षण जारी रखा। पापैन के छः नमूनों का मूल्यांकन प्रयोगशाला स्तर पर किया गया तथा स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स के डीप्रोटिनिकरण में प्रभावी देखे गये हैं। स्किम लाटेक्स के विशेष उपचार के परिणाम स्वरूप वर्द्धित भौतिक विशेषताएँ और काल प्रभावन गुणों से युक्त स्किम लाटेक्स प्राप्त हुआ। इसके प्लस्टिकता धारण सूचकांक सुधारने के परीक्षण जारी रखे। 50 कि.ग्रा. इ एन आर 50 का उत्पादन किया तथा औद्योगिक मूल्यांकन हेतु पूर्ति की और संतोषजनक पाया गया। आई एस एन आर 3 एल एवं 3 सी वी श्रेणी के अच्छे गुणवत्तायुक्त शीट रबड़ हस्त्वधि परिरक्षण प्रणाली द्वारा परिरक्षित फील्ड लाटेक्स से तैयार किया जा सकता है। फील्ड कोयागुलम के परिरक्षण, स्वाभाविक रबड़/पॉली प्रोपलीन, स्वाभाविक रबड़/पॉली एथलीन मिश्रण, विभिन्न रबड़ों के लिए प्रबलन रूपांतरक के रूप में इ एन आर, स्वाभाविक रबड़ के नैनोक्ले प्रबलन एवं अपकेन्द्रित लाटेक्स के त्वरित गुणता मूल्यांकन परीक्षण पर अध्ययन जारी रखे। आर आर आई आई 400 श्रेणी की उपजातियों के लाटेक्स एवं कच्चे रबड़ की विशेषताओं का उसके जनक उपजातियों आर आर आई आई 105 एवं आर आर आई सी 100 की तुलना में मूल्यांकन किया गया। वल्कनीकरण पूर्व लाटेक्स एवं (डीप्रोटिनिकृत) लाटेक्स के भंडारण स्वभावों का निर्धारण किया गया। ज्वलन रोधी संवाहक पट्टा आवरण मिश्रण पर एक प्रायोजित परियोजना शुरू की गयी। स्वाभाविक रबड़/पी वी सी के मिश्रणों के अध्ययन से देखा कि स्वाभाविक रबड़/पॉली मिथाइल मेथाक्रिलेट ग्राफ्ट मिलाने से उनके वल्कनन गुणों में सुधार हुए।

रबड़ आवृत संवहन पट्टियों एवं ब्रेक कपों के उत्पादन की प्रौद्योगिकियाँ क्रमशः मे.एस वी जी आचार्या, आंध्र प्रदेश एवं मे.पेरुमलिल रबड़ इंस्टीट्यूट कोट्टयम को हस्तांतरित कीं।

आर्थिकी प्रभाग ने रबड़ और रबड़ उत्पादों के विश्व व्यापार एवं टैरिफ-नीति, केरल में स्वाभाविक रबड़ खेती का विस्तार, मलेशिया में लाटेक्स काष्ठ बागानों का विकास, भारत में स्वाभाविक रबड़ व्यापार, भारत में रबड़ बागानों के अन्दर मधु-मक्खी पालन का प्रोत्साहन एवं बागान क्षेत्र में कम आवृत्ति की टांपिंग प्रणाली अपनाने का रुख पर अध्ययन जारी रखे। प्रभाग ने विभिन्न पहलुओं पर कई प्रकाशन प्रकाशित किये।

कर्नाटक में दक्षिण कानरा जिला के **हीविद्या प्रजनन केन्द्र** में उपजातियों एवं ऑटेट सेलेक्शनों की वृद्धि, फसल एवं रोग रोधिता पर मूल्यांकन जारी रखे। इस अवधि के दौरान विभिन्न उपजातियों पर शोषण परीक्षण भी जारी रखे। 1987 परीक्षण में पी बी 235 उपजाति ने सर्वाधिक उपज दर्ज की जबकि आर आर आई आई 300 ने निम्नतम उपज दी। 1988 परीक्षण में आर आर आई आई 208 उपजाति ने बेहतर वृद्धि एवं उपज का प्रदर्शन किया। कम आवृत्ति की टांपिंग में आर आर आई आई 105 उपजाति ने अच्छा निष्पादन दिखाया। बड़े पैमाने के परीक्षण में पी बी 235, आर आर आई आई 118 एवं आर आर आई आई 203 से अच्छी वृद्धि देखी गयी जबकि छोटे पैमाने के परीक्षणों में पी बी 260, आर आर आई सी 100 एवं आर आर आई आई 308 ने तुलनात्मक तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया। आर आर आई आई 400 श्रेणी के नवीन संकर उपजातियों में आर आर आई आई 422 उपजाति अच्छी तरह लग गयी हैं। आर आर आई आई 414 ने बेहतर ओजस्विता दिखायी तथा इसके पीछे हैं आर आर आई आई 429 एवं आर आर आई आई 430। आर आर आई आई 105, पी आर 255, पी आर 261 एवं पी बी 28/59 उपजातियों इस रांग के प्रति अधिक संवेदनशील पायी गयी। आर आर आई एम 600 एवं जी टी 1 उपजातियों ने प्रतिरोध दिखाया। रोग को कवकनाशी के प्रयोग से प्रभावी रूप में नियंत्रित किया जा सकता है। अन्य एक अध्ययन में जून एवं जुलाई महीने में असाधारण पतझड़ रोग का प्रकोप अधिक पाया गया तथा आर आर आई एम 600, पी बी 235 एवं पी बी 311 उपजातियों इसके प्रति अधिक संवेदनशील रहें।



कन्याकुमारी जिला के हीविआ प्रजनन उपकेन्द्र में भी इस अवधि के दौरान विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों की अच्छी प्रगति हुई। लाटेक्स-काष्ठ उपजातियाँ एवं ओइडियम रोधितायुक्त उपजातियों को विकसित करने हेतु परागण कार्य किया गया। प्रक्षेत्र स्तर पर मूल्यांकन हेतु 400 श्रेणी की उपजातियों के एक-एक ब्लॉक का रोपण किया। हीविआ हेतु रूट ट्रेन्सर रोपण तकनीक का मानकीकरण कार्य जारी रखा।

दपचारी के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में चालू सभी 10 परियोजनाओं की इस अवधि के दौरान अच्छी प्रगति हुई। सिंचाई परीक्षणों में द्रम्य सिंचाई की तुलना में थाला सिंचाई प्रणाली में तुलनात्मक रूप से उच्च मोटाई एवं अधिक उपज रिकार्ड की गयी। 14 वर्षों के प्रति पेड़ संचित फसल 1.00 ईं टी सी थाला सिंचाई के अधीन प्राप्त हुई। सूखा प्रतिबल पर प्रयोग एवं छाया अध्ययन ने सूचित किया कि मृदा नमी की कमी ने प्रकाश-संश्लेषण दरों का अवरोधन आर आर आई आई 105 एवं आर आर आई एम 600 में अधिक है। कम पानी की स्थिति में पौधों में बेहतर प्रकाश संश्लेषण बनाए रखने में आंशिक छाया सहायक रही। उद्घौपन एवं विश्राम अवधि के साथ कम आवृत्ति के टॉपिंग प्रयोग, उपजाति मूल्यांकन परीक्षण, बहु उपजाती मूल्यांकन परीक्षण एवं सूखा रोधिता हेतु जंगली हीविआ जननद्रव्य की जांच प्रगति में है।

इस अवधि के दौरान **प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन उडीसा** के सभी चालू 8 अनुसंधान परियोजनाओं की अच्छी प्रगति हुई। 1987 उपजाति परीक्षण में जी टी 1 एवं आर आर आई एम 600 उपजातियों ने आर आर आई आई 105 से अधिक उपज दर्ज की। 1990 के उपजाति परीक्षण में सबसे अधिक मोटाई एस सी ए टी सी 93/114 एवं आर आर आई आई 208 ने दिखाई। फसल में एस सी ए टी सी 88/13, आर आर आई आई 208 एवं आर आर आई एम 600 आगे रहीं। एस सी ए टी सी 93/114 में कम उपज दर्ज की गयी। 1991 उपजाति परीक्षण में जी टी 1 उपजाति को मोटाई सर्वाधिक दर्ज की गयी। इससे पीछे आर आर

आई सी 102 एवं आर आर आई आई 208 रहीं। 1996 क्लोन परीक्षण में आर आर आई आई 430 को मोटाई बेहतर रही जिसके पीछे आर आर आई आई 417 रही। सबसे कम मोटाई आर आर आई आई 414 की रही। आगे के चयन एवं मूल्यांकन हेतु ग्यारह बहुउपजातीय पेड़ों की पहचान की गयी। सबसे अधिक मोटाई पेड़ सं.471 (104.4 से.मी.) तथा जिसके पीछे पेड़ सं.482 (103.1 से.मी.) दर्ज की गयी। सबसे अधिक उपज पेड़ सं.220 (79.4 ग्राम प्रति पेड़ प्रति टॉपिंग) में दर्ज की तथा जिसके पीछे पेड़ सं.234 (78.3 ग्राम./पेड़/टॉपिंग) दर्ज की। स्टेशन में खाद परीक्षण में सर्वाधिक मोटाई 60:60:24 कि.ग्रा./हे. की दर पर एन पी के प्रयोग में प्राप्त हुई।

इस अवधि के दौरान **प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन पडिचूर** उत्तर केरल की 10 चालू अनुसंधान परियोजनाओं की अच्छी प्रगति हुई। स्टेशन में चलाये जा रहे सिंचाई परीक्षणों में मोटाई में सिंचाई की सकारात्मक प्रतिक्रिया रही। अम्बलवयल (कैचास्थान) में चलाये जा रहे क्लोन परीक्षण में ओटेट चयन इरिट्टी 1, पनमरम 1 एवं पनमरम 270 और पी बी 86 उपजाति ने आर आर आई आई 105 उपजाति से अधिक मोटाई प्राप्त की।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, अगर्तला में इस अवधि के दौरान 24 अनुसंधान परियोजनाएँ प्रगति में रहीं। खाद परीक्षणों में देखा गया कि 60:60 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर पर नाइट्रोजन एवं स्फुर के प्रयोग से उपज में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अपक्व चरण में 20 कि.ग्रा. प्रति पेड़ की दर पर खाद प्रयोग से वृद्धि अधिक रही। स्टेशन में आर आर आई आई 208 उपजाति की उपज अधिक रही। बेहतर फसल प्रदर्शित अन्य उपजातियाँ हैं आर आर आई आई 118, पी बी 86 एवं आर आर आई एम 600। चाय के अन्तरासस्यन परीक्षण में हरी चाय की उपज 2183 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर रही।

इस अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के **अनुसंधान परिसर गुआहटी** की 15 चालू अनुसंधान परियोजनाओं की अच्छी प्रगति हुई। परीक्षणों के परिणामों में आर आर आई



एम 600 उपजाति ने दोनों वृद्धि एवं उपज में श्रेष्ठता दिखायी। उर्वरक प्रयोग में एन पी के के 60:40:40 कि.ग्रा./हे./वर्ष की दर पर प्रयोग ने सर्वाधिक उपज प्रतिक्रिया दर्ज की। अपक्व चरण में 60 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर पर सुपर फॉस्फेट के प्रयोग ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। 7 उद्दीपनों एवं गाड़े के मौसम में 3 महीने के विश्राम के साथ चार दिनों में एक टापींग में फसल एवं शुक्ल रबड़ संघटक सर्वाधिक रहे। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के 26 विभिन्न रबड़ खेतीवाले इलाके के 58 स्थानों पर रबड़ के कीट एवं रोगों पर सर्वेक्षण चलाया गया। अधिकतर स्थानों पर भिन्न तीव्रता स्तर में चूर्णिल आसिता रोग देखा गया। एस सी ए टी सी 88/13, एस सी ए टी सी 93/114, पी बी 86 आर आर आई सी 100, 82/29, आर आर आई आई 208, आर आर आई आई 203, आर आर आई एम 703 एवं हेकन 1 उपजातियों ने रोग के प्रति सहनशीलता दर्शायी।

नागरकट्टा के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में इस अवधि के दौरान 13 चालू परियोजनाओं की अच्छी प्रगति हुई। चीनी उपजाति एस सी ए टी सी 93/114 की वृद्धि एवं उपज में प्रतिक्रिया उत्कृष्ट रही। चाय के साथ रोपण करने पर रबड़ की वृद्धि बेहतर रही। क्षेत्र के लिए तीसरे दिन की टापींग अधिक उपयुक्त पायी गयी।

मेघालय में **तुरा के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन** में आर आर आई एम 600, आर आर आई आई 203 एवं पी बी 235 उपजातियों की वृद्धि श्रेष्ठ रही। आर आर आई एम 600 एवं पी बी 311 की फसल प्रतिक्रिया बेहतर रही। लोवर ब्रह्मपुत्रा तराई में अपक्व रबड़ के लिए 40:20:20

कि ग्रा प्रति हे. एन पी की उर्वरक मात्रा उपयुक्त पाई गयी जबकि गाड़ो हिल्स में 60:40:40 कि ग्रा प्रति हेक्टेयर की मात्रा उपयुक्त रही। इस अवधि के दौरान विभिन्न उपजातियों के पत्तों के पोषक संघटकों पर अध्ययन शुरू किया गया।

13 से 19 सितंबर 2003 तक चियांग माइ में संपन्न इंटरनाशनल रबड़ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट बोर्ड (आई आर आर डी बी) के सिंपोसियम में निदेशक (अनुसंधान), उपनिदेशक (शोषण) एवं उप निदेशक (पौधा शरीरक्रिया विज्ञान) भाग लिए। वे आई आर आर डी बी सदस्यों एवं आई आर आर डी बी संपर्क अधिकारियों की संयुक्त बैठक में भी भाग लिए। रबड़ प्रौद्योगिकी, शोषण प्रौद्योगिकी एवं कार्बन प्रच्छादन के क्षेत्रों पर चार अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किए गए।

भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान ने शोषण प्रौद्योगिकी पर चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में 9 रबड़ खेतीवाले देशों के 15 और भारत के 18 बागवानों सहित 43 प्रतिभागियों ने भागीदारी की। कार्यशाला का प्रायोजन आई आर आर डी बी एवं उसके सदस्य, रबड़ बोर्ड एवं बागवानों ने संयुक्त रूप से किया।

विभिन्न अनुसंधान विषयों पर उन्नत प्रशिक्षण के लिए दस वैज्ञानिकों को विदेशों के विभिन्न संस्थाओं में भेज दिया। इस वर्ष के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा 116 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किये तथा 21 लोकप्रिय सामग्रियाँ भी प्रकाशित कीं। 18 आन्तरिक वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ आयोजित कीं जिनमें 32 प्रस्तुतियाँ की गयीं तथा सात अतिथि अभिभाषणों का भी प्रबंध किया।



प्रक्रमण एवं उपज विकास

प्रक्रमण एवं उपज विकास विभाग ने रबड़ और रबड़ काष्ठ संसाधन इकाइयों विशेषकर छोटी जोत क्षेत्र को उनकी उपजों की गुणता, लागत प्रतियोगिताक्षमता व विभिन्न उपायों द्वारा इसके विपणन अवसरचनाएं सुधारने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करना जारी रखा।

विभाग ने भारत सरकार द्वारा दसवीं योजना अवधि के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित दो योजनाओं याने प्रक्रमण गुणता सुधार एवं उत्पाद विविधीकरण और बाज़ार विकास का मुख्य रूप से कार्यान्वयन किया।

10 ब्लॉक रबड़ फैक्टरियों एवं नौ लाटेक्स अपकेन्द्रण फैक्टरियों को गुणता सुधार, नवीनीकरण द्वारा लागत कम करने तथा परिस्थिति संरक्षण प्रणालियों को सुशक्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की। एक रबड़ काष्ठ प्रक्रमण फैक्टरी को भी गुणता सुधार एवं मूल्य संबर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इन क्रियाकलापों ने क्षेत्र में 154.83 लाख रुपये का निवेश किया तथा वित्तीय सहायता के रूप में 49.83 लाख रुपये वितरित किये। योजना के आरंभ के पूर्व उपनियमों का रूपायन किया गया तथा संसाधकों के साथ बैठक की गयी जिसके दौरान उन्होंने बागान क्षेत्र को भी योजना के अधीन लाने, सहायता की दर बढ़ाने और रकम की सीमा में कुछ संशोधन लाने के लिए बोर्ड से अनुरोध किया। तदुपरांत मामले मंत्रालय के सामने उठाये गये तथा मंत्रालय ने ऐसे मामले मध्यावधि पुनरीक्षा में उठाने की सलाह दी।

ब्लॉक रबड़ सुखाने के लिए डीज़ल/बिजली द्वारा ताप सृजन की प्रणाली के बदले बोर्ड की नवीनीकरण योजना के अधीन जैव गैसीकारक संस्थापना ने उद्गारोकरण बाद की अवधि में लागत में प्रतियोगिताक्षमता प्राप्त करने हेतु ब्लॉक रबड़ प्रक्रमणकर्ताओं में बड़ी उत्सुकता जगा दी है।

प्रक्रमणकर्ताओं के लाभ हेतु एकदिवसीय संगोष्ठी एवं अगले दिन क्षेत्र स्तरीय दौरे का भी आयोजन किया था तथा प्रक्रमणकर्ताओं ने बड़ी दिलचस्पी से इसमें सहभागिता की। आई आई एस सी, बैंगलूर, टाटा एनेजी रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली एवं अनंट, तिरुवनन्तपुरम के इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने रूपायन, प्रचालन, अनुरक्षण एवं सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर आलेख प्रस्तुत किए। गैसीकारक के विनिर्माताओं ने उनको प्रणाली के गुणों, विशेषताओं लागत प्रभाविता पर प्रस्तुति की। गैसीकारक के उपयोगकों ने उसके उपयोग संबंधी अनुभव प्रस्तुत किये। संगोष्ठी ने गैसीकारक के रूपकर्ताओं, उपभोक्ताओं एवं विनिर्माताओं के बीच इस क्षेत्र के नये उपभोक्ताओं के लाभ हेतु आपसी विचार विमर्श के लिए बढ़िया मंच प्रदान किया।

योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप देश में उत्पादित ब्लॉक रबड़ एवं गाढ़े लाटेक्स की गुणवत्ता व परिमाण में काफी सुधार हुई है। ब्लॉक रबड़ फैक्टरियों की क्षमता के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है जिससे बाज़ार में ब्लॉक रबड़ की उपलब्धता बढ़ गयी है। यह ईंधन लागत कम करके तथा सुधरी हुई श्रमिक उत्पादकता से ब्लॉक रबड़ की उत्पादन लागत कम करने में सहायक रहा है। जैव गैसीकारकों के उपयोग ने उत्सर्जन और पेट्रोलियम ईंधन व बिजली के परिरक्षण में सहायक रहा है। उपयुक्त उपायों ने संसाधित रबड़ के निर्यात को भी प्रोत्साहित किया है।

तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ के पिछले चार वर्ष के उत्पादन के आंकड़े एवं निर्यात के विवरण निम्न प्रकार हैं:-

विभिन्न प्रकार के गैसीकारक से सृजित तरल बहिर्वाहों के गुणों के अध्ययन एवं उचित उपचार विधियों को अनुशंसा देने हेतु मे.एन.विरोकेम, तृशूर को एक सलाहकारी कार्य सौंपा गया।



रबर संसाधकों के बीच जैव गैसीकारक को प्रोत्साहित करने एवं लोकप्रिय बनाने हेतु रबर बोर्ड द्वारा किये जा रहे प्रयासों को मान्यता देते हुए तापीय एवं ऊर्जा प्रयोग हेतु जैव गैसीकारक संबंधी विभिन्न मामलों पर यूनिडो (UNIDO) द्वारा आई आई एस सी बैंगलूर में दिसंबर 2003 में आयोजित राउंड टेबल बैठक में भाग लेने हेतु निदेशक (प्र व उ वि) को आमंत्रित किया था।

कार्यान्वयन अधीन इस योजना के अन्तर्गत तापीय एवं ऊर्जा प्रयोग हेतु गैसीकारक की संस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ब्लॉक रबर के उत्पादन में ऊर्जा की लागत का हिस्सा 50 प्रतिशत है। संसाधन कार्यकलापों में ऊर्जा के प्रभावी उपयोग पर पेट्रोलियम कनसर्वेशन रिसर्च एसोसियेशन, कोची के सहयोग से एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था।

ब्लॉक रबर, गाढ़े लाटेक्स एवं रबर काष्ठ प्रक्रमणकर्ताओं के लाभ हेतु ऊर्जा परीक्षण चलाने और ऊर्जा के प्रभावी उपयोग व ऊर्जा परिरक्षण के द्वारा लागत कटौती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक योजना शुरू की। चौदह संसाधकों ने ऐसी सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तथा तीन इकाइयों ने ऊर्जा ऑडिट चलाया है।

तकनीकी-आर्थिक संभाव्यताओं के अध्ययन हेतु निराद्रीकरण सुविधाओं से युक्त 50 टण क्षमतावाले आर एस एस श्रेणी के रबर के लिए गोदाम निर्माण की परियोजना शुरू की है। नियंत्रित आर्द्रता स्थितियों में कवकीय आक्रमण द्वारा रबर की गुणवत्ता घट जाने की संभावनाएं निम्नतम होंगी।

भारत में रबर शीट का विपणन 50 कि.ग्रा. के बंडलों में किया जाता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जिसका विपणन 111 कि.ग्रा. के बंडलों में किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आर एस एस श्रेणियों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप 111 कि.ग्रा. गट्टाओं को तैयार करने के लिए एक द्रवचालित दाबक (हाइड्रॉलिक प्रस) विकसित किया

है। दाबक के कक्षों के आकार के अनुरूप जमाव बर्तनों के आकार, कोयागुलेशन के शुष्क रबर संघटक एवं मशीन समायोजन बदलकर आर एस एस श्रेणियों जमाव बर्तनों के आकार, कोयागुलेशन के शुष्क रबर संघटक एवं मशीन समायोजन बदलकर आर एस एस श्रेणियों के उत्पादन हेतु एक आदर्श रबर उत्पादक संघ में परीक्षण चलाये गये।

आदर्श टी एस आर फैक्टरी एवं आदर्श रबर लाटेक्स फैक्टरी के ज़रिए तकनीकी विनिर्दिष्ट रबर एवं रबर काष्ठ के संसाधकों को प्रक्रमण गुणता नियंत्रण एवं परिस्थितिजन्य संरक्षण प्रणाली में प्रशिक्षण एवं तकनीकी समर्थन दिये गए।

रबर एवं रबर काष्ठ संसाधन में लगे हुए रबर उत्पादक संघ क्षेत्र को संसाधन एवं विपणन कार्यकलाप सुशुद्ध करने के लिए ऋण प्रदत्त किए।

विपणन विकास योजना के अन्तर्गत रबर काष्ठ को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में फनीचर एवं आंतरिक सजावट के लिए उपयुक्त परिस्थिति अनुकूल सामग्री के रूप में प्रोत्साहित करने के कार्यकलाप बोर्ड में जारी रखे। वर्ष के दौरान बोर्ड ने छः अन्तर्राष्ट्रीय मेलाओं चीन में दो, अमरीका में एक, जापान में एक, अबूदबी में एक तथा दुबै में एक में भाग लिया। हाल ही तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रबर काष्ठ के संबंध में जानकारी ही नहीं थी तथा इन मेलाओं की भागीदारी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रबर काष्ठ के बारे में जानकारी जगाने में सहायक रही। दरवाजों एवं रसोई कैबिनेट दरवाजों के लिए मध्य-पूर्वी राष्ट्रों से पूछताछें प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान बोर्ड ने रबर काष्ठ के संवर्धन हेतु चौदह राष्ट्रीय मेलाओं और पाँच राज्य स्तरीय मेलाओं में भाग लिए। फनीचर निर्माताओं, वास्तुकारों, आन्तरिक सजावटकारों, निर्णयकारों एवं आम जनता के बीच रबर काष्ठ के बारे में जानकारी पैदा करने हेतु तकनीकी साहित्य/सूची पत्र/पुस्तिकाएं वितरित कीं। संवर्धनात्मक उपायों के परिणामस्वरूप आई आई एस सी बैंगलूर ने उनके नये छात्रावास परिसर के लिए रबर काष्ठ फनीचर के उपयोग करने का निर्णय लिया तथा मेट्रोवुड एवं इंडियावुड नामक बोर्ड द्वारा प्रवर्तित दो कंपनियों ने आई



आई एस सी बैंगलूर के नये छात्रावास परिसर हेतु 189 लाख रु. लागत के रबड़ काष्ठ फर्नीचर की आपूर्ति की। इसने आई आई टी चेन्नै में रबड़ काष्ठ फर्नीचर लगाने की प्रेरणा जगा दी तथा उनके अनुरोध पर उनके छात्रावास परिसर हेतु रबड़ काष्ठ के आन्तरिक सजावट अपनाने हेतु तकनीकी समर्थन प्रदान किया।

बोर्ड ने मुख्य मासिक पत्रिकाओं, स्मारिकाओं एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा भी रबड़ काष्ठ का संवर्धन किया।

बोर्ड ने कालिकट विश्वविद्यालय के आँडियो विश्वल एवं रिप्रोग्राफिक केंद्र को रबड़ काष्ठ के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले वृत्तचित्र के निर्माण हेतु सहयोग दिया।

विभाग ने देश में उत्पादित ब्लॉक रबड़ एवं गाढ़े लाटेक्स की गुणवत्ता की निगरानी प्रक्रमण इकाइयों की आवधिक निरीक्षण एवं जांच हेतु नमूनों के एकत्रण द्वारा की।

बोर्ड ने रबड़ के आयात के लिए नामित बन्दरगाहों, कोलकोता एवं विशाखपट्टणम के द्वारा आयातित रबड़ की गुणवत्ता की जांच जारी रखी। रिपोर्ट वर्ष के दौरान 38437 मे.टन रबड़ की जांच की जिसमें 38097 मे.टन रबड़ की सीमाशुल्क निकासी हेतु अनुशंसा दे दी तथा 340 मे.टन निर्धारित गुणता स्तरों के अनुसार न पाये गये।

निर्यात किये जाने वाले रबड़ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड ने निर्यातित रबड़ की गुणता जांच की। वर्ष के दौरान 18373.5 मे.टन ब्लॉक रबड़ की जांच की जिसमें 17853.9 मे.टन की निर्यात हेतु अनुमति दे दी तथा 519.6 मे.टन अस्वीकृत किये गये। उसी तरह 18036 मे.टन गाढ़े लाटेक्स की जांच की जिसमें 18020 मे.टन की निर्यात हेतु अनुमति दे दी गयी और 16 मे.टन अस्वीकृत किये गये। वर्ष के दौरान आर एस एस श्रेणी के 41304 टन रबड़ की जांच की तथा 39505 मे.टन की निर्यात हेतु अनुमति दे दी तथा 1799 टन अस्वीकृत किये गये।

रबड़ उत्पादक संघ क्षेत्र के रबड़ एवं रबड़ काष्ठ संसाधकों को ब्याज सहायिकी दे दी। उनकी दक्षता बढ़ाने हेतु कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण के प्रापण के लिए बोर्ड ने रबड़ उत्पादक संघ क्षेत्र को समर्थन दिया।

विभाग ने रबड़ कृषक एवं संसाधकों के लाभ हेतु आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं संगोष्ठियों में प्रतिभागिता की। नये संसाधक अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु उनको उपयुक्तता की पहचान के लिए विभाग ने स्थान पर निरीक्षण चलाये।

रबड़ काष्ठ परीक्षण प्रयोगशाला ने रबड़ काष्ठ संसाधकों को परीक्षण सुविधाएं प्रदत्त कीं। केरल कृषि विश्वविद्यालय एवं वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के विद्यार्थियों के लिए संसाधन गुणता नियंत्रण एवं परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इथरल उद्दीपन के साथ काष्ठ गुणवत्ता के मूल्यांकन पर अनुसंधान एवं विकास कार्य अनुसंधान संस्थान के साथ संयुक्त रूप से किया। उपयुक्त विरंजन कारकों, बॉरोन-बॉरिक अम्ल से लिए देहली धारण क्षमता एवं दोमक के आक्रमण के विरुद्ध परिरक्षक के प्रभाव की पहचान के लिए परीक्षण चलाये गये। संसाधन के दौरान रबड़ काष्ठ के घनत्व, लंबाई-चौड़ाई एवं आयतन में होनेवाले परिवर्तन निर्धारित करने के लिए भी परीक्षण चलाये गये। विभाग ने बोर्ड के विभिन्न सिविल निर्माण एवं विजली कार्य भी किये।

बोर्ड ने भारत सरकार को तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ के संसाधन एवं उसकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होनेवाली मशीनरी एवं उपकरण के आयात को उत्पादशुल्क की अदायगी से छूट देने का प्रस्ताव पेश किया है ताकि गुणवत्ता एवं लागत की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिযোগिताक्षमता प्राप्त हो सके। तदनुसार भारत सरकार ने स्लाब कट्टर, प्रेड्डर, सोलिड पम्प, वाइब्रेटिंग स्क्रीन, प्लास्टिमीटर, एंजिंग ऑवन एवं लाटेक्स अपकेन्द्रण मशीन के लिए सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क को छूट देते हुए अधिसूचना जारी की है।

गाढ़ा लाटेक्स के संसाधकों को गुणवत्ता, लागत एवं पैकेजिंग में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताक्षमता हासिल करने हेतु संयुक्त निदेशक (प्र एवं गु.नि.) के नेतृत्व में एवं भारत सरकार के प्रायोजन में 14 संसाधकों ने फरवरी 2004 के दौरान मलेशिया व थायलैंड में छः दिनों का दौरा किया।



भाग VII

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श विभाग के दो प्रभाग हैं याने प्रशिक्षण प्रभाग और तकनीकी परामर्श प्रभाग। प्रशिक्षण प्रभाग रबड़ बागान क्षेत्र और संसाधन व उपज विनिर्माण क्षेत्र समेत रबड़ उद्योग क्षेत्र के लाभ हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तकनीकी परामर्श प्रभाग उद्यमियों को रबड़ आधारित इकाइयों की संस्थापना हेतु तथा रबड़ उत्पन्न विनिर्माताओं को उत्पादन की समस्याएं सुलझाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है और रबड़ उत्पादों के परीक्षण द्वारा गुणवत्ता निर्धारण करता है।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श विभाग स्वाभाविक रबड़ के निर्यात हेतु तकनीकी समर्थन एवं मार्गदर्शन भी प्रदत्त करता है।

प्रशिक्षण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग रबड़ की खेती, रबड़ संसाधन एवं रबड़ उपज विनिर्माण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर उद्योग के समग्र विकास हेतु प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण देता है।

मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए लक्षित वर्ग ये हैं:-

- कृषक
- प्रबंधक/अधीक्षक
- रबड़ उत्पादक संघ
- रबड़ विपणन समितियाँ
- रबड़ व्यापारी
- रबड़ प्रक्रमणकर्ता
- रबड़ उत्पाद विनिर्माता

- उद्यमी
- रबड़ एवं रबड़ उत्पाद निर्यातक
- उत्पादन प्रबंधक
- गुणता नियंत्रण प्रबंधक
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सहित महिलाएँ
- विद्यार्थी

- विदेशी भागीदार

केन्द्र का लक्ष्य निम्न लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति है:

- रबड़ कृषकों एवं रबड़ बागान श्रमिकों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतियोगिताक्षमता का अद्यतन करना।
- रबड़ संसाधकों एवं रबड़ उपज विनिर्माताओं को उपयुक्त प्रशिक्षण देना ताकि बेहतर गुणवत्ता एवं प्रतियोगिता क्षमता हासिल की जा सकें।
- रबड़ उत्पादक संघों (र उ सं) एवं रबड़ विपणन सहकारी समितियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतियोगिताक्षमता का अद्यतन करना।
- बोर्ड के कर्मचारियों की आवश्यक रुचि एवं प्रबंधकीय दक्षताएं विकसित करना।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 127 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये तथा लाभान्वितों की कुल संख्या 4345 थी जिनमें 1015 व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला वर्ग के थे। लाभभोगियों के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-



वर्ग	लाभान्वितों की संख्या
* कृषक (सामान्य एवं विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत)	2493
* दौरा सह प्रशिक्षण (शास्त्रदर्शन)	963
* टापर्स	314
* बोर्ड के कर्मचारी	142
* रबड़ संसाधन एवं गुणता नियंत्रण	129
* विपणन प्रबंधन	129
* रबड़ उपज विनिर्माण	120
* रबड़ प्रौद्योगिकी विद्यार्थी	25
* रबड़ खेती एवं बागान प्रबंधन	19
* विपणन प्रबंधन	11
योग	4345

तकनीकी परामर्श प्रभाग

देश में रबड़ माल विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी परामर्श प्रभाग तकनीकी सहायता प्रदान करता है। रबड़ आधारित उद्योगों को संस्थापना हेतु उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, रबड़ उत्पादों को विकसित करना, विद्यमान इकाइयों को उत्पादन समस्याएं

सुलझाना तथा रबड़/रबड़ रसायनों/रबड़ सम्मिश्रों/उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जांच द्वारा गुणता नियंत्रण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं। रबड़ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्टों, व्यापार निर्देशिकाओं की तैयारी आदि जैसे कार्यकलाप भी प्रभाग करते हैं। सभी सेवाएं परामर्श आधार पर प्रदान की जाती हैं। शैक्षिक एवं प्रायोगिक कार्यों के अलावा अनुसंधान एवं विकास कार्य भी चलाये जाते हैं।

स्वाभाविक रबड़ के उपभोग में वृद्धि लाने के मद्देनजर केरल, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा में रबड़ इंडस्ट्रियल पार्कों की संस्थापना एवं स्वाभाविक रबड़ के प्रयोग के लिए नये क्षेत्रों की पहचान में प्रभाग लगा हुआ है। सड़कों की रबरण योजना जारी रखी तथा एस ई आर सी क्षेत्रों के साथ सांख्यिक वियरिंग तथा के ई आर आई, पीची केरल के साथ कनाल लाईनिंग पर दो सहयोगी परियोजनाएं भी चलायी गयीं।

उपर्युक्त कार्यकलाप इस वर्ष के दौरान भी जारी की तथा रिपोर्टें अर्वाध के दौरान के मुख्य कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है:-

कार्यकलाप	अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक
1. उद्योगों को तकनीकी समर्थन	
क. परीक्षण उपकरणों की खरीद	कुछ मर्दों की खरीद की तथा अन्य लक्षित सामग्रियों की खरीद हेतु कदम उठाए गये।
ख. एन ए बी एल मान्यता	परीक्षण आधार पर कार्यान्वयन किया।
ग. परामर्शक/सलाहकारी कार्य	2000 संख्या
घ. - परियोजना रिपोर्टों/परियोजनाओं की तैयारी	
- उपज विकास	
- गुणता नियंत्रण	
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/शैक्षिक कार्य आदि	सभी कार्यक्रमों का प्रबंधन प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा किया गया तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंधन तकनीकी परामर्श प्रभाग द्वारा किया गया।
	5.20 लाख रु.

प्रभारित परामर्श शुल्क



भाग VII

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श विभाग के दो प्रभाग हैं याने प्रशिक्षण प्रभाग और तकनीकी परामर्श प्रभाग। प्रशिक्षण प्रभाग रबड़ बागान क्षेत्र और संसाधन व उपज विनिर्माण क्षेत्र समेत रबड़ उद्योग क्षेत्र के लाभ हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तकनीकी परामर्श प्रभाग उद्यमियों को रबड़ आधारित इकाइयों की संस्थापना हेतु तथा रबड़ उत्पन्न विनिर्माताओं को उत्पादन की समस्याएं सुलझाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है और रबड़ उत्पादों के परीक्षण द्वारा गुणवत्ता निर्धारण करता है।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श विभाग स्वाभाविक रबड़ के निर्यात हेतु तकनीकी समर्थन एवं मार्गदर्शन भी प्रदत्त करता है।

प्रशिक्षण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग रबड़ की खेती, रबड़ संसाधन एवं रबड़ उपज विनिर्माण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर उद्योग के समग्र विकास हेतु प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण देता है।

मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए लक्षित वर्ग ये हैं:-

- कृषक
- प्रबंधक/अधीक्षक
- रबड़ उत्पादक संघ
- रबड़ विपणन समितियों
- रबड़ व्यापारी
- रबड़ प्रक्रमणकर्ता
- रबड़ उत्पाद विनिर्माता

- उद्यमी
- रबड़ एवं रबड़ उत्पाद निर्यातक
- उत्पादन प्रबंधक
- गुणता नियंत्रण प्रबंधक
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सहित महिलाएं
- विद्यार्थी
- विदेशी भागीदार

केन्द्र का लक्ष्य निम्न लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति है:

- रबड़ कृषकों एवं रबड़ बागान श्रमिकों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतियोगिताक्षमता का अद्यतन करना।
- रबड़ संसाधकों एवं रबड़ उपज विनिर्माताओं को उपयुक्त प्रशिक्षण देना ताकि बेहतर गुणवत्ता एवं प्रतियोगिता क्षमता हासिल की जा सकें।
- रबड़ उत्पादक संघों (र उ सं) एवं रबड़ विपणन सहकारी समितियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतियोगिताक्षमता का अद्यतन करना।
- बोर्ड के कर्मचारियों की आवश्यक रुचि एवं प्रबंधकीय दक्षताएं विकसित करना।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 127 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये तथा लाभान्वितों की कुल संख्या 4345 थीं जिनमें 1015 व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला वर्ग के थे। लाभभोगियों के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-



वर्ग	लाभान्वितों की संख्या
* कृषक (सामान्य एवं विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत)	2493
* दौरा सह प्रशिक्षण (शास्त्रदर्शन)	963
* टापर्स	314
* बोर्ड के कर्मचारी	142
* रबड़ संसाधन एवं गुणता नियंत्रण	129
* विपणन प्रबंधन	129
* रबड़ उपज विनिर्माण	120
* रबड़ प्रौद्योगिकी विद्यार्थी	25
* रबड़ खेती एवं बागान प्रबंधन	19
* विपणन प्रबंधन	11
योग	4345

तकनीकी परामर्श प्रभाग

देश में रबड़ माल विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी परामर्श प्रभाग तकनीकी सहायता प्रदान करता है। रबड़ आधारित उद्योगों की संस्थापना हेतु उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, रबड़ उत्पादों को विकसित करना, विद्यमान इकाइयों की उत्पादन समस्याएं

सुलझाना तथा रबड़/रबड़ रसायनों/रबड़ सम्मिश्रों/उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जांच द्वारा गुणता नियंत्रण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं। रबड़ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, बाज़ार सर्वेक्षण रिपोर्टों, व्यापार निर्देशिकाओं की तैयारी आदि जैसे कार्यकलाप भी प्रभाग करते हैं। सभी सेवाएं परामर्श आधार पर प्रदान की जाती हैं। शैक्षिक एवं प्रायोगिक कार्यों के अलावा अनुसंधान एवं विकास कार्य भी चलाये जाते हैं।

स्वाभाविक रबड़ के उपभोग में वृद्धि लाने के मद्देनजर केरल, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा में रबड़ इंडस्ट्रियल पार्कों की संस्थापना एवं स्वाभाविक रबड़ के प्रयोग के लिए नये क्षेत्रों की पहचान में प्रभाग लगा हुआ है। सड़कों की रबरण योजना जारी रखी तथा एस ई आर सी चैनल के साथ सीस्मिक वियरिंग तथा के ई आर आई, पीसी केरल के साथ कनाल लाईनिंग पर दो सहयोगी परियोजनाएं भी चलायी गयीं।

उपर्युक्त कार्यकलाप इस वर्ष के दौरान भी जारी की तथा रिपोर्ट अवधि के दौरान के मुख्य कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है:-

कार्यकलाप	अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक
1. उद्योगों को तकनीकी समर्थन	
क. परीक्षण उपकरणों की खरीद	कुछ मर्चों की खरीद की तथा अन्य लक्षित सामग्रियों की खरीद हेतु कदम उठाए गये।
ख. एन ए बी एल मान्यता	परीक्षण आधार पर कार्यान्वयन किया।
ग. परामर्शक/सलाहकारी कार्य	2000 संख्या
घ. - परियोजना रिपोर्टों/परियोजनाओं की तैयारी	
- उपज विकास	
- गुणता नियंत्रण	
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/शैक्षिक कार्य आदि	सभी कार्यक्रमों का प्रबंधन प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा किया गया तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंधन तकनीकी परामर्श प्रभाग द्वारा किया गया।
	5,20 लाख रु.

प्रभारित परामर्श शुल्क



कार्यकलाप	अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक
II. रबड़ पार्क, कोचिन	90% कार्य पूरा किया गया।
III. स्वाभाविक रबड़ के विविध उपयोग	
1. सड़कों का रबरण	मूल्यांकन कार्य का चरण II पूरा किया है, परियोजना सड़कों के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया, संवर्द्धनात्मक कार्य आयोजित किये।
2. सीस्मिक बियरिंग	बियरिंग के डिज़ाइन का अंतिम रूप दिया, सौंचे का निर्माण किया गया, इस सौंचे को प्रयुक्त करके 4 संख्या बियरिंगों का निर्माण किया तथा मूल्यांकन हेतु एस ई आर सी को अग्रेषित किया। समझौता जापन के अनुसार एस ई आर सी को 3.00 लाख रुपये का भुगतान किया। बियरिंग के निर्माण के दूसरे चरण हेतु प्रबंध किया जा रहा है।
3. कनाल लाइनिंग	प्रारंभिक परीक्षण आशाजनक रहा तथा तालाब परीक्षण प्रगति में है।
IV. मुख्य उपलब्धियाँ	निर्यात हेतु शुष्क स्वाभाविक रबड़ पर आधारित औद्योगिक, कार्षिक एवं योगा चटाइयाँ विकसित कीं। श्रीलंका के एक ग्राहक हेतु शुष्क स्वाभाविक रबड़ पर आधारित मृग स्तनाग्र विकसित किये। ए एन आर पी सी, कुलालपुर द्वारा तकनीकी परामर्श प्रभाग के एक अधिकारी को स्वाभाविक रबड़ प्रोटीन एलर्जी पर कार्य समिति में सदस्य के रूप में नामित किया है।



वित्त एवं लेखा विभाग

लेखा प्रणाली का रूपायन एवं प्रचालन, बजट तैयार करना, वित्तीय प्राक्कलन एवं रिपोर्ट, बजट नियंत्रण का पालन, प्रभावी निधि प्रबंधन, प्रणालियों व प्रक्रियाओं की स्थापना एवं रख रखाव, आन्तरिक लेखा परीक्षा की निगरानी एवं संवैधानिक लेखा परीक्षा, वित्तीय उपयुक्तता एवं कारोबार की नियमितता, कंप्यूटर प्रयोगों का निरीक्षण, लागत नियंत्रण की निगरानी, परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन, कर संबंधी कार्य आदि वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख कार्य हैं। वर्ष के दौरान विभाग ने निम्न लिखित कार्य किये।

1. वार्षिक बजट, निष्पादन बजट, विदेशी यात्रा बजट आदि की तैयारी।
2. बोर्ड के मंजूर बजट के अनुसार धन का आहरण एवं संवितरण। शून्य आधारित बजटिंग के अधीन बजट की पुनरीक्षा एवं परिशासन और बजट नियंत्रण का पालन।
3. बोर्ड के लेखाओं का रख-रखाव, वार्षिक लेखा व तुलन पत्र की तैयारी, महालेखाकर, केरल द्वारा लेखा परीक्षा के लिये लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा किये गये लेखे रबड़ बोर्ड/मंत्रालय/संसद को प्रस्तुत करना।
4. समय समय पर भारत सरकार को अनुदान की मांग प्रस्तुत करना, भारत सरकार से निधि स्वीकार करना तथा इसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करके वित्तीय प्रबंधन।
5. वित्तीय औचित्य एवं विनियमन की नियमितता पर सलाह देना और भुगतान नियमित करना।
6. प्राकृतिक रबड़ के मूल्य निर्धारण करने में और उत्पादन लागत निश्चित रूप से जानने में वित्त मंत्रालय को लागत लेखा शाखा को सहायता देना।

7. परियोजना रिपोर्ट एवं योजनाओं के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी।
8. केन्द्रीय आय कर, कृषि आय कर एवं विक्री कर मामलों से संबंधित बोर्ड का कार्य निष्पादन।
9. रबड़ बोर्ड एवं रबड़ उत्पादक संघों द्वारा संयुक्त रूप से अभिवर्द्धित कंपनियों के कार्यकलापों का समन्वय करना।
10. वित्तीय लेखे, वेतन रोल आदि के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत डाटा प्रोसेसिंग।
11. समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य हकदारों का आहरण एवं संवितरण।
12. पेंशन निधि एवं सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन तथा उससे संवितरण का नियमन।
13. कंप्यूटरीकरण एवं बोर्ड के सभी विभागों से नेट संपर्क स्थापित करने की योजना का कार्यान्वयन।

वार्षिक लेखे 2002-03

वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे निर्धारित समय पर महालेखाकार, केरल को सौंपे गये। महालेखाकार केरल से प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखाओं व प्रमाणपत्र को बोर्ड ने परिचालन द्वारा स्वीकार कर लिया तथा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किये।



2003-04 का संशोधित प्राक्कलन लागत लेखे और 2004-05 का बजट प्राक्कलन

2003-04 के लिये संशोधित बजट और 2004-05 के लिये बजट प्राक्कलन समय पर तैयार किये तथा सरकार को प्रस्तुत किये। 2003-04 के लिये 94.08 करोड़ रु. के प्लान एवं 14.13 करोड़ रु. नोन-प्लान दोनों को मिलाकर अनुमोदित बजट 108.21 करोड़ रु. था। इसके बदले इस वर्ष का वास्तविक खर्च 104.92 करोड़ रु. था (90.05 करोड़ रु. प्लान एवं 14.87 करोड़ रु. गैर प्लान)। वर्ष 2004-05 के लिये अनुमोदित बजट 109.04 करोड़ रु. है। जिसमें 94.00 करोड़ रुपये योजना (90.00 करोड़ रुपये बजट समर्थन एवं 4.00 करोड़ का प्रारंभिक शेष) एवं 15.04 करोड़ रुपये गैर योजना (बजट समर्थन 11.00 करोड़ तथा 4.04 करोड़ आंतरिक संसाधन) के सम्मिलित है।

निधियों का प्रबंधन

सामान्य निधि

वर्ष 2003-04 के दौरान बजट समर्थन के रूप में सरकार से 91.33 करोड़ रु. प्राप्त हुए। आंतरिक संसाधन लगभग 10.86 करोड़ रु. था। वर्ष का कुल व्यय 104.92 करोड़ रु. था।

सामान्य भविष्य निधि/पेंशन निधि

2004 मार्च 31 को सामान्य भविष्य निधि में 22.00 करोड़ रु. और पेंशन निधि में 13.63 करोड़ रु. बाकी थे। अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए निधियों के संचय का निवेश किया था। बोर्ड 2086 अभिदाताओं के सा.भ.नि.खातों का अनुरक्षण करता है। वर्ष के दौरान सेवा निवृत्तों की सूची में 589 व्यक्ति थे।

वित्त व लेखा प्रभाग की लागत लेखा इकाई ने लागत लेखा आंकड़ों के एकत्रण करने एवं विश्लेषण करने के कार्य जारी रखे। सरकार एवं अन्य सांविधिक निकायों एवं अधिकरणों द्वारा मांगी गई सूचनाएं समय समय पर प्रस्तुत कीं।

वित्त व लेखा विभाग ने बिक्री कर एवं कृषि आय कर मामलों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया तथा उचित सलाहें दी गईं।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

निदेशक (वित्त) के क्रियात्मक नियंत्रण में आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के मुख्य है। यह प्रभाग विभिन्न विभागों/प्रभागों/अनुभागों/कार्यालयों/स्थापनाओं के कार्यों व कार्य स्थितियों को जानकारी अध्यक्ष को प्रदत्त करने व नियंत्रित करने एवं उचित उपाय अपनाकर इनको ठीक करने का प्रमुख उपकरण है। प्रभाग विभिन्न विभागों को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। बोर्ड के लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु केरल के महा लेखाकार कार्यालय के लेखा परीक्षा विभाग एवं बोर्ड के बीच संपर्क कार्य भी प्रभाग करता है।

रिपोर्ट अवधि के दौरान बोर्ड के 52 कार्यालयों/संस्थापनाओं में आन्तरिक लेखा परीक्षा के निरीक्षण चलाये गये।

इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग

इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग प्रभाग बोर्ड के सभी विभागों के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं के प्रापण एवं अनुरक्षण कार्य का देखभाल करता है।



अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार भारत में उत्पादित सारे रबड़ का उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं संग्रह करने का अधिकार रबड़ बोर्ड को है। एकत्रण लागत घटाकर भारत की समेकित निधि में इस प्रकार एकत्रित उपकर का जमा किया जाता है। रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन रबड़ के सभी लेनदेन बोर्ड से जारी अनुज्ञापत्र के अधीन नियंत्रित किये जाते हैं। रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने का अधिकार रबड़ बोर्ड को है। रबड़ के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन रबड़ नियम 1955 के नियम 43 द्वारा विहित प्रपत्र-एन में घोषणा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विनिर्माताओं/व्यापारियों/प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित खाताओं व उनके द्वारा अर्जित, निपटायें/रखी गई रबड़ स्टॉक की सच्चाई के सत्यापन हेतु सामयिक निरीक्षण भी चलाये जाते हैं।

इन कार्यों का निष्पादन/की निगरानी रबड़ बोर्ड के अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें उत्पाद शुल्क प्रभाग, अनुज्ञापन प्रभाग एवं बाजार आसूचना प्रभाग सम्मिलित हैं। इन प्रभागों द्वारा निष्पादित कार्य का विवरण निम्न प्रकार है:

उत्पाद शुल्क प्रभाग

रबड़ के अर्जन हेतु विनिर्माताओं को अनुज्ञापत्र जारी करना, रबड़ के उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण, उसके एकत्रण तथा भारत की समेकित निधि में जमा करना आदि उत्पाद शुल्क प्रभाग द्वारा किये गये मुख्य कार्य हैं।

अनुज्ञापत्र जारी करना

वर्ष 2003-04 हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना

अनुज्ञापत्र जारी करने के कार्य में प्रत्याशित विनिर्माता यूनिटों को नये अनुज्ञापत्र और वर्तमान विनिर्माताओं के

अनुज्ञापत्र का अगले वर्ष हेतु नवीकरण आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान जारी किए अनुज्ञापत्रों का विवरण निम्न प्रकार है:

जारी किये नये अनुज्ञापत्र	241 सं.
अनुज्ञापत्र का नवीकरण	4559 सं.
कुल	4800 सं.

इस अवधि के दौरान अनुरोध के आधार पर 9 इकाइयों के अनुज्ञापत्र रद्द किये थे। 31.3.2004 के अंत में कुल अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की संख्या 4791 थी। 2004 मार्च 31 तक के अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं का राज्यवार विवरण निम्न प्रकार है :-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एककों की संख्या
केरल	851
महाराष्ट्र	563
तमिलनाडु	483
पंजाब	478
उत्तर प्रदेश	419
पश्चिम बंगाल	409
गुजरात	368
हरियाणा	324
दिल्ली	206
कर्नाटक	194
आन्ध्र प्रदेश	160
राजस्थान	109
मध्य प्रदेश	67
पोंडिच्चेरी	30



झारखंड	25
गोवा	18
दादरा व नागरहवेली, दमन व द्यू	15
उड़ीसा	12
उत्तरांचल	11
चण्डीगढ़	10
छत्तीसगढ़	10
असम	9
हिमाचल प्रदेश	8
जम्मू एवं कश्मीर	7
त्रिपुरा	3
बिहार	2
कुल	4791

प्रभाग ने रबड़ बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों, रबड़ व्यापारियों एवं अन्य जनता के संदर्भ हेतु अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की सूची तैयार की तथा वितरित की।

वर्ष 2004-05 हेतु अनुज्ञापत्रों का नवीकरण

इस अवधि के दौरान वर्ष 2004-05 के लिए 2999 विद्यमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्रों का नवीकरण किया।

विनिर्माताओं की ओर से एजेंटों/व्यापारियों द्वारा रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र का पंजीकरण

वर्ष 2003-04 के दौरान 828 प्राधिकृत पत्रों का पंजीकरण किया था।

रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र

वर्ष के दौरान अग्रिम उपकर संग्रह करने के बाद प्रायोगिक परीक्षणों के लक्ष्य से रबड़ प्राप्त करने के लिए नियमित अनुज्ञापत्र के स्थान पर विशेष प्राधिकृत पत्र 8 संगठनों/संस्थाओं को जारी किये थे।

रबड़ पर उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं एकत्रण

वर्ष 2002-2003 के दौरान के 8206 लाख रुपये के निर्धारण के स्थान पर वर्ष 2003-04 के रबड़ पर कुल उपकर का निर्धारण 8797 लाख रुपये रहा। रिपोर्ट अवधि के दौरान एकत्रित रबड़ पर उत्पाद शुल्क (उपकर) 8501 लाख रुपये रहा जबकि पूर्व वर्ष में यह 8204 लाख रुपये रहा। वर्ष के दौरान विनिर्माताओं से एकत्रित कुल अर्धवार्षिक विवरणियाँ (प्रपत्र एम) 9836 रहीं। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत संपर्क अधिकारियों तथा निरीक्षण कर्मियों ने 2179 निरीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं, जिनपर उचित कार्रवाई की थी/शुरू की।

अनुज्ञापत्र शुल्क और सेवा प्रभार के तौर पर वर्ष 2003-04 के दौरान विनिर्माताओं से 9,59,631/- रु. संग्रहित किये थे। इसके अलावा उपकर के देरी से जमा करने के कारण दंडस्वरूप ब्याज के रूप में 16 लाख रु. की रकम का भी संग्रहण किया था।

अनुज्ञापन प्रभाग

कोची स्थित अनुज्ञापन प्रभाग के मुख्य कार्य रबड़ व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं का अनुज्ञापन तथा उनकी शाखाओं व अभिकर्ताओं का पंजीकरण, नियमों के पालन न करनेवाले व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करना आदि है।

व्यापारियों के अनुज्ञापन

वर्ष के दौरान तीन वर्ष की अवधि हेतु 1185 नये अनुज्ञापत्र जारी किये। रिपोर्ट अवधि के दौरान 1985 अनुज्ञापत्रों का नवीकरण पाँच वर्षों की अवधि हेतु किया गया। 31.3.2004 के अनुसार अनुज्ञापत्रित व्यापारियों की कुल संख्या 9842 थी। इसमें 8737 केरल में हैं।



अनुज्ञापत्रित व्यापारियों का राज्यवार वितरण

राज्य/सं.शा.क्षेत्र का नाम	संख्या
केरल	8737
तमिलनाडु	195
पंजाब	152
त्रिपुरा	119
कर्नाटक	118
दिल्ली	112
महाराष्ट्र	105
पश्चिम बंगाल	71
उत्तर प्रदेश	65
हरियाणा	42
गुजरात	40
असम	24
राजस्थान	21
मेघालय	15
आंध्र प्रदेश	6
चण्डीगढ़	4
पॉण्डिच्चेरी	4
नागालैंड	3
झारखंड	3
मध्य प्रदेश	2
गोआ	2
छत्तीसगढ़	1
आन्डमान व निकोबार	1
कुल	9842

केरल में व्यापारियों का जिलावार वितरण

जिला का नाम	व्यापारियों की संख्या
कोट्टयम	2205
कोल्लम	1256
एरणाकुलम	1093
वत्तन्तिट्टा	1081
तिरुवनन्तपुरम	796

कण्णूर	445
मलपूरम	431
इडुक्की	394
पालक्काड	368
पेरिक्कोड	190
आलप्पुषा	168
तृशूर	167
कासरगोड	86
वयनाड	57
कुल	8737

प्रक्रमणकर्ताओं के अनुज्ञापत्र

31.3.04 के अनुसार अनुज्ञापत्रित प्रक्रमणकर्ताओं की कुल संख्या 130 थी। 2004-2009 की अवधि के लिए 35 प्रक्रमणकर्ताओं के अनुज्ञापत्र का नवीकरण किया गया।

व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के अनुज्ञापत्रों का निलंबन एवं प्रतिसंहरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 67 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र एवं 1 प्रक्रमणकर्ता के अनुज्ञापत्र रद्द किये गये। रबड़ अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कारण 11 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलंबित किये गये। 209 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र रद्द कर दिए गए।

शाखाओं व अधिकरणों का पंजीकरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान व्यापारियों की 370 शाखाओं का पंजीकरण किया गया जिससे 31 मार्च 2004 के अंत तक कुल पंजीकृत शाखाओं की संख्या 987 हो गयी। इसके अलावा वर्ष के दौरान 353 प्राधिकरण पत्रों को पंजीकृत भी किया।

बाज़ार आसूचना प्रभाग

रबड़ पर उपकर के अपवंचन को रोकने की प्रभावी प्रणाली के रूप में बाज़ार आसूचना प्रभाग कार्यरत है। बाज़ार आसूचना प्रभाग के मुख्य कार्य हैं:



- क) रबड़ व्यापारियों के व्यापार परिसरों का निरीक्षण एवं बोर्ड को प्रस्तुत विवरणों और विवरणियों आदि की सच्चाई जांचने हेतु उनके लेखाओं व रिकॉर्डों का सत्यापन।
- ख) रबड़ व्यापार हेतु अनुज्ञापत्र एवं शाखाओं के पंजीकरण आदि के आवेदनों की असलीयत की जांच करने हेतु निरीक्षण करना।
- ग) रबड़ के झूठे एवं गैर अनुज्ञापत्रित व्यापारियों को पकड़ना तथा श्रेणीकरण में अवैध कार्य सहित रबड़ व्यापार में गलत काम को रोकने हेतु कदम उठाना।
- घ) व्यापारियों/विनिर्माताओं एवं संसाधकों द्वारा रिपोर्ट किये गये कारोबार की सच्चाई की जांच हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों की आपसी जांच।
- ङ) रबड़ पर उपकर के अपवंचन रोकने हेतु विभिन्न परिवहन माध्यमों द्वारा रबड़ के आवागमन की अचानक जांच।
- च) केरल के बालयार व मंजेश्वरम तथा तमिलनाडु के कावलकिन्नर के वाणिज्यिक जाँच चौकियों में रबड़ के अन्तर्राज्यीय परिवहन की निकट की निगरानी सशक्त करना।

प्रभाग द्वारा निष्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है:-

निरीक्षण दस्ते के कार्यकलाप

- कोची, कोट्टयम में कार्यरत निरीक्षण दस्ते तथा पालक्काड, तल्लिपरम्बा और मार्त्ताण्डम में कार्यरत निरीक्षकों (बाज़ार आसूचना) ने रबड़ के अनियमित व्यापार को रोकने तथा जिससे उपकर संग्रहण बढ़ाने में बड़े हद तक सहायता की है। बड़ी संख्या में दोषी रबड़ व्यापारियों से मासिक विवरणियाँ एकत्रित करने में भी निरीक्षण सहायक रहा है।
- रिपोर्टीन अवधि के दौरान दस्ते/निरीक्षकों (बा.आ.) ने 1454 अनुज्ञापत्रित व्यापारियों और 126 गैर

अनुज्ञापत्रित व्यापारियों के व्यापार परिसरों का निरीक्षण किया। 391 मामलों में 1546 टण कमी/बेहिस्साव के स्टॉक/अनियमित बिक्री की अनियमितताओं का पता लगाया। सम्मिलित मामलों में रबड़ पर उपकर के रूप में 24,71,269 रुपये का भी एकत्रण किया गया। दस्ते ने 555 सड़क जाँचे, जाँच चौकियों का 67 अचानक निरीक्षण, रेल पार्सल घरों एवं सीमा इलाकों में 15 निरीक्षण भी चलाये। इन निरीक्षणों ने रबड़ परेशनों की गैर कानूनी आवागमन रोकने में बड़े हद तक सहायता प्रदान की।

- निरीक्षण रिपोर्टों, प्रपत्र एन घोषणाओं एवं जांच चौकियों के दैनिक विवरणों की संवीक्षा हेतु विशेष ध्यान दिया गया तथा जहाँ अनियमित प्रेषण देखे गये ऐसे मामलों पर निरीक्षण के प्रबंध करने हेतु संपर्क अधिकारियों/निरीक्षकों (बा.आ.दस्ता) को समय पर भेज दिया गया था। गंभीर अनियमितताओं का पता लग जाने के आधार पर 9 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिये। उपर्युक्त मामलों में सम्मिलित उपकर के रूप में 5,72,784 रु. का संग्रहण किया गया।

जाँच चौकियों/रबड़ का अन्तर्राज्य परिवहन

- रबड़ के अन्तर्राज्य परिवहन पर निगरानी सशक्त करने हेतु केरल के पालक्काड जिला के बालयार एवं कासरगोड जिला के बेंग्रा मंजेश्वरम और तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला के कावलकिन्नर के तीन वाणिज्यिक जाँच चौकियों में रबड़ परेशनों के साथ भेजे गये दस्तावेजों की नियमित जाँच की गयी।
- तीन जाँच चौकियों द्वारा बरती गई निगरानी रबड़ के अवैध परिवहन का पता लगाने में सहायक रही। रिपोर्टीन अवधि के दौरान बालयार, मंजेश्वरम व कावलकिन्नर चेक पोस्टों के अधिकारियों ने विभिन्न ठुट्टियों के कारण से रबड़ के 161 परेशन रोके रखे जिन्हें वैध दस्तावेजों/संतोषजनक स्पष्टीकरण की



प्रस्तुति/उपकर के जमा करने पर सीमा पार करने की अनुमति दी गयी। नुटियों के लिए परेषक विश्वासजनक सबूत प्रस्तुत न करने/स्पष्टीकरण न देने पर सुरक्षा जमा के रूप में उपकर के समतुल्य 6,62,846/- रु. की रकम एकत्रित की गयी। बिक्री कर/पुलिस पदधारियों ने बिना प्रवेध दस्तावेज/संदेहात्मक स्थिति में सीमा पार करने के लिए कोशिश किए रबड़ के परेषण रोक दिए जिनके निपटान/अंतिम निर्णय हेतु संबंधित क्षेत्र के बोर्ड की जांच चौकी के पदधारियों निरीक्षकों (वा.आ.) ने आवश्यक सभी सहायताएं प्रदान कीं। निरीक्षण दल ने रबड़ के गुप्त परिवहन का पता लगाया तथा 10,02,666 रु. एकत्रित किये।

- रिपोर्टोधीन अवधि के दौरान तीनों जांच चौकियों से प्राप्त दैनिक विवरणों के अनुसार उन चौकियों से होकर रबड़ के 42,038 परेषण पार किये थे।

1. वालथार जांच चौकी	: 23493
2. मंजेश्वरम	: 9665
3. कावलकिरण	: 8880
योग	: 42038

- 2003-04 के दौरान विभिन्न श्रेणी के 16500 बुक प्रपत्र एन घोषणाओं का मुद्रण किया और विभिन्न बागानों, प्रक्रमणकर्ताओं, व्यापारियों एवं विनिर्माताओं को 15323 प्रपत्र एन बुकों की आपूर्ति की। बाजार आसूचना प्रभाग में 62823 प्रपत्र एन घोषणाओं की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई तथा जिनमें अधिकतम की संवीक्षा की। जहाँ विसंगतियाँ देखी गयी, वहाँ संबंधित पार्टियों से स्पष्टीकरण मांगे गए और उचित कार्रवाई की।

मासिक विवरणियों की आपसी जांच

- विभिन्न व्यापारियों/विनिर्माताओं/प्रक्रमणकर्ताओं/बागानों से प्राप्त मासिक विवरणियों व प्रपत्र-एन

घोषणाओं की प्रतिलिपियों की यादृच्छिक दुरतरफ़ी जांच की गई एवं 260 मामलों में विसंगतियाँ पायी गयीं। असंगत कारोबार के मामलों में 46,40,519/- रु. की वसूली की गयी।

इस तरह निरीक्षण दल, जांच चौकी मशीनरी एवं आपसी जांच आदि के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2002-03 के 46,50,002/- रु. के स्थान पर वर्ष 2003-04 के दौरान 1,05,26,981/-रु. की रकम उपकर के स्वरूप एकत्रित की।

उप कार्यालय/संपर्क कार्यालय

रबड़ पर उपकर संग्रह सुधारने और विविध मंत्रालयों तथा व्यापार व उद्योग के साथ संपर्क बनाए रखने की दृष्टि से प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में - याने चेन्नै, बेंगलूर, सेकन्दराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, मुम्बई, कोलकाता, जलंधर और नई दिल्ली में-नौ उप कार्यालयों का बोर्ड रख रखाव करता है। रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने में या रबड़ माल विनिर्माताओं को रबड़ खरीदने में आवेदकों की योग्यता का निर्धारण एवं रबड़ व्यापारियों और विनिर्माताओं से रबड़ पर उपकर व विवरणियों के एकत्रण में लगे रहना अर्द्ध इन कार्यालयों के कार्यों में सम्मिलित हैं। रबड़ माल विनिर्माताओं एवं व्यापारियों द्वारा की गयी खरीद और उनके द्वारा रखी गयी स्टोक का यादृच्छिक सत्यापन किया गया। व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के बही खाते एवं अभिलेखों का सत्यापन भी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा प्रापण किये गये सारे रबड़ के लेखे सही रूप से दर्ज किये हैं तथा उपकर के निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया है और बोर्ड को प्रस्तुत विवरणियों में रिपोर्ट किये गये कारोबार सही एवं ठीक है। रबड़ पर उपकर राजस्व के नुकसान को रोकने हेतु रबड़ अधिनियम एवं रबड़ नियमों के उपबंधों के विरुद्ध कार्यरत गैर अनुज्ञापत्रित रबड़ व्यापार एवं रबड़ माल विनिर्माण की पहचान हेतु अचानक निरीक्षण चलाये गये।



सांख्यिकी एवं योजना

सामान्य सांख्यिकी

सांख्यिकी एवं योजना विभाग द्वारा अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक की अवधि के दौरान किये गए कार्यकलापों में रबर की पूर्ति, माँग, स्टॉक तथा मूल्य के आंकड़ों का नियमित रूप से अनुवीक्षण एवं उनकी बोर्ड एवं सरकार को प्रस्तुति सम्मिलित है। 29.5.03, 19.7.03, 30.11.03 तथा 29.3.2004 को संपन्न बोर्ड की बैठकों में रबर की मांग एवं पूर्ति की स्थिति का सामयिक पुनरीक्षण किया गया। विभाग ने इन बैठकों में चर्चा हेतु स्वाभाविक रबर क्षेत्र में विद्यमान स्थिति तथा भविष्य के रुख दिखानेवाले सांख्यिकीय आंकड़ों सहित टिप्पणियों की तैयारी की।

रबर कृषकों, व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं से हर महीने एकत्रित सांख्यिकीय विवरणियों का संकलन एवं विश्लेषण किया। छोटी रबर जोत क्षेत्र के संदर्भ में उत्पादन, स्टॉक आदि में अन्तर का पता लगाने के लिए छोटे जोत क्षेत्र में नमूना अध्ययन जारी रखा। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का संकलन किया गया तथा मासिक आधार पर रबर के उत्पादन, उपभोग, आयात एवं स्टॉक आँके गए। रबर स्टैटिस्टिकल न्यूज़ (मासिक) में प्रकाशन हेतु आवश्यक सांख्यिकीय सूचनाओं की तैयारी की। इस प्रकाशन में स्वाभाविक रबर, कृत्रिम रबर एवं सुधारित रबर के उत्पादन, उपभोग, स्टॉक, आयात/निर्यात के रुख, स्वाभाविक रबर का भाव तथा अन्य कई विवरण प्राप्त होते हैं। बोर्ड ने इंडियन रबर स्टैटिस्टिक्स भाग 26, 2003 का प्रकाशन जून 2003 महीने में किया। इस प्रकाशन में रबर के अधीन क्षेत्र, स्वाभाविक, कृत्रिम एवं सुधारित रबर के उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात, भाव आदि एवं विनिर्माता, व्यापारी, रबर के उत्पाद, श्रमिक आदि के आलावा विश्व रबर सांख्यिकी की विस्तृत जानकारी है।

विभाग ने सरकार एवं रबर उद्योग से संबद्ध विभिन्न संगठनों को संबंधित सांख्यिकीय सूचना प्रदत्त की। रबर के निर्यात/आयात, उत्पादन, भाव आदि एवं रबर उद्योग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित संसदीय प्रश्नों एवं विधान सभा प्रश्नों के उत्तर देने हेतु आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की।

वर्ष 2003-04 के दौरान देश में संसाधित रबर के विभिन्न वर्गों के उत्पादन, संस्थापित क्षमता आदि के निर्णय करने के लक्ष्य से सान्द्रीकृत लाटेक्स, ब्लॉक रबर, पो एल सी के संसाधकों एवं क्रीप मिलों से उनकी वार्षिक रिपोर्टें संग्रहित की थीं। अंतिम उत्पादों के आधार पर रबर के उपभोग आंकड़े, उपभोग के अनुसार विनिर्माताओं के वर्गीकरण हेतु रबर माल के विनिर्माताओं से वर्ष 2003-04 की वार्षिक विवरणियाँ एकत्रित की थीं। विनिर्माताओं से एकत्रित मासिक विवरणियों से स्वाभाविक रबर, कृत्रिम रबर, सुधारित रबर आदि के राज्यवार उपभोग तैयार किये। बड़े बागान क्षेत्र के विभिन्न आंकड़ों का पता करने के लिए बड़े कृषकों से भी वार्षिक विवरणियाँ एकत्रित कीं।

योजना

स्वाभाविक रबर पर वर्ष 2004-05 का वार्षिक योजना प्रस्ताव तैयार किया तथा सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। रबर बोर्ड की उपलब्धियों एवं रबर बागान उद्योग की पुनरीक्षा पर व्यापक टिप्पणी तैयार की तथा सरकार को प्रस्तुत की।

वर्ष 2003-04 हेतु कार्वावाई योजना तैयार की तथा तिमाही पुनरीक्षा रिपोर्टें नियमित रूप से तैयार कीं तथा प्रस्तुत कीं।



विश्व संगठनों को सूचना का प्रदान

भारत में स्वाभाविक रबड़ उद्योग के संबंध में एसोसिएशन ऑफ नाचुरल रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ (ए एन आर पी सी), कुलालपुर, मलेशिया एवं अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन ग्रुप (आई आर एस जी), लंदन जैसे विश्व संगठनों को सूचना प्रदान करना सांख्यिकी एवं योजना विभाग ने जारी रखा।

भारत सरकार की तरफ से रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष वायलैंड

के शियांगमैन में सितंबर 2003 में संपन्न आई आर आर डी बी को बैठक, मलेशिया में सितंबर 2003 में आयोजित ए एन आर पी सी की कार्यकारी समिति की 27वीं बैठक एवं मलेशिया में फरवरी 2004 में उत्पादन एवं विपणन नीतियों पर ए एन आर पी सी की संयोजन समिति की 10वीं बैठक में भाग लिए। संयुक्त निदेशक (सां व यो) ने भी नवंबर 2003 में कोलंबो में ए एन आर पी सी की स्वाभाविक रबड़ सांख्यिकी समिति की 12वीं बैठक में प्रतिभागिता की।



भाग XI

सांख्यिकीय सारणियाँ

सारणी - 1

स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपभोग

(टण)

महीना	उत्पादन	आयात*	निर्यात	उपभोग (देशी एवं आयातित)
अप्रैल 2003	45580	815	1180	54130
मई	49960	6095	1244	58095
जून	47035	4519	1898	60275
जुलाई	49485	5377	3046	61450
अगस्त	56950	8186	5461	61205
सितंबर	64815	3651	7197	60310
अक्टूबर	71290	2295	8232	58325
नवंबर	85325	1129	10814	61405
दिसंबर	88450	1056	6346	63205
जनवरी 2004	77545	2457	6337	61175
फरवरी	36455	2848	10410	59825
मार्च	38760	5771	13740	60200
योग	711650	44199	75905	719600

*स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

सारणी - 2

हर महीने के अन्त के स्वाभाविक रबड़ की स्टोक

(टण)

महीना	कृषक, व्यापारी एवं संसाधक	विनिर्माता	योग
अप्रैल 2003	61010	49725	110735
मई	61255	43740	104995
जून	55550	42830	98380
जुलाई	54060	33060	87120
अगस्त	51270	32490	83760
सितंबर	54765	28275	83040
अक्टूबर	61075	28320	89395
नवंबर	71720	31320	103040
दिसंबर	84930	38410	123340
जनवरी 2004	92675	43465	136140
फरवरी	60770	44390	105160
मार्च	30660	46635	77295



सारणी - 3

कृत्रिम रबड़ के उत्पादन, आयात एवं उपभोग
(टण)

महीना	उत्पादन*	आयात**	उपभोग
अप्रैल 2003	6040	13417	15030
मई	6548	10894	16660
जून	5687	13068	16795
जुलाई	7883	11844	17210
अगस्त	7029	14187	17515
सितंबर	8402	16518	17625
अक्तूबर	6954	14923	17540
नवंबर	7797	16316	18355
दिसंबर	7780	17965	18865
जनवरी 2004	8551	15270	18820
फरवरी	7563	18778	17530
मार्च	8132	6950@	18245
योग	88366	170130	210190

* अस्थायी

** स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

@ आकलित

सारणी - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन एवं उपभोग
(टण)

महीना	उत्पादन*	उपभोग
अप्रैल 2003	5305	5265
मई	5695	5645
जून	5735	5695
जुलाई	5915	5880
अगस्त	5960	5930
सितंबर	6210	6165
अक्तूबर	6270	6220
नवंबर	6215	6185
दिसंबर	6190	6140
जनवरी 2004	6015	5950
फरवरी	5625	5570
मार्च	5855	5815
योग	70990	70460

* विनिर्माताओं द्वारा देशी खरीद



रबड़ बोर्ड

भाग XI

सांख्यिकीय सारणियाँ

सारणी - 1

स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपभोग

(टण)

महीना	उत्पादन	आयात*	निर्यात	उपभोग (देशी एवं आयातित)
अप्रैल 2003	45580	815	1180	54130
मई	49960	6095	1244	58095
जून	47035	4519	1898	60275
जुलाई	49485	5377	3046	61450
अगस्त	56950	8186	5461	61205
सितंबर	64815	3651	7197	60310
अक्तूबर	71290	2295	8232	58325
नवंबर	85325	1129	10814	61405
दिसंबर	88450	1056	6346	63205
जनवरी 2004	77545	2457	6337	61175
फरवरी	36455	2848	10410	59825
मार्च	38760	5771	13740	60200
योग	711650	44199	75905	719600

*स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

सारणी - 2

हर महीने के अन्त के स्वाभाविक रबड़ की स्टोक

(टण)

महीना	कृषक, व्यापारी एवं संसाधक	विनिर्माता	योग
अप्रैल 2003	61010	49725	110735
मई	61255	43740	104995
जून	55550	42830	98380
जुलाई	54060	33060	87120
अगस्त	51270	32490	83760
सितंबर	54765	28275	83040
अक्तूबर	61075	28320	89395
नवंबर	71720	31320	103040
दिसंबर	84930	38410	123340
जनवरी 2004	92675	43465	136140
फरवरी	60770	44390	105160
मार्च	30660	46635	77295



सारणी - 3

कृत्रिम रबड़ के उत्पादन, आयात एवं उपभोग

(टण)

महीना	उत्पादन*	आयात**	उपभोग
अप्रैल 2003	6040	13417	15030
मई	6548	10894	16660
जून	5687	13068	16795
जुलाई	7883	11844	17210
अगस्त	7029	14187	17515
सितंबर	8402	16518	17625
अक्टूबर	6954	14923	17540
नवंबर	7797	16316	18355
दिसंबर	7780	17965	18865
जनवरी 2004	8551	15270	18820
फरवरी	7563	18778	17530
मार्च	8132	6950@	18245
योग	88366	170130	210190

* अस्थायी

** स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकता

@ आकलित

सारणी - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन एवं उपभोग

(टण)

महीना	उत्पादन*	उपभोग
अप्रैल 2003	5305	5265
मई	5695	5645
जून	5735	5695
जुलाई	5915	5880
अगस्त	5960	5930
सितंबर	6210	6165
अक्टूबर	6270	6220
नवंबर	6215	6185
दिसंबर	6190	6140
जनवरी 2004	6015	5950
फरवरी	5625	5570
मार्च	5855	5815
योग	70990	70460

* विनिर्माताओं द्वारा देशी खरीद



सारणी - 5

भारत में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना	आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	आई एस एन आर-5	आई एस एन आर-10	आई एस एन आर-20	आई एस एन आर-50
अप्रैल 2003	5467	5367	5267	5074	4943	5313	5213	5023	4852
मई	5175	5075	4975	4851	4749	4979	4879	4695	4577
जून	5176	5076	4976	4829	4719	5064	4964	4765	4660
जुलाई	4815	4735	4635	4453	4286	4694	4594	4282	4194
अगस्त	5024	4924	4824	4693	4490	4802	4702	4404	4302
सितंबर	5152	5052	4952	4849	4655	4923	4823	4533	4417
अक्तूबर	5494	5394	5294	5155	4978	5296	5196	5002	4802
नवंबर	5716	5616	5516	5346	5148	5598	5498	5260	5062
दिसंबर	5659	5559	5459	5315	5092	5556	5456	5156	5031
जनवरी 2004	5510	5410	5310	5153	5014	5475	5375	5071	4958
फरवरी	5587	5487	5387	5192	5087	5502	5402	5130	5013
मार्च	5944	5844	5744	5567	5436	5800	5700	5489	5378
वार्षिक औसत	5393	5295	5195	5040	4883	5250	5150	4901	4771

सारणी - 6

बैंकोक बाज़ार में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना	आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	एस टी आर-5	एस टी आर-10	एस टी आर-20
अप्रैल 2003	4882	4816	4755	4722	4673	4429	4351	4307
मई	4757	4690	4628	4595	4545	4232	4154	4110
जून	4915	4848	4786	4752	4702	4302	4224	4179
जुलाई	4717	4651	4590	4556	4507	4185	4107	4063
अगस्त	4890	4823	4763	4730	4680	4476	4398	4354
सितंबर	5162	5095	5032	4998	4948	4932	4852	4807
अक्तूबर	5874	5800	5737	5703	5651	5938	5756	5735
नवंबर	6085	6017	5954	5920	5869	5748	5673	5625
दिसंबर	5793	5724	5661	5627	5575	5757	5678	5631
जनवरी 2004	5806	5736	5672	5637	5585	5665	5584	5538
फरवरी	5878	5809	5745	5710	5658	5729	5652	5606
मार्च	6139	6071	6008	5974	5923	5989	5909	5863
वार्षिक औसत	5408	5340	5278	5244	5193	5115	5028	4985



31.03.2004 के अनुसार रबड़ बोर्ड के सदस्यों की सूची


- | | |
|---|--|
| 1. श्री एस मरिया डसलफिन, आई ए एस | अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड |
| 2. श्री एट्टुमानूर वी राधाकृष्णन
उपाध्यक्ष
राघवमन्दिरम
ओणमतुरुत्तु.पी.ओ
कैप्पुषा - 686 602
एट्टुमानूर, कोट्टयम जिला | रबड़ अधिनियम 1947 की धारा
4 की उपधारा 3 के उपबंध (घ)
के अधीन अन्य हितों के प्रतिनिधि |
| 3. श्री वयलार रवी
माननीय सांसद
अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी महा सचिव
अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी कार्यालय,
24, अकबर रोड
नई दिल्ली - 110 011 | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ङ) के अधीन सांसद |
| 4. सरकार के सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
तमिलनाडु सरकार, चेन्नै - 9 | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ख) के अधीन तमिलनाडु सरकार के
प्रतिनिधि |
| 5. कृषि उत्पादन आयुक्त,
केरल सरकार, सचिवालय,
तिरुवनन्तपुरम - 695 001. | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल सरकार के प्रतिनिधि |
| 6. आयुक्त एवं सचिव
जनजाति कल्याण विभाग
बागानी कार्य देखनेवाला विभाग
त्रिपुरा सरकार, अगरतला | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(घ) के अधीन अन्य हितों के प्रतिनिधि |
| 7. श्री रघुपति सिंघानिया
प्रबंध निदेशक,
जे के इंडस्ट्रीज़ लि., लिंक हाउस,
बहादुरशाह सफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110 002 | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(घ) के अधीन रबड़ माल विनिर्माताओं
के प्रतिनिधि |



- | | |
|---|---|
| <p>8. श्री ए जेकब, एफ सी ए
प्रबंध निदेशक,
वेलिमला रबड़ कंपनी लि.
उप्पुट्टिल बिल्डिंग्स, के.के.रोड
कोट्टयम - 686 001</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल राज्य के बड़े कृषकों
के प्रतिनिधि</p> |
| <p>9. श्री के जेकब तोमस
प्रबंध निदेशक
मे.वाणियंपारा रबड़ कंपनी लि.
वाष्ककाला बिल्डिंग्स, के.के.रोड
कोट्टयम - 686 001</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल राज्य के बड़े
कृषकों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>10. श्री एम डी जोसफ
मण्णिपरविल
कांजिरप्पल्ली - 686 507</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग)
के अधीन केरल राज्य के बड़े कृषकों के
प्रतिनिधि</p> |
| <p>11. श्री एस.रामचन्द्रन,
निदेशक,
वैकुण्ठम प्लान्टेशन्स लि.
पी बी नं.1004, गीता बिहार
2/3309, चालक्कुपी रोड,
पट्टम पालस पी.ओ.,
तिरुवनन्तपुरम - 695 004</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग)
के अधीन तमिलनाडु राज्य के बड़े कृषकों
के प्रतिनिधि</p> |
| <p>12. प्रो. के.के.एब्राहम,
अध्यक्ष,
इंडियन ब्लॉक रबड़ प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन
कर्यत्तिन्करा
मारतोमा चर्च रोड, पाला</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग)
के अधीन अन्य हितों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>13. श्री सी अनन्तकृष्णन
पुत्तन वीडु,
वीयन्नूर पी.ओ, तिरुवट्टार
नागरकोइल, कन्याकुमारी जिला</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन श्रमिक हितों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>14. अधिवक्ता पी लालाजी बाबु
लाली विलास,
भारतीपुरम पी.ओ.
कोल्लम जिला, केरल</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन श्रमिक हितों के प्रतिनिधि</p> |



15. श्री कानम राजेन्द्रन,
कोच्चुकाला पुरयिडम,
कानम पी.ओ.,
कोट्टयम - 686 515
धारा 4 के उपधारा (3) के उपबंध (घ) के
अधीन श्रमिक हितों के प्रतिनिधि
16. श्री पी बी सत्यन
प्लावडा कोच्चुवीडु
साउथ वाष्क्कुलम पोस्ट
आलुवा - 683 105
धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल राज्य के छोटे
कृषकों के प्रतिनिधि
17. श्री पी.आर.मुरलीधरन
पतालिल हाउस
एस एन पुरम पोस्ट, पाम्पाडी
कोट्टयम - 686 502
धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग)
के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों
के प्रतिनिधि
18. प्रबंध निदेशक
प्लान्टेशन कोर्पोरेशन ऑफ केरला लि.,
कोट्टयम - 686 004
धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग) के
अधीन केरल सरकार के प्रतिनिधि
19. श्री तोमसकुट्टी
पारगण रबड़ इंडस्ट्रीस,
45ए, फेस-2,
पोनिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र,
बैंगलूर - 560 058
धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ) के
अधीन रबड़ माल विनिर्माताओं के प्रतिनिधि
20. अधिवक्ता एम.एस.करुणाकरन,
बी एम एस कार्यालय
मंजमट्टतिल,
रेलवे स्टेशन के सामने
कोट्टयम
धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ) के
अधीन श्रमिक हितों के प्रतिनिधि
21. अधिवक्ता अशोकवनम चन्द्रसेनन
गौरीशम,
एडाईक्कोडु, पी.ओ. - 629 152
कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु
धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ) के
अधीन अन्य हितों के प्रतिनिधि
22. श्री जोर्जकुट्टी अगस्ती,
चीरंकुत्रेल हाउस,
इंजियानी पी.ओ, पारत्तोड
कोट्टयम - 686 512
धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग) के
अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों के प्रतिनिधि
23. डॉ ए के कृष्णकुमार
रबड़ उत्पादन आयुक्त
रबड़ बोर्ड, कोट्टयम
धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (च)
के अनुसार पदेन सदस्य



CONTENTS

ANNUAL REPORT 2003-2004



THE RUBBER BOARD
Ministry of Commerce & Industry
Govt. of India

ANNUAL REPORT
2003-2004



THE RUBBER BOARD
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
GOVT. OF INDIA

CONTENTS

PART I	INTRODUCTION	1 - 3
PART II	CONSTITUTION AND FUNCTIONS	4 - 5
PART III	RUBBER PRODUCTION	6 - 12
PART IV	ADMINISTRATION	13 - 19
	Establishment	
	Marketing	
	Labour Welfare	
	Legal	
	Hindi Section	
	Publicity and Public Relations	
	Vigilance	
PART V	RUBBER RESEARCH	20 - 25
PART VI	PROCESSING & PRODUCT DEVELOPMENT	26 - 28
PART VII	TRAINING & TECHNICAL CONSULTANCY	29 - 30
PART VIII	FINANCE & ACCOUNTS	31 - 32
PART IX	LICENSING & EXCISE DUTY	33 - 37
PART X	STATISTICS AND PLANNING	38 - 39
PART XI	STATISTICAL TABLES	40 - 42
	LIST OF MEMBERS OF THE BOARD	43 - 45

CONTENTS

PART I	INTRODUCTION	1-3
PART II	CONSTITUTIONAL HISTORY	4-10
PART III	ADMINISTRATIVE HISTORY	11-17
PART IV	LEGISLATIVE HISTORY	18-24
PART V	JUDICIAL HISTORY	25-31
PART VI	LOCAL GOVERNMENT	32-38
PART VII	EDUCATION	39-45
PART VIII	RELIGION	46-52
PART IX	ARTS AND LITERATURE	53-59
PART X	SCIENCE AND TECHNOLOGY	60-66
PART XI	INDUSTRY AND COMMERCE	67-73
PART XII	LABOUR AND SOCIAL WELFARE	74-80
PART XIII	DEFENCE	81-87
PART XIV	FOREIGN RELATIONS	88-94
PART XV	CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT	95-101
PART XVI	CONSTITUTIONAL REFORMS	102-108
PART XVII	CONSTITUTIONAL CHALLENGES	109-115
PART XVIII	CONSTITUTIONAL FUTURE	116-122
PART XIX	CONSTITUTIONAL INDEX	123-129
PART XX	CONSTITUTIONAL APPENDIX	130-136

PART I

Rubber Board



INTRODUCTION

The Rubber Board was constituted by the Government of India as a body corporate under the Rubber Act 1947 with the primary objective of the overall development of the rubber industry in the country. Natural rubber often referred to as nature's most versatile raw material is obtained from the latex produced by "*Hevea brasiliensis*". This raw material finds its use in about 35,000 products and contributes substantially to the industrial and economic development of the country. The Board established a strong development and extension network and as a result, the rubber plantation sector achieved an impressive all-round growth in expansion of area and increase in production and productivity. Simultaneously, the Board gave thrust to research also and the Rubber Research Institute of India (RRII) was established in 1955 for carrying out research on biological and technological improvement on rubber.

The Board has been encouraging scientific planting of rubber right from its inception and since the sixth plan period, an integrated scheme for development of rubber plantations, namely, the Rubber Plantation Development Scheme for promoting both newplanting and replanting has been in operation and this is rated by the World Bank as one of the successful schemes. Besides, development and extension support is given to growers for increasing productivity, improving the quality of produce through individual as well as community efforts, facilitating formation of grass roots level organizations of growers and empowering them to ensure sustainable development through rubber cultivation. The development of rubber plantation in non-traditional region, especially in north-eastern states has also achieved significant growth where rubber development is taken up adopting an integrated

approach. Special mention needs to be made about the rubber based settlement programmes for tribal shifting cultivators in the north-east and in other states such as Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala ensuring overall socio-economic development/eco-restoration.

The Board has also been adopting several measures to promote diversified as well as non-conventional uses of natural rubber by supporting rubber products manufacturing sector, extending assistance for skill upgradation and infrastructure development.

The Rubber Research Institute of India has made significant contributions by breeding and releasing the popular clone RRII 105, one of the highest yielding clones in the world. Four new clones under RRII 400 series having a potential yield of more than 2500 kg. per hectare have been released by the RRII. The RRII has also evolved agro-technologies on various cultural practices on 'Hevea'. The Institute has made substantial contribution in improving the processing of rubber and evolving speciality rubbers, which can effectively substitute synthetic rubbers. Research on special environment protection systems to check pollution in processing factories, energy saving mechanisms for processing, processing of rubber wood, ancillary income generation activities and rubber based cropping system has yielded useful results.

PERFORMANCE DURING 2003-04

Production Sector

During 2003-04, the Indian rubber plantation industry emerged from a long sluggish period by registering remarkable growth in production and



productivity. As against 0.2 percent growth during 2001-02 and 2.9 percent during 2002-03, the growth achieved in Natural Rubber (NR) production during 2003-04 was 9.6%, the highest in the decade. During 2003-04, the country produced 711,650 tonnes of NR as against 649,435 tonnes produced in 2002-03. Improved prices of NR coupled with favourable weather conditions, had mainly contributed to the robust growth in production during 2003-04. Expansion in the tapped area of NR plantations, better adoption of agro-management practices are other major factors for the increased production during the year. As a result, the productivity of NR during 2003-04, estimated in terms of average yield per hectare, increased from 1592 kg. during 2002-03 to 1663 kg, the highest in the world.

Consumption Sector

Demand for NR in the country continued to increase during 2003-04 registering 3.5% growth. Total consumption of NR by the rubber goods manufacturing industry was 719,600 tonnes during 2003-04 as against 695,425 tonnes during 2002-03. The rate of growth in consumption of NR in the dominant auto tyre manufacturing sector was 7.1% during 2003-04 compared to 16% during 2002-03. However, the demand growth of NR in the general rubber goods sector declined from 2.6% during 2002-03 to negative 0.3% during 2003-04.

The production, consumption and growth rate of natural rubber for the year 2003-04 and the immediately preceding two years are –

Import & Export of NR

As per the data collected, the imports during 2003-04 surged to 44,199 tonnes from 26,217 tonnes in 2002-03. An important development in Govt. Policy towards import of NR that took place during the year 2003-04, was the removal of the ban on import under Advance Licence Scheme. Government restored the facility for duty free import of NR in July 2003 and further from 9th January 2004 reduced the basic customs duty on NR from 25% to 20% and abolished the Special Additional Duty (SAD) of 4%.

The country's export of NR touched 75,905 tonnes during 2003-04, a substantial increase from 6,995 tonnes exported in 2001-02 and 55,311 tonnes in 2002-03. The main factors contributing to the buoyancy in export were the export promotional measures adopted by the Govt. of India and the prevalence of relatively higher NR prices in the international market since June 2003.

Price of NR

Natural rubber prices both in the domestic as well as in the international markets remained appreciably high during 2003-04. In the domestic market, export of NR contributed to the uptrend in prices. The average annual price of RSS-4 grade sheet rubber was Rs.5,040/- per 100 kg during 2003-04 as compared to Rs.3,919/- per 100 kg during 2002-03. The maximum price realized for RSS-4 grade sheet rubber during the year was Rs.5,650/- per 100 kg on 25th February 2004, the highest price quoted in the last seven years. During the period from April to June 2003, Indian price of RSS-4 grade was higher than the

Year	Production (in MT)	Growth rate	Consumption (in MT)	Growth rate
2001-02	6,31,400	0.2%	638,210	1.1%
2002-03	6,49,435	2.9%	6,95,425	9%
2003-04	7,11,650	9.6%	7,19,600	3.5%



international price of the equivalent grade RSS-3, and from July 2003 onwards the Indian prices started ruling below the international prices.

In the international market also the NR prices kept a high tone during 2003-04. Bangkok market price of RSS 3 grade rubber considered as equivalent to Indian RSS-4, rose sharply in October 2003. The price touched an all time high of Rs.6,633/- per 100 kg on 4th November 2003. The annual average price of RSS-3 during 2003-04 was Rs.5,278/-per 100 kg. The main factor behind the uptrend in the international price was the depletion of world NR stock leading to supply

demand imbalance. Erosion in the value of US dollar against the currencies of major NR exporting Asian countries had also propelled the prices.

The yearly average price of RSS-4 grade rubber for the last three years was -

Year	Price per quintal
2001-02	Rs.3,228/-
2002-03	Rs.3,919/-
2003-04	Rs.5,040/-



PART II

CONSTITUTION AND FUNCTIONS

CONSTITUTION OF THE BOARD

As per Section 4 (3) of the Rubber Act 1947, the Board shall consist of -

- a) A Chairman to be appointed by the Central Government;
- b) Two members to represent the State of Tamilnadu, of whom one shall be a person representing the rubber producing interests;
- c) Eight members to represent the State of Kerala, six of whom shall represent the rubber producing interests, three of such six being persons representing the small growers;
- d) Ten members to be nominated by the Central Govt., of whom two shall represent the manufacturers and four labour;
- e) Three members of Parliament, of whom two shall be elected by the Lok Sabha and one by the Rajya Sabha;
- f) The Executive Director (ex-officio); and
- g) The Rubber Production Commissioner (ex-officio).

The position of Executive Director has not been filled so far.

List of members of the Board as on 31.3.2004 is given at the end of this report.

FUNCTIONS OF THE BOARD

The functions of the Board as laid down under Section 8 of the Rubber Act 1947 are -

- (1) to Promote by such measures as it thinks fit the development of the rubber industry.

(2) the measures may provide for -

- a) undertaking, assisting or encouraging scientific, technological and economic research;
- b) training students in improved methods of planting, cultivation, manuring and spraying;
- c) the supply of technical advice to rubber growers;
- d) improving the marketing of rubber;
- e) the collection of statistics from owners of estates, dealers and manufacturers;
- f) securing better working conditions and the provisions and improvement of amenities and incentives for workers; and
- g) carrying out any other duties which may be vested in the Board under rules made under the Act.

(3) It shall also be the duty of the Board -

- a) to advise the Central Govt. on all matters relating to the development of rubber industry, including the import and export of rubber;
- b) to advise the Central Govt. with regard to participation in any international conference or scheme relating to rubber;
- c) to submit to the Central Govt. and such other authorities as may be prescribed half yearly reports on its activities and the working of the Act; and
- d) to prepare and furnish such other reports relating to the rubber industry as may be required by the Central Govt. from time to time.



Seven Committees have been constituted by the Board to review its activities vis-à-vis to monitor the progress of implementation of the functions as laid down under Section 8 of the Rubber Act. These are Executive Committee, Research & Development Committee, Market Development Committee, Planting Committee, Statistics & Import/Export Committee, Labour Welfare Committee and Staff Affairs Committee.

Shri Ettumanoor V Radhakrishnan representing other interests in the Board who was holding the position of Vice-Chairman from 30.11.2002 to 21.8.2003 was re-elected as the Vice-Chairman on 31.10.2003 by the newly reconstituted Board for a period of one year.

Shri SM Desalpine IAS, continued as the Chairman of the Board during 2003-04.

ORGANISATIONAL SET UP

The activities of the Rubber Board are carried out through eight Departments viz. Rubber Production, Administration, Rubber Research, Processing & Product Development, Training & Technical Consultancy, Finance & Accounts, Statistics & Planning and Licensing & Excise Duty; headed respectively by the Rubber Production Commissioner, the Secretary, the Director of Research, the Director (P&PD), the Director (T&TC), the Director (Finance), the Jt. Director (S&P) and the Director (L&ED). During the year under report, as the post of Secretary was lying vacant, the Director (L&ED) continued to hold additional charge of the post of Secretary.

The Headquarters of the Board along with the Administration, Rubber Production, Statistics & Planning, Licensing & Excise Duty and Finance & Accounts Departments are located at own premises in Keezhukunnu, Kottayam-686 002.

The Departments of Research, Processing and Product Development and Training & Technical Consultancy are located at the Rubber Research Institute of India campus at Kottayam – 686 009.

There are nine Sub/Liaison Offices under the Licensing & Excise Duty Department. The Rubber Production Department has 4 Zonal Offices, 2 Nucleus Rubber Estate & Training Centres, 42 Regional Offices, 167 Field Stations, 13 Regional Nurseries including 2 District Development Centres, one Central Nursery and 19 Tappers' Training Schools located at different rubber growing regions.

The Research Department runs two Regional Research Stations in Kerala and a Regional Station each in Tamilnadu, Karnataka, Maharashtra, Orissa, West Bengal, Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura. Besides, the Research Dept. also runs Pilot Block Rubber Factory and the Pilot Plant for Radiation Vulcanisation of Natural Rubber latex located at Kottayam. The Pilot Latex Processing Factory located at the Central Experiment Station at Chethackal and the Model TSR Factory established under the World Bank Assisted Rubber Project are run by the Department of Processing and Product Development.

The Chairman exercises administrative control over all the Departments and Offices of the Board. The total number of Officers and staff under the Board as on 31.3.2004 was 2054 consisting of 315 Group 'A' Officers, 605 Group 'B' Officers, 940 Group 'C' staff and 194 Group 'D' staff. Very cordial relations existed between the staff and the executive personnel. Their good work has resulted in taking the Board to greater heights.

The activities of the different departments are summarized in the following pages.

**PART III****RUBBER PRODUCTION**

The Rubber Production Department is responsible for planning, formulation and implementation of schemes for promoting rubber cultivation, production of natural rubber, supporting primary processing and improving quality of the produce. The major programmes formulated and implemented during the year 2003-2004 are as follows.

1. Rubber Plantation Development Scheme.
2. Promotion of Rubber cultivation of rubber among scheduled caste/ scheduled tribe through Block planting, Group planting schemes.
3. Advisory and Extension services to growers for scientific planting and production.
4. Supply of plantation requisites for popularization of improving production and processing.
5. Schemes for primary processing and quality upgradation of small holders' produce.
6. Promotion of Group activities, self help groups among small rubber holders.
7. Training of rubber tappers and growers for income generation.

Board continued to implement various rubber development schemes separately for the traditional/non-traditional areas and North Eastern Region.

RUBBER PLANTATION DEVELOPMENT SCHEMES**Rubber Plantation Development Scheme in Traditional area/Non-Traditional area other than North East**

The rubber plantation development scheme

provides for free technical support and financial assistance for new planting and replanting. The planting target for the year 2003-2004 was 5200 ha. against which the area planted was 4849 ha. The details of the target and performance under RPD Scheme during 2003-04 in traditional area/ non-traditional area other than NE, are as follows.

2003-04 planting

Category of planting	Target	No. of permits issued	Achievement in ha.
Replanting	4200	4547	3591
Newplanting	1000	2453	1258
Total	5200	7000	4849

In addition to this 2572 permits based on applications received in the previous year for planting in an area of 1588 ha. were also issued during the year.

Total amount of Rs.8,32,31,283/- has been paid as financial assistance in Traditional and Non Traditional area other than NE under RPD scheme during 2003-2004 including spill over payment.

Block plantation project for SC/ST

This project implemented jointly by the Board and the State Governments of Kerala, Tripura, Orissa, Andhra Pradesh and Karnataka adopting an integrated approach, aims at an overall development of Tribal/SC categories. The concerned State Governments are financially supporting the project. The state-wise progress achieved under the scheme is as follows:

State	Area brought under the scheme during 2003-04 (Area in ha.)	No. of beneficiaries during 2003-04	Cumulative total up to 2003-2004 (area in ha)	Cumulative No of beneficiaries upto 2003-04
Orissa	Nil	Nil	225	328
Andhra Pradesh	16	7	98	70
Karnataka	Nil	Nil	250	418
Kerala	Nil	Nil	2,063	5,971
Tripura	107	109	2,764	2,362
Total	123	116	5,399	9,149

Insurance of Rubber plantations

Rubber plantations are insured against natural calamities. All immature plantations raised under the Board's RPD scheme and mature plantations

on voluntary basis up to 22 years of age are given coverage. Immature plantations outside the RPD Scheme is optional to the growers. Details of plantation insured and compensation paid are given below.

Item	Cumulative Total up to 31/03/2003	Achievement from 01/4/2003 to 31/03/2004	Cumulative Total
Immature Area Insured (Ha)	95,954.97	4,891.54	1,00,846.51
No of Holdings	1,44,079	6,870	1,50,949
Mature Area Insured (Ha)	11,721.12	1,068.21	12,789.33
No of Holdings	6,148	456	6,604
Compensation paid (Rs. in lakhs)			
No of Beneficiaries	227.61	47.39	275
	6,131	798	6,929

Distribution of leguminous cover crop seeds

The scheme is formulated and implemented by the Extension wing, on a need basis for

providing Pueraria and mucuna seeds for establishing leguminous cover in the field. The physical and financial target and achievements of the scheme are given below:

Item	Stock as on 01/04/03	Quantity Purchased during 2003-04	Distribution from 1/04/2003 to 31/3/2004
	(Kg)	(Kg)	(Kg)
Leg Cover seeds (Pueraria) Distribution in Traditional Area	17.500	346.000	38.000
Leg Cover seeds (Mucuna) Distribution in Traditional Area	33.750	509.00	471.350



Planting Material Generation (Traditional area)

With the twin objective of generating quality planting material and regulating market price, the Board is producing and distributing quality planting materials in a limited extent and distributing at cost price. Price concession is offered to the small growers. The planting materials produced have been issued to the needy growers for raising source bush material or for raising plantations. The details are given below.

No of nurseries owned by the Board - Traditional area	- 7 Nos
Area of Nurseries (Traditional area)	- 43.36 Ha.
No of nurseries owned by the Board (NE/NT)	- 7 Nos
Area of Nurseries (NE/NT)	- 22.81 Ha.

Item	Achievement
Production in Traditional Area 2003-04	
Green budded stumps	146136 Nos.
Brown budded stumps	693326 Nos.
Total	839462 Nos.

Tappers' Training School

Regular Tappers' Training School (TRADITIONAL AREA)

There are 14 regular Tappers' Training schools in the Traditional area run by the Board at different plantation centres, for imparting training to small growers and workers in tapping. During the period under report, training was imparted to 1387 persons including 218 persons belonging to SC/ST categories in 97 batches.

Short term Tappers' Training Schools (TRADITIONAL AREA)

Apart from the conventional Tappers' Training school, Board is conducting short term intensive training courses in various practical aspects of

scientific tapping. During the period under report, 6562 persons were given training in 420 batches under the scheme for which a sum of Rs.16.81 lakh was incurred.

Promotion of Rubber Producers' Societies (RPS)

For the effective transfer of technology and for empowerment of the smallholding sector which accounts for 89% of the production of NR, Board has adopted a group approach by promoting formation of voluntary organization of small farmers at village level namely, Rubber Producers Societies (RPSs).

RPSs are envisaged to function as the extension arm of the Board to facilitate meaningful devolution of extension functions to render effective service to the small growers. During the period, 11 new RPSs were formed making the cumulative total to 2159. Efforts are also being made to revitalize the defunct RPSs by participatory approach. 73 RPSs were rejuvenated during the period.

5323 Executive Committee meetings and 1581 General body meetings of RPSs were held during 2003-04 in which 28408 director board members of the RPSs and 45656 growers participated. 747 Training programmes were also conducted by the RPSs during the year and 12728 growers participated in such training programmes. Audio visual aids were used in 933 meetings and 28094 growers benefited.

Board has established 35 RPSs, 30 in traditional area and 5 in non traditional region, as model RPSs with infrastructure facilities required for functioning as centres for technology transfer and model primary processing centres. These model RPSs are functioning as Training centres for growers, workers etc. Training programmes were conducted on various subjects such as plantation management, quality sheet making, grading, beekeeping, manuring, plant protection, tapping, etc. These centres have been equipped

with audio visual facility for conducting training programmes. For the effective use of information technology for knowledge upgradation and sharing information, computers were also procured in major centres.

Scheme for granting financial assistance to RPSs to set up group processing centre, smoke house, training hall & effluent treatment plants

The scheme is aimed at supporting RPSs to set up crop collection centres and group processing facilities for a better raw material supply chain for quality upgradation of NR. An amount of Rs.5,31,78,631/- was disbursed to 191 RPSs during the year as assistance.

Women Empowerment Programme

A monitoring cell is functioning in the Central Office and nodal Officers at the Regional Office level, to provide logistic support to the women empowerment programmes (income generation as well as training activities) initiated by RPSs. The women self help groups under the RPSs were supported by the Board in the areas of training and for marketing of their products.

Farmer education programme

Interpersonal interaction

To disseminate technical knowhow to the farmers 1,74,379 numbers of field visits to the farmers fields were conducted by the Extension Officers of the Board during 2003-04 and necessary technical advice provided. During such field visits, demonstrations were also conducted by the Extension Officers on need basis.

Group interactions

Owing to the wide ratio of the extension officials and growers numbering almost about a million, the department has been promoting a group approach to maintain contact with the grower

community. Campaign programmes are also being conducted every year in order to popularize the modern techniques of rubber cultivation and processing. The topic highlighted during 2003-04 was "Group approach Aiming at Quality Improvement". The details of the meeting during the period are as shown below:-

Type of meeting	No. of meeting	No. of Participants
Full day seminar	80	6413
Half day meeting	864	29492
Group meeting	2767	36562
Campaign meeting	2753	68535
Training programme	808	13887
RPS Meeting	8445	73425
Use of Audio visual Equipments	951	28572
Other Meeting	4390	10581
Total	21058	267467

Sasthradarshan Programme

Under the programme 214 growers from non-traditional/north eastern states were brought in 18 batches from Tripura, Assam, Orissa, Andhra Pradesh & Goa to the traditional rubber growing areas in Kerala and given training on various aspects of Rubber cultivation as detailed below.

State	No. of Batches	No of Trainees
Tripura	7	81
Assam	6	68
Orissa	3	39
Goa	1	13
Andrapradesh	1	13
Total	18	214

Training Programme for Technical Officers

As part of Human Resource Development Programme of the Board, 15 Extension Officers were trained at Kerala Agriculture University on "Participatory learning for extension work", "Dynamics of group management" and "IT enabled services in extension".



Computerization

All the Regional Offices have started processing applications under Rubber Plantation Development Scheme in Computers.

RUBBER DEVELOPMENT SCHEME IN NORTH EASTERN REGION

Rubber Plantation Development Scheme

Performance results under RPD Scheme in North East Region during 2003-04 are furnished below:

(a) 2003-04 planting

Category of planting	Target in ha.	No. of permits issued	Achievement in ha.
Replanting	30	1	33
Newplanting	2000	2255	1816
Total	2030	2256	1849

(b) Total number of permits issued during 2003-04 including spillover permits of previous years planting

Category of planting	No. of permits issued	Achievement in ha.
Replanting	1003	39.86
Newplanting	2338	1868.00
Total	3341	1907.86

Considering the excellent potential for rubber plantation development in the region, the department continued its activities for servicing

the existing plantations and also area expansion in NE Region. 109 tribals were selected for block planting with an area of 107 ha, during the year. The cumulative area and number of beneficiaries brought under block planting as at the end of March 2004 are 2760.28 ha. and 24471 respectively. Under the group planting scheme 298 persons participated in planting in an area of 287.65 ha. The total area so far planted under the group planting scheme as on 31/3/04 is 5240.66 ha. and the number of beneficiaries is 5596. In order to raise poly bagged plants for next year's planting, 11.17 lakh budded stumps and 8,01,784 polythene bags were distributed to 2641 and 2081 growers respectively.

Integrated village level rubber development

During the 10th plan an integrated approach for rubber based developments on a village basis has been adopted having two components namely;

- 1) Revitalization of the sick plantations established after 1997 and Restocking of poor plantations.
- 2) Expansion of the area adopting group approach, implementation of productivity enhancement measures for mature plantations and creating processing and marketing facilities on group basis.

The progress under the scheme during 2003-04 are as shown below:-

Component	GUWAHATI		AGARTALA		Total no of bene-ficiaries	Total Area (Ha)
	No of bene-ficiaries SC/ST	AREA (ha)	No of bene-ficiaries SC/ST	AREA (ha)		
REVITALISATION	49	27.36	58	24.08	107	51.44
RESTOCKING	63	60.93	72	39.63	135	100.56
TOTAL	112	88.29	130	63.71	242	152

Rs. 11,32,705 was paid as assistance under the Integrated village level Development scheme.

Demonstration of agromanagement practices

Rubber being a relatively new crop in the NE region, strong extension support is required to make the farmers adopt scientific agromanagement practices in their plantations. Board has already established Nucleus Rubber estate & Training Centers (NRETC) in Tripura and Andaman Nicobar Islands. In other North Eastern States, District Development Centres (DDC) have also been set up. A Rubber Research & Training Centre has also been started in Assam (RRTC). These centres had conducted farmers' training programmes, demonstration plantations, etc during 2003-2004.

Distribution of estate inputs

Board had distributed the following estate inputs during the year, in the NE Region.

Inputs item	No of Growers	Quantity
Urea	4310	208.65 MT
MOP		162.20 MT
MRP		475.20 MT
Budding tape	25	287KG
Aluminium Sieves	64	163 Nos
Total Growers	4399	

Distribution of Cover Crop Seeds

Item	Opening stock	Quantity procured during the year	Quantity Distributed
Cover crop seeds	2198.5 kg.	946.5 Kg	3145 Kg

The Nucleus Rubber Estate and Training Centre (NRETC) in Tripura state and District Development Centres (DDC) in the state of Assam (2) and Meghalaya (1) are maintained by the Department to cater to the needs of rubber growers. RRTC Agartala and DDC

Jengitchakgre had imparted training to 831 growers on various subjects in 56 batches. 4 Exhibitions were conducted and 5350 growers visited the exhibition stalls. 111 RPSs/Rubber Growers Societies were formed with a total grower participation of 3980.

Farmer education programme in NE region

Inter personal interaction

Inter personal interaction being an effective extension tool to disseminate technical knowhow, the Extension Officers of the Board conducted 31,681 numbers of field visits during 2003-04 and necessary technical advice provided to the growers. During such field visits, demonstrations were also conducted by the Extension Officers on need basis.

Group interactions

Campaign programmes are being conducted every year in order to popularize the modern techniques with regard to rubber cultivation and processing. The details of the meeting conducted during the year are as given below:

Type of Meetings	No. of meetings	No. of Participants
Half day seminar	2	92
Group meeting	497	10438
Exhibition	4	5350
Campaign	88	2755

Tappers' Training School in NE area -Regular course (School -3)

Regular training was imparted to 251 persons including 139 persons belonging to SC/ST categories in 17 batches for whom stipends were paid. A sum of Rs.2,01,885/- was incurred under this head.

Short Duration Intensive Tappers' Training programme in NE/ NT Area.

Short duration intensive tappers' training was imparted to 1,345 persons in 90 batches at an expenditure of Rs.3,72,080/-.



Women Empowerment Programmes

During 2003-04 Board conducted following programmes exclusively for women in the North East.

Details of the programmes	No. of batches	No. of participants
Tappers Training	5	75
Crop Processing	5	75
Health Camp	10	1303
Apiculture Training	3	5

Scheme for Boundary Protection

Under the scheme financial assistance is given to small growers to erect fencing to protect their young plantations from cattle menace. The details of assistance extended during 2003-04 are given below:

a) Assistance for Bamboo Fencing

State	Category	Number of beneficiaries	Area (ha)	Total amount paid (in Rs)
Tripura & Assam	SC	57	22.60	42503
	ST	1360	1192.28	1903642
	General	296	228.10	237297
	TOTAL	1713	1442.98	21,83,442

b) Assistance for Barbed Wire Fencing

State	Category	Number of beneficiaries	Area (ha)	Total amount paid (in Rs)
Assam	SC	1	3.19	5583
	ST	6	3.47	10172
	General	1	3.35	3350
	Total	8	10.01	19,105

Other Assurances

Other schemes like assistance for irrigation, beekeeping, group processing and free supply of rubber rollers were implemented during the year as per details given below:

Sl. No.	State	Type of assistance	No. of units	Total amount paid (in Rs.)
1	Assam	Irrigation	1.39 ha	6,950
2	Assam	Free supply of rubber rollers	16 Nos.	
3	Tripura	Bee-keeping	1 set	8,000
4	Tripura	Group processing	10	48,69,300
		RPS Block Planting	9	44,60,897
5	Tripura	Supply of Generator to RPS	1	30,000

Quality Planting material Generation (NE)

During the year, 3.92 lakh Nos. budded stumps were produced in the nurseries, maintained by the Board in the NE Region.

Non-Tradational area other than NE Region

The Department continued its activities for servicing existing plantations and area expansion in the States of Karnataka, Maharashtra, Goa, Orissa, Andhra Pradesh, and West Bengal. Apart from the Rubber Plantation Development scheme and other extension support scheme, block plantation projects aimed at economic settlement of tribal growers were also under implementation in these regions.

Price Stabilization Fund

The objective of PSF is to provide support to small growers when price falls 20% below the price band that would be announced every year.

Under the scheme, 16,240 growers were enrolled during 2003-04 under the scheme.

PART IV

Rubber Board



ADMINISTRATION

The Administration Dept. consists of the following Sections and Divisions.

Establishment Section

(General Administration, Personnel Administration & Entitlement)

Marketing Division

Labour Welfare Section

Legal Section

Hindi Section

ESTABLISHMENT SECTION

General Administration

The important functions of the General Administration are constitution/reconstitution of the Board and its Sub Committees, convening the meetings of the Board and its Committees, monitoring implementation of the decisions of the Board, managing the house keeping activities etc.

Meetings of the Board and its Committees

The following meetings of the Board and of the Committees were held during the year.

Board meetings

147th meeting - 29.05.2003

148th meeting - 19.07.2003

149th meeting - 31.10.2003

150th meeting - 29.03.2004

Committee meetings

* Staff Affairs Committee 23.05.2003

* Executive Committee 16.08.2003

* Market Development Committee 24.01.2004

* Planting Committee 26.03.2004

* Labour Welfare Committee 26.03.2004

Entitlement

Sanction of interest bearing advances

Financial assistance to the tune of Rs.79,62,500/- was disbursed to 31 employees of the Board as House Building advance during the year 2003-04. A sum of Rs.22,28,650/- was disbursed towards other advances to 78 employees as per details given below.

Sl. No.	Type of advance	No. of employees	Amount disbursed in Rs.
1	Car Advance	4	5,46,000/-
2	Motor Cycle/ Scooter Advance	34	9,37,150/-
3	Cycle Advance	23	34,500/-
4	Computer Advance	17	7,11,000/-
	Total	78	22,28,650/-

On completion of recovery/refund of House Building Advances along with interest, re-conveyance deed were executed in 22 cases.

Maintenance of Service Books and Personal Files

18 Service Books and Personal files were opened during the year and these are maintained properly along with other Service Books.

Retirement and grant of retirement benefits

42 employees of the Board retired on superannuation and 3 retired voluntarily from the service of the Board during the year. All retirement benefits such as pension, gratuity, commutation of pension, encashment of leave etc. were granted/paid in time. Family pensions were granted to families of 7 officials who died in harness.



Personnel Administration

18 persons were newly recruited during the year to Board's service. There were properly constituted Selection Committees/DPCs for selection of personnel befitting job requirements. Periodical returns on the personnel recruited/promoted at reservation points were sent to the Government.

223 employees/officers were promoted/higher grade awarded during the year with the following split up.

Regular promotions	: 143
Higher grade awarded under ACP Scheme	: 48
Upgradation of posts	: 25
Revision of scale of pay	: 4
Higher grade awarded under Career improvement	: 3

I The total number of Officers and staff under the Board as on 31.3.2004 was 2054 as detailed below.

Sl. No	Name of Department	Group A	Group B	Group C	Group D	TOTAL
1	Rubber Production	180	382	498	105	1165
2	Research	61	134	190	55	440
3	Licensing & Excise Duty	23	29	82	6	140
4	Administration	14	14	56	17	101
5	Processing & Product Dev.	17	18	40	3	78
6	Finance & Accounts	6	14	34	2	56
7	Training & Technical Consultancy	9	8	28	4	49
8	Statistics & Planning	5	6	12	2	25
	TOTAL	315	605	940	194	2054

II Groupwise details of Female Employees and their percentages to that of total staff strength as on 31.3.2004.

Group	No. of female employees	Total staff strength	% of Total
A	68	315	21.59
B	231	605	38.18
C	394	940	41.91
D	24	194	12.37
Grand Total	717	2054	34.91

MARKETING DIVISION

The Division continued collection, compilation and dissemination of natural rubber prices during the year. The daily prices of the predominantly traded forms of NR, ie. RSS-4 and RSS-5 grades of sheet rubber at Kottayam and Kochi were collected, compiled and reported to the news agencies and press for publication and other

agencies including the Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India. The prices of other grades of rubber were also published on daily/weekly/bi-weekly basis. The domestic and international prices of various grades of rubber were also loaded in the website of the Rubber Board on daily basis.

LABOUR WELFARE SECTION

As per clause (f) of sub section 2 of section 8 of the Rubber Act 1947 Board is to "secure better working conditions and the provisions and improvement of amenities and incentives for rubber plantation workers".

With a view to generating interest among the tappers/workers of rubber plantation industry who are indispensable for the development and promotion of rubber cultivation, Board had implemented several schemes for the welfare of the tappers/workers and their family members.

A sum of Rs.200.8 lakh was disbursed under the various schemes against the target of Rs.201 lakh, as per details furnished below:-

Educational stipend scheme

The Scheme provides for financial assistance for different courses of studies including professional courses undergone by children of rubber plantation workers both in the colleges and schools.

The stipend consists of (1) Lump sum grant and (2) Hostel/Boarding fee

Merit Award Scheme

The scheme is provided to the children of the rubber tappers/workers who pass out meritoriously. The Merit Award ranges from Rs.1000/- to Rs.5000/- for various courses. This is given as an incentive to encourage good performance in their studies.

Housing Subsidy Scheme

The scheme provides for financial assistance to the tappers in small holdings as well as large estates to attain one of the basic minimum necessities of life i.e., shelter. The workers in the large estates are also eligible for the assistance. Under the scheme the maximum amount payable is Rs.7500/- or 25% of estimated cost of construction of the house whichever is less. In North-Eastern Region, houses built with mud walls, split bamboo walls and grass/leaves would be eligible for a maximum subsidy of Rs.6000/-. For the houses with split bamboo walls and G I Sheet roof, the maximum subsidy would be Rs.7500/-.

Scheme for providing sanitary facilities

The purpose of the scheme is to maintain hygienic environment among the rubber tappers of unorganized sector. Under the scheme the Board assists the tappers to construct latrine as per the plan and estimate prescribed by the Board.

The maximum financial assistance payable under the scheme is 75% of the cost of construction or Rs.3000/- whichever is less.

Medical Attendance Scheme

This scheme is introduced for tappers in the unorganized sector of rubber holdings. It provides reimbursement of medical expenses incurred for treatment of the tappers suffering from illness, and also compensation to the tappers in lieu of their inability to attend duty in consequence of illness.

As an encouragement for the promotion of small family norms among the tappers working in the rubber small holding sector a lumpsum amount is given under the scheme to the tappers who have undergone sterilization operation.

Housing and sanitary subsidy scheme for SC/ST/OBC

This scheme is exclusively for SC/ST/OBC tappers who are employed in rubber holdings in the unorganized sector. Assistance under the scheme is granted for construction of house with latrine to the extent of Rs.14, 000/- per applicant.

Group Insurance cum Deposit scheme

This is an important social security measure introduced for the security of the workers against death and injuries caused by accidents. It is applicable to plantation workers who are not covered by the Plantation Labour Act 1951.

The scheme also encourages a habit of saving among the workers. The first phase started during the financial year 1986-87 has reached the XI phase in 2000-2001.

Each of these yearly schemes is individual schemes and will be in operation for a period of ten years. The workers enrolled in the scheme have to renew the policy every year by remitting the prescribed amount. Phase I to V were completed and 6 phases had to be renewed during 2003-04. An amount of Rs.28,38,407/- under Phase IV which was matured during the period was disbursed to 1,081 tappers.



A new Contributory Group Insurance Scheme was commenced during 2001-02 which provides for insurance coverage for an amount of Rs.50,000/- exclusively for tappers in the small holdings. This scheme provides for higher compensation against accidents and promotes the habit of saving among the tappers. Under the scheme, the beneficiary contribution is Rs.250/- and that of Board Rs.150/- per year.

Performance report of all the schemes for the year 2003-04 is shown below.

Name of scheme	Total no. of beneficiaries	Total Amount disbursed (Rs)
Educational stipend	8121	4591030
Educational Merit Award	165	214250
Medical Attendance	451	787091
Housing Subsidy	796	5968750
Housing / Sanitary for SC/ST	555	4020375
Sanitary Subsidy	660	1979625
Insurance cum Deposit Scheme	9541	1168950
Operating Expenses		1350000
Total	20289	20080071

LEGAL SECTION

Legal documents to be executed by Board during the year under report were drafted/ prepared as and when required. Appropriate steps were taken through lawyers to safeguard the interest of the Board. 14 new cases were filed in addition to the pending cases. Besides, steps were taken to conduct arbitration cases filed against the Board. Parawise comments and necessary instructions were given to Standing Counsels of the Board and the Central Government pleaders in cases pending in High Court and Supreme Court. In consumer disputes before Redressal Forum in various districts, the section prepared and filed replies and represented

the Board during the hearing. Necessary advice/ views were given in 699 files referred to the Legal Section during the year. Scrutiny of documents for determining the eligibility under the Rules was done in the case of 35 applications for House Building Advances.

Necessary assistance was given to RRS Dhenkanal, RRDS Andamans, Central Experiment Station, Chethackal, RRII Farm, HBSS Nettana and Paraliar, Nurseries/farms of RP Dept. etc. in dealing with labour matters. The Section prepared draft amendments proposed by the Board to Rubber Act/ Rubber Rules

HINDI SECTION

The Rubber Board is a notified office under Rule 10(4) of Official Language Rules.

The following activities were undertaken by the Hindi Section of the Rubber Board during the Reporting year.

Official Language Implementation Committee

Three meetings of the Official Language Implementation Committee of the Board were held during the year. The Agenda Notes were prepared in accordance with the instructions of the Department of Official Language. Quarterly Progress Reports on Official Language implementation were presented in the meetings and were discussed.

Hindi Advisory Committee Meeting

The Chairman, Rubber Board and the Asst. Director (OL) attended the Hindi Advisory Committee Meeting of the Department of Commerce, held at Udyog Bhavan on 1st September 2003, presided over by the Union Minister of Commerce and Industry.

Hindi Fortnight/Hindi Day Celebration

Hindi fortnight was celebrated from 15th September 2003 to 26th September 2003 in the Head Quarters and RRII and Hindi day was celebrated in 30 subordinate offices of the Board.



Various competitions were conducted for the officers/employees of the Board and a good number of officers/employees participated in these competitions.

Publication of Rubber Samachar Bi-monthly Bulletin in Hindi

Issues of bi-monthly Hindi bulletin "Rubber Samachar" were brought out during the year. Write-ups of officers/employees/their family members and many other useful items were featured in these issues.

Hindi Teaching Scheme

As per the policy of the Union, Hindi Teaching in 'C' region is to be completed by the year 2005. As such Hindi Typewriting classes were conducted at Head Office and RRIL of the Board since no centre of Hindi Teaching Scheme (Typewriting) is functioning at Kottayam. 11 Officials attended Typewriting classes. 22 officials passed Pragya examination during the year and 15 officials passed Prabodh examination of the Hindi Teaching Scheme during the year. 6 officials passed Typewriting examination during the year. Cash award and personal pay were given to those officials who passed the examinations.

Hindi Workshop

During the year, Hindi Workshops were conducted in 26 Subordinate Offices of the Board. A total of 457 officers/employees were imparted training in Official Language through these workshops.

Town Official Language Implementation Committee

Chairman, Rubber Board continued to be the Chairman of the Kottayam Town Official Language Implementation Committee (TOLIC). One meeting each of the TOLIC and TOLIC Core Committee was conducted during the year. One day Joint Hindi Workshop and Joint Hindi Week Celebrations were conducted during the year for the officials of the member organisations of the TOLIC.

Hindi Library

A small Hindi Library is functioning under the Hindi Section of the Board.

Necessary guidelines were provided to officers regarding implementation of Official Language Policy of the Union of India.

Quarterly Progress Reports regarding progressive use of official language collected from various sections/divisions at HQs were compiled and forwarded to the Ministry of Commerce & Industry and Regional Implementation Office.

OLICs in Subordinate Offices

Official Language Implementation Committees were formed in various Subordinate Offices of the Board during the year. Meetings of these committees were ensured.

Aaj Ka Sabda

Board continued writing Aaj Ka Sabda at Head Office and ensured the same at subordinate offices too. Necessary guidance was provided to Subordinate Offices for writing Aaj Ka Sabda.

Incentive Scheme for Original work in Hindi

More officials were encouraged to do original noting in Hindi. Necessary guidance was provided to them for writing files in Hindi. 244 officials participated in the incentive scheme and were given cash awards under the scheme.

Official Language Inspection

Official Language inspections were conducted in 13 subordinate offices of the Board during the year.

General

In compliance with the provisions under Section 3(3) of the OL Act, Office Memoranda, Circulars and Orders were translated into Hindi. Similarly, translation of forms into Hindi and printing of forms in bilingual were undertaken. Special attention was given to send replies in Hindi



to the letters received in Hindi. Necessary guidelines were provided for Hindi Implementation to the concerned as and when required.

The text material for Rubber Act and Rules in Hindi were provided for incorporation in the website of the Rubber Board.

Annual Report and Annual Accounts of the Board were translated into Hindi and necessary assistance was rendered for its bilingual publication.

DIVISIONS FUNCTIONING UNDER THE DIRECT CONTROL OF CHAIRMAN

PUBLICITY AND PUBLIC RELATIONS DIVISION

The following activities were conducted by the P&PR Division.

Rubber Magazine

12 issues of the magazine were brought out during the year. The monthly average circulation is 15,954. The life subscribers is 6,300.

Rubber Statistical News

12 issues of the 'Rubber Statistical News' were brought out during the year.

Inside Rubber Board

2 issues of 'Inside Rubber Board', an in house publication were brought out.

All India Radio

Talks of the officers of the Division were recorded and broadcast through the AIR. One talk each was given by Sri. K.D. Sebastian, PIO, Sri. K.G. Sathesh Kumar, PIO and Asst. Director (P) through AIR, Thiruvananthapuram. The Asst. Director (P) also worked as a member in the Committee which organised and arranged for the recording and broadcast of a 13 episode series on AIR on rubber.

Seminar & Meetings

The officers of the Division participated and

spoke in several seminars, meetings and other public functions connected with the activities of the Board.

Exhibition

The Division participated in eleven exhibitions viz.

- i. UPASI exhibition at Coonoor
- ii. Karshikamela at Thodupuzha
- iii. Exhibition at Baselius College, Kottayam
- iv. Index at Kottayam
- v. "Agri Fest" Exhibition, Kannur
- vi. Karshakasree Karshika mela, Palghat
- vii. Karshika vyaparamela, Palode
- viii. North Eastern business summit, New Delhi
- ix. NE Trade Expo '04, New Delhi
- x. Rubber Tech Expo '04, Mysore
- xi. Industrial India Trade Fair, Kolkotta.

Articles

The Division published articles in various publications, Besides 83 advertisements and 35 press releases were also issued from the Division.

Rubber Grower's Companion 2004

9500 Copies of "Rubber Grower's Companion 2004" and 1000 Nos. of "Rubber and its Cultivation" were printed and distributed.

VIGILANCE DIVISION

During the year under report, the Vigilance Division of the Board investigated into/verified 32 complaints against 17 officers of Group A & B status and 15 officials of Group C & D status. The allegations comprised in these complaints generally related to acceptance of illegal gratification from the representative of a grower for granting subsidy to the planter, failure to protect the interests of the Board by allowing construction



of a Latex Collection/Group Processing Centre of an RPS in a plot of land outside the leased property causing pecuniary loss to the tune of Rs.4,08,000/- to the Board and corresponding gain to the RPS President, gross misuse of official position for personal gains, disorderly behaviour/unbecoming conduct while discharging duties, desertion of duty place and negligence causing heavy damages to Board's properties, neglect of official duties by continuously staying abroad/unauthorisedly absenting from duties, in defiance of the directions/orders of the Board etc. After proper investigations, appropriate action was recommended / taken against the erring Board's employees wherever found necessary.

16 major and 3 minor penalty proceedings were instituted against 19 officials of the Board

Annual statements of immovable property as on 31.12.2003 were called for from all officers of

Group A & B status. The statements thus received were properly dealt with. The Vigilance Division processed 131 applications relating to transactions in immovable property and 89 applications in movable property.

As per instructions received from the Central Vigilance Commission, the Board observed the "Vigilance Awareness Week" during the period from 3.11.2003 to 8.11.2003. The salient feature of the programme included taking a pledge by all officers and staff of the Board, exhibiting posters and banners, conducting elocution competition for college students, High school/Higher Secondary school students and employees of the Board. On the concluding day of the celebration, a valedictory function was also organized in which the successful students/employees were awarded certificates and prizes.



PART V

RUBBER RESEARCH

The Rubber Research Institute of India (RRII) was established in 1955 with its headquarters at Kottayam. The main research farm of the institute is located in an area of 250 ha. at Chethackal, Ranni in Pathanamthitta district. It has 9 Regional Research Stations spread across the country in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Orissa, West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. Four Regional Research Stations in the North East form the North Eastern Research complex with its headquarters at Agartala. The institute conducts research and development work in the fields of plant breeding, germplasm conservation, biotechnology, exploitation technology, agronomy and soil science, plant pathology, plant physiology, economics and rubber technology. It has 120 scientists and 320 supporting staff. The activities of the Institute are briefly narrated below:

The **Botany** division continued research activities for the development of high yielding clones. Investigations on propagation, anatomy, cytogenetics were also continued. The 400 series clones developed by RRII (RRII 414, RRII 417, RRII 422, RRII 429 and RRII 430) continued to show higher yield over the most popular high yielding clone, RRII 105. In the large scale trial, yield improvement was 10-28%. In the multi location trial, incorporating these clones, at Kanyakumari, Agartala and Nagrakatta, the experimental trees were opened for tapping. In these trials, the highest growth was observed in clone RRII 429. Clone RRII 414, RRII 417, RRII 422 and RRII 430 were upgraded to category II of the planting material recommendations of the Board. In the Regional Research Station at Dapchari in Maharashtra, maximum yield performance was shown by clones RRII 6, RRII 208 and RRII 105. In a lab study, pollen grains

of trees affected with tapping panel dryness (TPD) showed higher sterility percentage. In connection with timber studies, clone RRII 203 showed maximum bole volume compared to the other clones studied. The study also showed that continuous application of ethephon has no adverse effect on the quality/quantity of rubber wood.

Conservation, characterization and evaluation of germplasm of both 'Wickham' as well as wild origin were continued in **Germplasm** Division. 600 wild accessions and 4 controls were planted as source bush nurseries. A clone trial was laid out with 22 wild accessions selected for yield and other characters. Eight new clones were included in the clone museum. Among the IRCA clones, IRCA 130 and 111 had better girth, bole volume and yield than clone RRII 105. In the preliminary evaluation trials, two accessions of wild germplasm showed better yield than clone RRII 105, while 14 accessions had comparable yield to that of the control clone. Wintering and flowering were recorded in 1989 source bush nurseries. Characterization of accessions was done in the trials at RRS, Padiyoor and RES, Nagrakatta. The project on timber quality was continued. At RRS, Dapchari, 130 wild accessions were planted for drought screening. The cold screening studies at RES, Nagrakatta was continued. Field screening of wild accessions for drought resistance was carried out at CES, Chethackal in collaboration with Plant Physiology Division. Screening of wild genotypes for major diseases including field observations was continued. Total of 35 accessions were short listed for resistance to powdery mildew disease. In the study on ratooning, growth of ratoons was found to be three times faster than that of poly bag plants.



In **Biotechnology** Division, studies on somatic embryogenesis were continued. Further optimization for nutritional and growth regulator requirements to enhance embryo induction and plant regeneration, was carried out. One more field trial with tissue culture plants of clone RRII 105 developed through somatic embryogenesis was laid out at CES, Chethackal. Attempts were also initiated to develop tissue culture plants from leaf and ovule culture. For developing haploid and triploid plants, the pollen grains and endosperm tissues were cultured. Over expression of superoxide dismutase enzyme was confirmed in the transgenic plants. All the transgenic plants were multiplied through bud grafting. Beta-1, 3-glucanase gene involved in disease tolerance was cloned and structural elucidation was done. Partial latex cDNA libraries were developed for Hevea. Advanced molecular studies were continued.

In the field of **Exploitation technology**, experiments on low frequency tapping were continued. New experiments on low frequency tapping with rain guarding was laid out in Kulasekharam region. One year data showed success of weekly tapping in Kulasekharam region, provided rain guarding is done. A new 30 ha. experiment was laid out in Karnataka on weekly tapping in clone GT1. Under the lab to land programme, Low Frequency Tapping (LFT) was extended to a number of estates covering more than 20,000 ha. Three estates have completely shifted to weekly tapping. Three experiments were laid out on low frequency Controlled Upward Tapping under d/4 and d/6 frequencies.

In **Latex Diagnosis Unit**, tests were conducted in 206 small holdings. The parameters were estimated for RRII400 series clones also. Field experiment on latex diagnosis was laid out at Cheruvally Estate in clone PB 260.

Agronomy/Soils division continued research on agromanagement techniques involving

intercropping and cropping system, water conservation, weed management, nutrient management etc. There were 53 experiments under 14 major research projects. One experiment showed application of higher doses of nitrogen and potassium resulted in higher growth and yield. Results of field experiments on silt pit showed that 250 pits per ha. is optimum. In another study, it was observed that application of organic manure did not produce any beneficial effect in growth of immature plants.

The **DRIS Unit** has investigated nutritional aspects of rubber, soil fertility and soil water functions related to slope. Advisory service to small holdings was continued. A total of 8914 soil and 1420 leaf samples were analysed and 4600 fertilizer recommendations issued to small holders. In the estate sector, similar recommendations were issued to 553 fields. In addition to soil and leaf analysis, 39,311 latex samples were analysed for dry rubber content (DRC) and 257 samples for volatile fatty acids. During the year, 53 mobile soil testing programmes were conducted for offering fertilizer recommendations to small holders.

Plant Pathology division continued research on control of disease and pests, disease weather relationship, effluent management, soil microbiology and molecular Plant Pathology. The spray oil developed by M/s Hindustan Petroleum Corporation was approved for commercial use in rubber. In the high volume spraying trial, addition of rubber seed oil to Bordeaux mixture was found to give better disease control. The trials on evaluation of crop loss due to abnormal leaf fall disease in the popular clones was concluded. The data showed heavy crop loss in clone RRIM 600. It was also found that timber yield was more in the fields sprayed for the disease control. New field experiment to evaluate the effect of abnormal leaf fall disease in the RRII 400 series clones, has been initiated. Biological control of bark feeding caterpillar using fungus was found to be not very effective. For the control of the borer



beetles, combination of carbaryl 0.5% with lambda cyhalothrin 0.05% was found to be effective. Molecular study showed that abnormal leaf fall disease is caused by *Phytophthora maedii* only. Molecular studies on *Corynespora* was also continued. Studies on Tapping Panel Dryness transmission were undertaken.

Fluorescent rhizobacteria were isolated from the rhizosphere of rubber and screened for phosphate solubilisation, antagonism to major pathogen and ability for production of siderophores. Several useful isolates could be identified. Isolation of rhizobia from root modules of *Mucuna* and evaluation of nitrogenase activity were carried out.

Data on tapping days, yield and weather were calculated from each region to study the relationship of rainfall and yield.

Work on various aspects of growth, development, and stress physiology Tapping Panel Dryness etc. were continued by Plant Physiology group. The salient findings during the period were high ATP content in the latex as an indicator for predicting high yield, high ethylene production in Tapping Panel Dryness affected trees, higher genetic distance of trees between high girth and low girth categories than trees within the category in the germplasm material. Field enumeration was done in 600 germplasm lines for leaf yellowing, drying and senescence induced by soil moisture stress. Ten HP clones selected from RRS Dapchari were screened for oxidative stress tolerance and the clones were ranked. Studies were initiated to introduce *Pathimugham* (*Caesalpinia saban*), a medicinal shrub during the immature phase and Mahogany (*Swietenia mahogany*) and Anjili (*Artocarpus hirsutae*), both shade tolerant as timber trees during the mature phase. The Division took part in the meetings of the IRRDB for taking up the issue of carbon sequestration by rubber plantations with the 9th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC-1991).

In the **Genome Analysis** laboratory, work was continued on development of molecular markers for genetic relationship studies, clone identification, genome mapping and genetic markers for biotic and abiotic stress tolerance and molecular genotyping of fungal pathogens of rubber. Sequencing of the selected Hevea genomic clones revealed the presence of 59 microsatellites having characteristic simple and compound repeats. Out of 4×10^9 bp, estimated to be the haploid genome size of Hevea, sequencing was done approximately 48×10^3 bp based on an average insert size of 650 bp per clone and identified various repeat motifs. Twenty nine new genomic sequences were registered with the NCBI genBank, USA. Resistant gene analogues (RGAs), an alternative approach to identify disease resistance gene in Hevea, is in progress. Molecular studies were continued to identify different species of *Colletotrichum*. Two markers (SCAR) were registered with genBank.

The **Rubber Technology** Division continued the survey on quality of sheet rubber produced at different rubber growing regions. Six samples of papain were evaluated on lab scale and found to be effective in deproteinization of NR latex. Specific treatment of skim latex resulted in skim rubber of enhanced physical properties and ageing characteristics. Trials were continued to improve its PRI. Fifty kgs. of ENR 50 was prepared and supplied for industrial evaluation and found to be satisfactory. Good quality sheet rubber, ISNR 3L and 3 CV could be prepared using field latex preserved with a short term preservation system. Studies on preservation of field coagulum, NR/PP and NR/PE blends, ENR as a reinforcement modifier for different rubbers, nanoclay reinforcement of NR and accelerated quality evaluation tests on centrifuged latex were continued. The latex and raw rubber properties of RR11 400 series clones were evaluated in comparison with those of the parent clones, RR11 105 and RR1C 100. Storage behaviour of prevulcanised latex and deproteinised latex were



assessed. A sponsored project on flame resistant conveyor belt cover compound was initiated. Studies on blends of NR/PVC showed that addition of NR-g-PMMA improved their vulcanizates properties.

The technology for the production of rubber coated conveyor belt and brake cups was transferred to M/s S.V.G. Acharya, Andhra Pradesh and M/s Perumaly Rubber Industries, Kottayam respectively.

The **Economics** Division continued studies on Global Trade and Tariff Policy of rubber and rubber products, expansion of natural rubber cultivation in Kerala, development of Latex Timber Plantations in Malaysia, Natural Rubber Trade in India, sustainability of bee-keeping under rubber plantations in India and trends in the adoption of low intensity tapping systems in the estate sector. The Division brought out a number of publications on various aspects.

At **Hevea Breeding Station** in D.K. District of **Karnataka**, evaluation of clones and ortet selections for growth, yield and disease tolerance were continued. Exploitation trial on different clones was also continued during the period. In the 1987 trial, clone PB 235 registered the highest yield, while clone RR11 300 showed very low yield. In the 1988 trial, clone RR11 208 showed better growth and yield. Clone RR11 105 showed good performance under low frequency tapping. In the large scale trial, clones PB 235, RR11 118 and RR11 203 showed good growth performance while in a small scale trial, clones PB 260, RR11 100 and RR11 308 also showed relatively better performance. Among the modern hybrid clone of RR11 400 series, clone RR11 422 showed better establishment. Clone RR11 414 showed better vigour followed by RR11 429 and RR11 430. Clone RR11 105, PR 255, PR 261 and PB 28/59 were found to be more susceptible to the disease. Resistance was shown by clone RR11 600 and GT 1. The disease could be effectively controlled by fungicide application. In another study, it was

observed that abnormal leaf fall disease incidence was more during June-July and Clone RR11 600, PB 235 and PB 311 were more susceptible to this.

Various research programmes of **Hevea Breeding Sub Station** at **Kanyakumari** District also progressed well during the period. Pollination was carried out to evolve latex timber clones and clones with *Oidium* tolerance. One block each of 400 series clones were planted for onfarm evaluation. Standardization of root trainer planting technique for *Hevea* was continued.

All the 10 ongoing research projects in the **Regional Research Station, Dapchari** (Maharashtra) progressed well during the period. In the irrigation experiments, trees with basin irrigation system recorded comparatively high girth and yield than those getting drip irrigation. The cumulative yield per tree after 14 years of planting was the highest under 1.00 ETC basin irrigation. Experiment on drought stress and shade studies indicated that soil moisture deficit inhibited photosynthetic rates more in RR11 105 than RR11 600. Partial shade favoured the plants to maintain better photosynthesis under water deficit conditions. Low frequency tapping experiment with stimulation and rest period, clone evaluation trial, polyclone evaluation trial and screening of wild *Hevea* germplasm for drought tolerance were in progress.

All the 8 ongoing research projects in the **Regional Research Station, Orissa** progressed well during this period. In the 1987 clone trial, clone GT1 and RR11 600 recorded higher yield over RR11 105. In the 1990 clone trial, maximum girth was shown by clone SCATC 93/114 and RR11 208. Yield performance was better in clone SCATC 88/13, RR11 208 and RR11 600. Low yield was recorded in SCATC 93/114. In the 1991 clone trial, clone GT1 recorded maximum girth. This was followed by clone RR11 102 and RR11 208. In the 1996 clone trial, clone RR11 430 indicated better girth followed by RR11 417. Less girth was recorded by RR11 414. Eleven promising



polyclonal trees were identified for further selection and evaluation. The highest girth was recorded in Tree No. 471 (104.4 cm) followed by tree No. 482 (103.1 cm). Maximum yield was recorded in tree No. 220 (79.4 g/t) followed by tree No. 234 (78.3 g/t). Fertilizer trial in the station showed the highest girth in treatment with NPK at the rate of 60:60:24 kg./ha.

All the 10 ongoing research projects of **Regional Research Station, Padiyoor** in North Kerala, progressed well during the period. Irrigation experiments being conducted in the station showed positive response to irrigation in girthing. In the clone trial conducted at Ambalavayal on (High elevation) Ortet selections Iritty 1, Panamaram 1 and Panamaram 270 and clone PB 86 attained higher girth than clone RR11 105.

At **Regional Research Station, Agartala**, 24 research projects were in progress during the period. In the fertilizer trial, it was observed that application of nitrogen and phosphorus at the rate of 60:60 kg./ha. resulted in significant increase in yield. Growth in the immature phase was higher when the manure was applied @ 20 kg./plant. The clone RR11 208 showed higher yield in the station. The other clones which showed higher yield are RR11 118, PB 86 and RRIM 600. In the tea intercropping experiment, yield of green tea was 2183 kg./ha.

Fifteen ongoing research projects in the research complex for North-Eastern region, **Guwahati** progressed well during this period. Results of the experiments showed superiority of the clone RRIM 600 both in growth and yield. Fertilizer trial showed maximum yield response by application of NPK @ 60:40:40 kg./ha./yr. Application of superphosphate @ 60 kg./ha. registered the highest growth in the immature phase. Yield and dry rubber content were the highest under fourth daily tapping with 7

stimulations and 3 month rest during winter season. Survey on pests and disease of rubber was carried out in 58 locations covering 26 different rubber growing tracts in Assam, Meghalaya, Tripura and Northern part of West Bengal. Powdery mildew disease was noticed in most of the locations with varying degrees of severity. Tolerance to the disease was shown by clones SCATC 88/13, SCATC 93/114, PB 86, RRIC 100, 82/29, RR11 208, RR11 203, RRIM 703 and Haiken 1.

At the **Regional Experiment Station at Nagrakatta**, 13 ongoing experiments progressed well during this period. Performance of Chinese clones SCATC 93/114 was superior in growth and yield. Growth of rubber was better when planted with Tea. Third daily tapping was found more suitable for the region.

Clone trials at **RRS, Tura**, Meghalaya showed superior growth of clones RRIM 600, RR11 203 and PB 235. Yield performance was better for clones RRIM 600 and PB 311. Fertilizer dose of NPK 40:20:20 kg./ha. was found suitable for immature rubber in Lower Brahmaputra Valley while for Garo Hills dose 60:40:40 kg./ha. was found optimum. Study on leaf nutrient contents in different clones was initiated during the period.

The Director (Research) Joint Director (Exploitation) and Dy. Director (Plant Physiology) participated in the International Rubber Research and Development Board (IRRDB) symposium held at Chiang Mai during 13-19 Sept. 2003. They also attended the combined meeting of IRRDB members and IRRDB Liaison Officers' meeting. Four research papers covering fields of Rubber Technology, Exploitation Technology and Carbon Sequestration were presented.

The Rubber Research Institute of India conducted a four day International Workshop on Exploitation Technology. 43 delegates



participated in the workshop including fifteen delegates from 9 rubber growing countries and eighteen planters from India. The workshop was jointly sponsored by IRRDB and its members, Rubber Board and Planters.

Ten scientists were sent abroad in various

institutions for advanced training in different research disciplines. During the year, 116 research papers were published by the scientists and 21 popular articles were published. 18 internal scientific seminars were organized in which 32 presentations were made and seven invited talks were also arranged.



PART VI

PROCESSING AND PRODUCT DEVELOPMENT

The Department of Processing and Product Development continued to provide technical and financial support to rubber and rubberwood processing units and in particular the small holding sector for improving the quality, cost competitiveness and infrastructure for marketing through various measures.

The Department mainly implemented two schemes viz., Processing Quality Upgradation and Product Diversification and Market Development approved by the Government of India for implementation during the Tenth Five Year Plan period.

Technical and financial assistance was offered to 10 block rubber factories and nine latex centrifuging factories for quality improvement, cost reduction through modernization and for strengthening environmental protection systems. Financial assistance was also given to one rubberwood processing factory for quality improvement and value addition. These activities prompted an investment of Rs.154.83 lakh in the sector and an amount of Rs.49.83 lakh was disbursed as financial assistance. Prior to the launching of the scheme, sub rules were framed and meeting was held with the processors during which time they also requested the Board for certain amendments in the scheme to bring the estate sector also under the scope of the scheme, enhancement of scale of assistance and for ceiling of amounts. These were subsequently taken up with the Ministry and since then the Ministry has advised the Board to take up such issues during the mid term review.

The installation of biomass gasifiers for drying of block rubber in place of diesel fired/electrically heated systems, under the Board's modernization scheme had generated a lot of interest among

the block rubber processors as a means to attain cost competitiveness in the post liberalization period. For the benefit of the processors, a one day seminar followed by a field visit the next day was organized and it was well attended by the processors. Experts in the field from IISC, Bangalore, Tata Energy Research Institute, New Delhi and ANERT, Trivandrum presented papers on various aspects of design, operation, maintenance and safety. The manufacturers of gasifiers gave presentations on the merits, features and cost effectiveness of their systems. Users of gasifiers gave their experience in use of gasifiers. The seminar provided a good platform for interaction among the designers, consumers and manufacturers of the gasifiers for the benefit of new users in the field.

As a result of the implementation of the scheme, there was substantial improvement in the quality and quantity of block rubber and latex concentrate produced in the country. The capacity utilisation of block rubber factories increased considerably making more block rubber available to the market. This also helped to bringing down cost of production of block rubber through saving in fuel cost and improved labour productivity. Use of biomass gasifiers have helped to bring down emissions and to conserve petroleum fuel and electricity. The above measures also helped to boost exports of processed rubber.

M/s.Envirochem, Trichur was given a consultancy assignment to study characteristics of liquid effluents generated in different types of gasifiers and to recommend suitable treatment methods.

In recognition of the efforts done by the Rubber Board in promoting and popularizing biomass



gasifiers among rubber processors, the Director(P&PD) was invited to participate in the Round Table Meeting on Gasifiers organized by UNIDO at IISC Bangalore in December 2003 on the various issues related to biomass gasifiers for thermal and power applications.

Under the scheme in implementation, financial assistance is offered for installation of gasifiers for both thermal and power applications.

Energy cost contributes to about 50% of the cost of production in block rubber. A one day seminar was organized in association with Petroleum Conservation Research Association, Cochin on efficient utilization of energy in the processing activities.

A scheme was launched for the benefit of the processors of block rubber, latex concentrate and rubberwood for conducting energy audit and to explore possibilities of cost reduction through efficient use of energy and through energy conservation. Fourteen processors applied for availing such assistance and three units had conducted energy audit.

A project was initiated for construction of a 50 tonne capacity godown for RSS grades with dehumidification facility to study the techno-economic feasibility. Under the controlled humidity conditions, chances for deterioration of the quality of rubber through fungal attack will be minimized.

In India sheet rubber is marketed in 50 kg bundles whereas in the international markets it is marketed in 111 kg bundles. To promote export of RSS grades in the internationally accepted form, a Hydraulic Press was developed for making 111 kg bales for the world market requirements. Trials were also conducted in a model Rubber Producers' Society to produce RSS grades to suit the chamber dimensions of the press by altering the size of its coagulating pans, DRC of coagulation and machine adjustment.

Training and technical support were offered to the processors of TSR and rubberwood in

processing quality control and environmental protection systems through Model TSR factory and Model Rubberwood Factory.

Loans were provided to the RPS sector engaged in rubber and rubberwood processing to strengthen the processing and marketing activities.

Under the Market Development scheme the Board continued its activities in promoting rubberwood as an eco-friendly material suited for furniture and interiors in the national and international markets. During the year the Board participated in six international fairs, two in China, one in USA, one in Japan, one in Abu Dabi and one in Dubai. Indian rubberwood was not known in the international market till recently and participation in these fairs had created an awareness about Indian rubberwood in the international market. Some enquiries had been received from the Middle East for doors and kitchen cabinet doors. During the year, Board participated in fourteen national level fairs and five state level fairs for promoting rubberwood. Technical literature/ catalogues/brochures were distributed to furniture manufacturers, architects, interior designers, decision makers and the general public to create an awareness about rubberwood. As a result of the promotional measures, IISC Bangalore decided to go for rubberwood furniture for their new hostel complex and the two companies promoted by the Board viz., Metrowood and Indiamwood supplied rubberwood furniture costing Rs.189 lakh to the new hostel complex of IISC, Bangalore. This has generated interest for using rubberwood furniture for IIT Chennai and at their request, technical support was given to them for adopting in rubberwood for the interiors of their hostel complex.

The Board also promoted rubberwood through advertisements in leading Magazines, Souvenirs and Newspapers.



The Board collaborated with the Audio Visual and Reprographic Centre of University of Calicut in preparing a documentary covering various aspects of rubberwood.

The Department continued to monitor the quality of block rubber and latex concentrate produced in the country through periodic inspections of the processing units and collection of samples for testing.

The Board also continued to check the quality of rubber imported through the designated ports of Kolkatta and Visakhapatanam. During the year, 38437 MT of rubber was inspected, out of which 38097 MT was recommended for clearance by the Customs and 340 MT was found not conforming to the prescribed quality standards.

To ensure quality of rubber being exported, the Department undertook quality check of rubber exported. During the year 18373.5 MT of block rubber was checked out of which 17853.9 MT was cleared for export and 519.6 MT rejected. Similarly, 18036 MT of latex concentrate was inspected, out of which 18020 MT was cleared for export and 16 MT rejected. During the year 41304 tonnes of RSS grades were inspected and 39505 tonnes were cleared for export and 1799 tonnes were rejected.

Interest subsidy was offered to rubber and rubberwood processors in the RPS sector. The Board supported the RPS sector in procuring computers and accessories to improve their efficiency.

The Department participated in the various training programmes and seminars organized for the benefit of the rubber growers and processors. The Department also conducted site inspections


for ascertaining the suitability for issuing new processor's licence.

The rubberwood testing laboratory provided testing facilities to rubberwood processors. Training in processing, quality control and testing was organized for students from Kerala Agricultural University Forest Research Institute, Dehradun. Research and development works on evaluation of timber quality with Etherel stimulation was jointly done with the Research Institute. Trials were conducted to find out suitable bleaching agents, threshold retention level for Boron-Boric acid and efficacy of preservative against termite attack. Experiments were also conducted to determine variation in density, dimensions and volume of rubberwood during processing. The Department attended to the various civil and electrical works of the Board.

The Board had submitted a proposal to the Government of India for exempting the machinery/equipment used for processing and quality control of TSR from payment of customs duty to help the processors to attain international competitiveness with respect to quality and cost. Accordingly the Government of India has issued notifications reducing the customs duty from 25 to 5% and exempting additional duty of customs and special additional duty of customs in the case of slab cutter, shredder, solid pump, vibrating screen, Plastimeter and ageing oven, latex centrifuging machine.

To enable processors of latex concentrate to attain international competitiveness with respect to quality, cost and packaging, a delegation of 14 processors led by Jt. Director (P&QC) and sponsored by the Government of India visited Malaysia and Thailand for six days in the month of February 2004.

PART VII



TRAINING AND TECHNICAL CONSULTANCY

The Department of Training & Technical Consultancy consists of two Divisions viz. Training Division and Technical Consultancy Division. The Training Division is conducting different training programmes for the benefit of the industry comprising the Rubber Plantation sector and Processing & Product Manufacturing sector. The Technical Consultancy Division provides technical assistance to entrepreneurs for setting up of Rubber based units, and to rubber goods manufacturers in solving their production problems and assessment of quality by testing the rubber products.

The T&TC Department also provides technical support and guidance for the export of raw rubber.

TRAINING DIVISION

The Training Division imparts training on various aspects related to rubber cultivation, rubber processing and rubber products manufacturing for making available trained manpower for the overall development of the industry

The major target group identified for training are -

- * Farmers
- * Managers/Superintendents
- * Rubber Producers Societies
- * Rubber Marketing Societies
- * Rubber Dealers
- * Rubber Processors
- * Rubber Products Manufacturers
- * Entrepreneurs
- * Rubber and Rubber Products Exporters
- * Production Managers
- * Quality Control Managers
- * Women including SC/ST categories
- * Students
- * Participants from abroad

The centre aims to achieve the following objectives.

- Update the technical and managerial competitiveness of the rubber growers and rubber plantation workers.
- Impart suitable training to rubber processors and rubber products manufacturers so as to achieve better quality and competitiveness.
- Update the technical and managerial competitiveness of Rubber Producers Societies (RPS) and Rubber Marketing Co-operative Societies.
- Develop the required aptitude and manager skills of the employees of the Board.

During the year under report, training programmes in 127 batches were conducted and the total number of beneficiaries were 4345 out of which 1015 persons were from the SC/ST/ Women category. A brief profile of the beneficiaries are -

Category	No. of beneficiaries
* Farmers (under general & decentralized training programmes)	2493
* Visit-cum-training (Sastradarsan)	963
* Tappers	314
* Employees of the Board	142
* Rubber Processing & Quality Control	129
* Marketing Management	129
* Rubber Product Manufacture	120
* Rubber Technology students	25
* Rubber Cultivation & Plantation Management	19
* Marketing Management	11
Total	4345

**TECHNICAL CONSULTANCY DIVISION**

The Technical Consultancy Division provides technical assistance to promote rubber goods manufacturing industry in the country. The major activities of the Division are providing of technical assistance to entrepreneurs for the setting up of rubber based industries, solving production problems of the existing units and quality control by testing rubber/rubber chemicals/rubber compounds/rubber products as per national and international standards, product development, training programmes etc. The Division also undertakes promotional activities like conducting workshops and seminars; preparation of market survey reports, trade directories etc for the

manufacturing sector. All these services are offered on a consultancy basis. Besides academic and applied R&D works are also undertaken.

With a view to increasing the consumption of Natural Rubber, the Division is engaged in the setting up of Rubber Industrial Parks in Kerala, Tamil Nadu, and Tripura and exploring new areas for the application of Natural Rubber. The scheme on rubberisation of roads was continued and two collaborative projects - one on Seismic Bearings with SERC, Chennai and the other on canal lining with KERI, Peechi, Kerala, were also undertaken.

The above activities were continued this year also and some of the major items for the period under report are summarized below:

Activity	April 2003- March 04
I TECHNICAL SUPPORT TO INDUSTRY	
a. Purchase of testing equipments	Purchased few items and steps were taken for other targeted items. Implementation done on trial basis. 2000 Numbers
b. NABL Accreditation	
c. Consultancy/ Advisory works	
- Preparation of Project Reports/Project schemes	
- Product Development	
- Quality control	
- Training activities/Academic works etc.	All programmes arranged by Training Division & Specialised training arranged by TC Division Rs.5.20 lakh
Consultancy fee charged	
II RUBBER PARK, COCHIN	90% of works has been completed.
III SCHEMES ON DIVERSIFIED USES OF NR	
1) Rubberisation of roads	Phase II evaluation work completed, finalized the proposal for project roads, conducted promotional works.
2) Seismic Bearings	Finalized the Design of the Bearings, fabricated one set of mould. Using this mould, 4 nos. of bearings were fabricated and forwarded to SERC for evaluation. An amount of Rs. 3.00 lakh has been given to SERC as per the MOU. Second stage fabrication of the bearing is being arranged.
3) Canal Lining	Initial trials were encouraging and the pond trials are progressing
IV MAJOR ACHIEVEMENTS	Developed Industrial, Agricultural and Yoga mats for export based on dry NR. Developed Animal Teats based on dry NR to one client from Sri Lanka. One officer from the TC Division has been nominated as a member of the working Group on NR Protein Allergy by ANRPC, Kuala Lumpur.

PART VIII

Rubber Board



FINANCE & ACCOUNTS

The Finance & Accounts Department is concerned with designing and operating the Accounting system, preparing budget, financial statements and reports, exercising budgetary control, effective Funds Management, establishment and maintaining systems and procedures, overseeing internal audit and arranging for Statutory audit, advising on financial propriety and regularity of transactions, supervising computer applications, overseeing cost control, evaluation of projects/schemes, handling tax matters etc. The following activities were undertaken by the Department during the year under report.

1. Preparation of Annual Budget, Performance Budget, Foreign Travel Budget etc.
2. Budgetary control of expenditure against sanctioned Budget.
3. Maintenance of the accounts of the Board, preparation of Annual Accounts and Balance Sheet, presentation of the accounts for audit by the Accountant General, Kerala and the audited accounts to the Rubber Board/Ministry/Parliament.
4. Placing demands for grant from Govt. from time to time, receiving funds from Government and ensuring its optimum utilization.
5. Advising on financial propriety and regularity of transactions and regulating payments.
6. Assisting the Cost Accounts Branch of the Ministry of Finance in ascertaining the cost of production and in fixing price of Natural Rubber.
7. Preparation of financial statements for project reports and schemes.

8. Dealing with Central Income Tax, Agricultural Income Tax and Sales Tax matters relating to the activities of the Board.
9. Co-ordinating the activities of the Companies jointly promoted by the Rubber Board and Rubber Producers Societies approved by the Board.
10. Computerised Data Processing in the field of financial accounting, pay roll etc.
11. Drawal and disbursement of pay and other entitlements of the employees of the Board based on the orders issued by Govt. of India from time to time.
12. Management of the Rubber Board Employees Pension Fund and Rubber Board Employees General Provident Fund.
13. Co-ordinating the Computerisation and Networking of all Departments of the Board.

Annual Accounts 2002-03

Annual Accounts for the year 2002-03 were presented to AG Kerala within the stipulated time. The Audit Report and the Audited Accounts with the certificate received from the AG Kerala were adopted by circulation and submitted to the Ministry of Commerce & Industry for placing the same on the table of both houses of Parliament.

Revised Estimates 2003-04 and Budget Estimates 2004-05

The Revised Budget for 2003-04 and Budget Estimates for 2004-05 were prepared within the time frame and submitted to the Government. Budget sanctioned for the year 2003-04 was Rs.108.21 crore comprising Rs.94.08 crore under Plan and Rs.14.13 crore under Non Plan, against which the actual expenditure for the year was



Rs.104.92 crore (Plan Rs.90.05 crore and Non Plan Rs.14.87 crore). The sanctioned budget for the year 2004-05 is Rs.109.04 crore comprising Rs.94.00 crore under Plan (Budgetary support of Rs.90.00 crore and IEBR of Rs. 4.00 crore) under Plan and Rs.15.04 crore under Non Plan (Budgetary support - Rs.11.00 crore plus I&EBR - Rs.4.04 crore).

Management of Funds

General Fund

Funds amounting to Rs.91.33 crore was received from Government as budgetary support during the year 2003-04. The internal resources during the year was about Rs.10.86 crore. The total expenditure during the year was Rs.104.92 crore.

General Provident Fund/Pension Fund

The balance under the General Provident Fund as on 31st March 2004 was Rs.22.00 crore and that under Pension Fund Rs.13.63 crores. The accumulations in the funds are invested in long-term securities to obtain optimum returns. The Board is maintaining GPF accounts for 2086 subscribers. There were 589 pensioners on the rolls during the year.

Cost Accounts

The Cost Accounts Division of the F&A Dept. continued to collect, analyse and update cost data.

Information sought for from the Government, Statutory Bodies and other agencies were furnished as and when required.

The Finance and Accounts Department, examined various aspects relating to Sales Tax and Agricultural Income Tax matters and appropriate advice were given.

Internal Audit

The Internal Audit Division is headed by the Internal Audit Officer under the functional control of Director (Finance). It is an important tool of the Chairman to ascertain the state of affairs and the conditions of the working of different Departments/Divisions/Sections/Offices/ Establishments and for setting matters right by taking prompt remedial measures. The Division assists various Departments in discharging their functions more effectively. The Internal Audit Division also undertakes the liaison work for the audit of the Accounts of the Board by Accountant General (Audit), Kerala.

During the period under report Internal Audit/ Inspection was conducted in 52-offices/ establishment of the Board.

Electronic Data Processing

The Electronic Data Processing Division looks after procurement and maintenance of Hardware/ Software requirements of all the Departments of the Board.

PART IX

Rubber Board



LICENSING & EXCISE DUTY

The Rubber Board is vested with powers of assessment and collection of duty of excise (cess) on all rubber produced in India under Section 12 of the Rubber Act 1947. The cess so collected reduced by the cost of collection, is remitted to the Consolidated Fund of India. Transactions in natural rubber are regulated by licences issued under Section 14 of the Rubber Act 1947. Board is vested with the powers of issuing licences under Section 14 of the Rubber Act 1947. Interstate transport of rubber is also regulated by a declaration in Form 'N' prescribed under Rule 43 of the Rubber Rules 1955. Inspections are conducted periodically to verify the correctness of the books of accounts maintained by the rubber dealers, processors and manufacturers of rubber products in respect of the rubber acquired, disposed and stock held by them.

These functions are monitored/discharged by the Licensing and Excise Duty Department of the Rubber Board which consists of Excise Duty Division, Licensing Division and Market Intelligence Division. The functions discharged by these Divisions are summarized below:

EXCISE DUTY DIVISION

The issuance of licence to manufacturers to acquire rubber, assessment of the duty of excise (cess) on rubber, its collection and remittance to the Consolidated Fund of India, are the important functions attended to by the Excise Duty Division.

Issuance of Licence

Issue of Licence for the year 2003-04

The function of issue of licence includes the work of issue of new licences to prospective manufacturing units and renewal of the existing licence for the subsequent year. The details of

licences issued during 2003-04 are furnished below.

Fresh Licence	: 241 Nos
Renewal of Licence	: 4559 Nos.
Total	4800 Nos.

During the period, licences in respect of 9 units were cancelled on the basis of request. The total number of licensed manufacturers as at the end of 31.3.2004 was 4791. The state-wise distribution of licensed manufacturers as at the end of 31st March 2004 is detailed hereunder:-

Name of State/Union Territory	Number of units
Kerala	851
Maharashtra	563
Tamilnadu	483
Punjab	478
Uttar Pradesh	419
West Bengal	409
Gujarat	368
Haryana	324
Delhi	206
Karnataka	194
Andhra Pradesh	160
Rajasthan	109
Madhya Pradesh	67
Pondicherry	30
Jharkand	25
Goa	18
Dadra & Nagarhaveli, Daman & Diu	15
Orissa	12
Uttaranchal	11
Chandigarh	10
Chhattisgarh	10
Assam	9
Himachal Pradesh	8
Jammu & Kashmir	7
Tripura	3
Bihar	2
Total	4791



The Division prepared the list of licensed manufacturers for reference to the various offices of the Rubber Board, Rubber Dealers and other public.

Renewal of Licence for the year 2004-05

During the period, the licences in respect of 2999 manufacturers were renewed for the year 2004-05.

Registration of letter of authorization to purchase rubber by agent / dealers on behalf of manufacturers

828 letters of authorization were registered during 2003-04.

Letter of authorisation to purchase rubber

During the year, special authorization to 8 organizations/ institutions to acquire rubber for experimental purposes were issued in lieu of regular licences after collecting the cess in advance.

Assessment and collection of Duty of Excise (Cess) on Rubber

The total amount of cess on rubber assessed during 2003-04 was Rs.8797 lakh against Rs.8206 lakh during 2002-03. The duty of excise (cess) on rubber collected during the period under report was Rs.8501 lakh against Rs.8204 lakh collected during the previous year. The total number of half yearly returns (Form 'M') collected from the manufacturers during the year was 9836. The Liaison Officers and the Inspecting Staff functioning at various parts of the country had furnished 2179 individual inspection reports, on which appropriate actions were taken/initiated.

The total amount of licence fee and service charges collected from the manufacturers during 2003-04 was Rs.9,59,631/-. Besides a sum of Rs.16 lakh was collected towards interest on belated remittance of cess.

LICENSING DIVISION

Licensing of rubber dealers and processors and registration of their branches and agents, initiation of punitive action against erring dealers and processors are the main functions of the Licensing Division situated at Kochi.

Licensing of Dealers

1185 new licences were issued during the year for a period of three years. 1985 licences were renewed during the period under report for a period of five years. The total number of licensed dealers as on 31.3.2004, was 9842. Of this, 8737 were in Kerala.

State-wise distribution of licensed dealers

Name of State/Union Territory	Number
Kerala	8737
Tamilnadu	195
Punjab	152
Tripura	119
Karnataka	118
Delhi	112
Maharashtra	105
West Bengal	71
Uttar Pradesh	65
Haryana	42
Gujarat	40
Assam	24
Rajasthan	21
Meghalaya	15
Andhra Pradesh	6
Chandigarh	4
Pondicherry	4
Nagaland	3
Jharkhand	3
Madhya Pradesh	2
Goa	2
Chattisgarh	1
Andaman & Nicobar Islands	1
Total :	9842



District-wise Distribution of dealers in Kerala

Name of District	No. of Dealers
Kottayam	2205
Kollam	1256
Ernakulam	1093
Pathanamthitta	1081
Thiruvananthapuram	796
Kannur	445
Malappuram	431
Idukki	394
Palakkad	368
Kozhikode	190
Alappuzha	168
Thrissur	167
Kasargod	86
Wynad	57
Total	8737

Licensing of Processors

The total number of Licensed Processors as on 31st March 2004 was 130. 35 Processors' licences were also renewed for the period 2004-2009.

Suspension/revocation/cancellation of license of dealers and Processors

During the year, 67 dealers' licences and one processor's license were cancelled. The licences of 11 dealers were suspended for violation of the provisions of the Rubber Act and Rules. The licences of 209 dealers were cancelled.

Registration of Branches and Agencies

During the year under report, 370 branches of dealers were registered making the total number of branches of dealers at 987 as on 31st March 2004. Besides, 353 letters of authorization were also registered during the year.

MARKET INTELLIGENCE DIVISION

Market Intelligence Division is functioning as an effective system to prevent evasion of cess

on rubber. The important functions of MI Division are –

- Inspection of business premises of rubber dealers and verification their accounts and records for the purpose of ascertaining the correctness of the statement and returns etc. submitted to the Board.
- Conducting inspections to ascertain the genuineness of application for licence to deal in rubber, registration of branches etc.
- Detection of bogus and unlicensed dealers and adoption of steps to prevent malpractices in rubber trade including malpractices in grading.
- Cross verification of the statutory returns filed by dealers/manufacturers and processors for ascertaining the correctness of the transactions reported by them.
- Surprise checking on movement of rubber through different modes of transport, with a view to preventing evasion of cess on rubber.
- Strengthening the surveillance on interstate movement of rubber at the commercial tax checkpoints at Walayar & Manjeswaram in Kerala and Kavalkinar in Tamilnadu.

The functions discharged by the Division are briefly shown below.

Activities of Inspection Squad

- The inspection squad which functioned at Kochi, Kottayam and the Inspectors (Market Intelligence) at Palakkad, Thaliparamba and Marthandam helped to a great extent in arresting illicit trade in rubber and thereby improve the cess collection. The inspection also helped in collecting monthly returns from a large number of delinquent rubber dealers.
- During the period under report, the squad/ Inspectors (MI) inspected the business premises of 1454 licensed dealers and 126



The Division prepared the list of licensed manufacturers for reference to the various offices of the Rubber Board, Rubber Dealers and other public.

Renewal of Licence for the year 2004-05

During the period, the licences in respect of 2999 manufacturers were renewed for the year 2004-05.

Registration of letter of authorization to purchase rubber by agent / dealers on behalf of manufacturers

828 letters of authorization were registered during 2003-04.

Letter of authorisation to purchase rubber

During the year, special authorization to 8 organizations/ institutions to acquire rubber for experimental purposes were issued in lieu of regular licences after collecting the cess in advance.

Assessment and collection of Duty of Excise (Cess) on Rubber

The total amount of cess on rubber assessed during 2003-04 was Rs.8797 lakh against Rs.8206 lakh during 2002-03. The duty of excise (cess) on rubber collected during the period under report was Rs.8501 lakh against Rs.8204 lakh collected during the previous year. The total number of half yearly returns (Form 'M') collected from the manufacturers during the year was 9836. The Liaison Officers and the Inspecting Staff functioning at various parts of the country had furnished 2179 individual inspection reports, on which appropriate actions were taken/initiated.

The total amount of licence fee and service charges collected from the manufacturers during 2003-04 was Rs.9,59,631/-. Besides a sum of Rs.16 lakh was collected towards interest on belated remittance of cess.

LICENSING DIVISION

Licensing of rubber dealers and processors and registration of their branches and agents, initiation of punitive action against erring dealers and processors are the main functions of the Licensing Division situated at Kochi.

Licensing of Dealers

1185 new licences were issued during the year for a period of three years. 1985 licences were renewed during the period under report for a period of five years. The total number of licensed dealers as on 31.3.2004, was 9842. Of this, 8737 were in Kerala.

State-wise distribution of licensed dealers

Name of State/Union Territory	Number
Kerala	8737
Tamilnadu	195
Punjab	152
Tripura	119
Karnataka	118
Delhi	112
Maharashtra	105
West Bengal	71
Uttar Pradesh	65
Haryana	42
Gujarat	40
Assam	24
Rajasthan	21
Meghalaya	15
Andhra Pradesh	6
Chandigarh	4
Pondicherry	4
Nagaland	3
Jharkhand	3
Madhya Pradesh	2
Goa	2
Chattisgarh	1
Andaman & Nicobar Islands	1
Total :	9842

District-wise Distribution of dealers in Kerala

Name of District	No. of Dealers
Kottayam	2205
Kollam	1256
Ernakulam	1093
Pathanamthitta	1081
Thiruvananthapuram	796
Kannur	445
Malappuram	431
Idukki	394
Palakkad	368
Kozhikode	190
Alappuzha	168
Thrissur	167
Kasargod	86
Wynad	57
Total	8737

Licensing of Processors

The total number of Licensed Processors as on 31st March 2004 was 130. 35 Processors' licences were also renewed for the period 2004-2009.

Suspension/revocation/cancellation of license of dealers and Processors

During the year, 67 dealers' licences and one processor's license were cancelled. The licences of 11 dealers were suspended for violation of the provisions of the Rubber Act and Rules. The licences of 209 dealers were cancelled.

Registration of Branches and Agencies

During the year under report, 370 branches of dealers were registered making the total number of branches of dealers at 987 as on 31st March 2004. Besides, 353 letters of authorization were also registered during the year.

MARKET INTELLIGENCE DIVISION

Market Intelligence Division is functioning as an effective system to prevent evasion of cess

on rubber. The important functions of MI Division are –

- Inspection of business premises of rubber dealers and verification their accounts and records for the purpose of ascertaining the correctness of the statement and returns etc. submitted to the Board.
- Conducting inspections to ascertain the genuineness of application for licence to deal in rubber, registration of branches etc.
- Detection of bogus and unlicensed dealers and adoption of steps to prevent malpractices in rubber trade including malpractices in grading.
- Cross verification of the statutory returns filed by dealers/manufacturers and processors for ascertaining the correctness of the transactions reported by them.
- Surprise checking on movement of rubber through different modes of transport, with a view to preventing evasion of cess on rubber.
- Strengthening the surveillance on interstate movement of rubber at the commercial tax checkpoints at Walayar & Manjeswaram in Kerala and Kavalkinar in Tamilnadu.

The functions discharged by the Division are briefly shown below.

Activities of Inspection Squad

- The inspection squad which functioned at Kochi, Kottayam and the Inspectors (Market Intelligence) at Palakkad, Thaliparamba and Marthandam helped to a great extent in arresting illicit trade in rubber and thereby improve the cess collection. The inspection also helped in collecting monthly returns from a large number of delinquent rubber dealers.
- During the period under report, the squad/ Inspectors (MI) inspected the business premises of 1454 licensed dealers and 126



unlicensed dealers. Irregularities in 391 cases involving unaccounted stock/irregular sales, shortage etc. to the tune of 1546 tonnes were detected. A sum of Rs. 24,71,269/- was also collected towards cess on rubber from the cases involved. The Squad also conducted 555 road checking, 67 surprise visits to checkpoints, 15 visits to Railway Parcel Offices and border areas. These inspections helped in arresting illicit movement of rubber consignments to a great extent.

- Special attention was also given for scrutiny of inspection reports, Form N declarations/ daily statement from checkpoints and wherever irregular dispatches were made such cases were timely referred to Liaison Officers/Inspectors (MI Squad) for arranging inspection. On the basis of serious irregularities detected, the licence of 9 dealers were suspended. A sum of Rs. 5,72,784/- was also collected towards cess involved in the above cases.

Checkposts/Interstate movement of rubber

- In order to strengthen surveillance of interstate movement of rubber, regular checking of the documents accompanying the rubber consignments were done at the three commercial checkpoints at Walayar in Palakkad District and Bengra Manjeswaram in Kasargode District of Kerala and Kavalkinar in Thirunelveli District of Tamilnadu.
- The surveillance exercised through the three checkpoints helped in detecting illicit transport of rubber. During the period under report, the officials at Walayar, Manjewaram and Kavalkinar checkpoints detained 161 consignments of rubber for various lapses and were allowed to cross the border on production of valid documents/ satisfactory explanation/remittance of cess. A sum of

Rs. 6,62,846/- was collected towards security deposit equivalent to the cess involved on the quantity as the consignors failed to produce proper evidence/explanation for the lapses. Moreover, the Board's officials at the checkpoint/Inspectors (Market Intelligence) rendered necessary assistance to the Commercial Tax/Police officials when necessary information was sought by them for disposing of suspicious consignments detained by them. The Squad detected clandestine transport of rubber and collected Rs.10,02,666/-.

- During the period under report, as per daily statement received from the three checkpoints 42,038 consignments of rubber had passed through these check posts.

1. Walayar Checkpost	:	23493
2. Manjeswaram	:	9665
3. Kavalkinar	:	8880
Total	:	42038

- During 2003-04, 16500 books of Form 'N' declarations under different categories were got printed and 15323 form N books were supplied to various estates, processors, dealers and manufacturers. 62823 Nos of Form N declarations were received at Market Intelligence Division and most of the same were scrutinized. Wherever discrepancies were noticed, explanation/clarifications were obtained for from the concerned parties and appropriate action taken.

Cross checking of monthly returns

- The monthly returns and copies of Form N declarations received from various dealers/ manufacturers/processors/estates were cross checked at random and detected discrepancies in 260 cases. A sum of Rs.46,40,519/- was also realized in the case of irreconcilable transactions.



- Thus on account of special efforts put in by Inspection Squad, the checkpoint machinery and crosschecking etc. a total amount of Rs.1,05,26,981/- could be collected towards cess during the year 2003-04 as against Rs.46,50,002/- collected during 2002-03.

SUB OFFICES / LIAISON OFFICES

With a view to improve collection of cess on rubber and to maintain liaison with various Ministries, trade and industry, Board maintains 9 Sub Offices in the major rubber consuming centres at Chennai, Bangalore, Secunderabad, Ahmedabad, Kanpur, Mumbai, Kolkata, Jalandhar and New Delhi. Their functions include assessment of the suitability of applicants who apply for licences to deal in rubber/acquire rubber

for rubber goods manufacturing and pursue collection of cess on rubber and returns from the manufacturers and dealers. The purchases made by the rubber goods manufacturers and dealers and stock held by them were verified at random. Verifications of the books of accounts and records of the dealers and manufacturers were also done to ensure that all rubber procured by them were properly accounted and subjected to assessment of cess and that the transactions reported in their returns submitted to the Board are true and correct. Surprise inspections were conducted to detect unlicensed dealing in rubber and manufacturing of rubber goods in contravention of the provisions of the Rubber Act and Rules in order to prevent loss of revenue towards cess.



PART X

STATISTICS AND PLANNING

GENERAL STATISTICS

The activities undertaken by the S&P Department during the period April 2003 to March 2004 included regular monitoring of the data on supply, demand, stock and price of natural rubber and presenting them to the Board and the government. Demand-Supply position of natural rubber was reviewed periodically by the Board which met on 29/5/03, 19/7/03, 30/11/03 and 29/03/2004. For discussions in these meetings, notes supplemented with statistical data reflecting the current and future scenarios in the NR sector were prepared by the Department.

The statutory monthly returns collected every month from rubber growers, dealers, processors and manufacturers were compiled and analysed. In order to ascertain the monthly variation in production and stock in the small rubber holding sector, sample studies were continued. The data collected from various sources were compiled and production, consumption, import and stock of rubber were worked out on monthly basis. The required statistical information for publishing the 'Rubber Statistical News' (monthly) was prepared. This publication covered trend in production, consumption, stock, import/export of natural rubber, synthetic rubber and reclaimed rubber, price of natural rubber and many other details. Board published Indian Rubber Statistics Vol.26, 2003 in June 2003. The publication covered detailed information on area under rubber, and production, consumption, import, export, price etc of natural, synthetic and reclaimed rubber, manufacturers, dealers, rubber products, labour, etc besides world rubber statistics.

The Department furnished relevant statistical information to the Government and various

organizations connected with the rubber industry. For answering Parliament questions and Legislative Assembly questions pertaining to import/export, production, price etc of rubber and the various aspects of rubber industry, necessary materials were furnished.

To ascertain the production of various grades of rubber, installed capacity, etc during 2002-2003, annual reports were collected from processors of centrifuged latex, block rubber, PLC and crepe mills. Annual returns relating to the year 2002-2003 were collected from manufacturers of rubber products to work out consumption of rubber according to end products. Classification of manufacturers according to consumption, state-wise consumption of NR, SR, RR were prepared from the monthly returns collected from manufacturers. Annual returns from large growers were also collected in order to compile various statistical data.

PLANNING

Annual Plan proposals for 2004-05 on natural rubber were prepared and presented to the Govt. for approval. A comprehensive note on achievements of the Board and review of rubber plantation industry was prepared and presented to the Government.

Action Plan for 2003-04 was prepared and Quarterly Review Reports were regularly prepared and submitted.

SUPPLY OF INFORMATION TO WORLD ORGANIZATIONS

The S&P Department continued to supply information about the NR industry in India to world organizations like the Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Kuala



Lumpur, Malaysia and International Rubber Study Group (IRSG), London.

On behalf of the Govt. of India, Chairman, Rubber Board participated in the IRRDB meeting at Chiangmai in Thailand in September, '03, 27th meeting of the ANRPC Executive Committee in

Malaysia in September, '03 and Xth Meeting of the ANRPC Co-ordinating Committee on Production and Marketing Strategies in Malaysia in February, '04. Joint Director (S&P) also participated in the 12th meeting of the ANRPC Committee on NR Statistics held at Colombo in November, '03.



PART XI

STATISTICAL TABLES

Table-1 PRODUCTION, IMPORT, EXPORT & CONSUMPTION OF NR

(Tonnes)

Month	Production	Import*	Export	Consumption (Indigenous & imported)
April 2003	45580	815	1180	54130
May "	49960	6095	1244	58095
June "	47035	4519	1898	60275
July "	49485	5377	3046	61450
August "	56950	8186	5461	61205
September "	64815	3651	7197	60310
October "	71290	2295	8232	58325
November "	85325	1129	10814	61405
December "	88450	1056	6346	63205
January 2004	77545	2457	6337	61175
February "	36455	2848	10410	59825
March "	38760	5771	13740	60200
Total	711650	44199	75905	719600

* Source: DGCI & S, Calcutta.

Table-2 STOCK OF NATURAL RUBBER AT THE END OF EACH MONTH

(Tonnes)

Month	Growers, dealers & processors	Manufacturers	Total
April 2003	61010	49725	110735
May "	61255	43740	104995
June "	55550	42830	98380
July "	54060	33060	87120
August "	51270	32490	83760
September "	54765	28275	83040
October "	61075	28320	89395
November "	71720	31320	103040
December "	84930	38410	123340
January 2004	92675	43465	136140
February "	60770	44390	105160
March "	30660	46635	77295


Table-3 PRODUCTION,IMPORT& CONSUMPTION OF SYNTHETIC RUBBER

(Tonnes)

Month	Production*	Import**	Consumption
April 2003	6040	13417	
May "	6548	10894	15030
June "	5687	13068	16660
July "	7883	11844	16795
August "	7029	14187	17210
September "	8402	16518	17515
October "	6954	14923	17625
November "	7797	16316	17540
December "	7780	17965	18355
January 2004	8551	15270	18865
February "	7563	18778	18820
March "	8132	6950@	17530
Total	88366	170130	210190

* Provisional

** Source:DGCI & S, Calcutta.

@: estimated.

Table-4 PRODUCTION & CONSUMPTION OF RECLAIMED RUBBER

(Tonnes)

Month	Production*	Consumption
April 2003	5305	5265
May "	5695	5645
June "	5735	5695
July "	5915	5880
August "	5960	5930
September "	6210	6165
October "	6270	6220
November "	6215	6185
December "	6190	6140
January 2004	6015	5950
February "	5625	5570
March "	5855	5815
Total	70990	70460

* Indigenous purchase by manufacturers

**Table-5 MONTHLY AVERAGE PRICE OF VARIOUS GRADES OF NATURAL RUBBER IN INDIA**

(Rs/Quintal)


Month	RSS 1	RSS 2	RSS 3	RSS 4	RSS 5	ISNR 5	ISNR 10	ISNR 20	ISNR 50
April 2003	5467	5367	5267	5074	4943	5313	5213	5023	4852
May ..	5175	5075	4975	4851	4749	4979	4879	4695	4577
June ..	5176	5076	4976	4829	4719	5064	4964	4765	4660
July ..	4815	4735	4635	4453	4286	4694	4594	4282	4194
August ..	5024	4924	4824	4693	4490	4802	4702	4404	4302
September ..	5152	5052	4952	4849	4655	4923	4823	4533	4417
October ..	5494	5394	5294	5155	4978	5296	5196	5002	4802
November ..	5716	5616	5516	5346	5148	5598	5498	5260	5062
December ..	5659	5559	5459	5315	5092	5556	5456	5156	5031
January 2004	5510	5410	5310	5153	5014	5475	5375	5071	4958
February ..	5587	5487	5387	5192	5087	5502	5402	5130	5013
March ..	5944	5844	5744	5567	5436	5800	5700	5489	5378
YEARLY AVERAGE	5393	5295	5195	5040	4883	5250	5150	4901	4771

Table-6 MONTHLY AVERAGE PRICE OF VARIOUS GRADES OF NATURAL RUBBER IN BANGKOK MARKET

(Rs/Quintal)

Month	RSS 1	RSS 2	RSS 3	RSS 4	RSS 5	STR 5	STR 10	STR 20
April 2003	4882	4816	4755	4722	4673	4429	4351	4307
May ..	4757	4690	4628	4595	4545	4232	4154	4110
June ..	4915	4848	4786	4752	4702	4302	4224	4179
July ..	4717	4651	4590	4556	4507	4185	4107	4063
August ..	4890	4823	4763	4730	4680	4476	4398	4354
September ..	5162	5095	5032	4998	4948	4932	4852	4807
October ..	5874	5800	5737	5703	5651	5938	5756	5735
November ..	6085	6017	5954	5920	5869	5748	5673	5625
December ..	5793	5724	5661	5627	5575	5757	5678	5631
January 2004	5806	5736	5672	5637	5585	5665	5584	5538
February ..	5878	5809	5745	5710	5658	5729	5652	5606
March ..	6139	6071	6008	5974	5923	5989	5909	5863
YEARLY AVERAGE	5408	5340	5278	5244	5193	5115	5028	4985

LIST OF MEMBERS OF THE RUBBER BOARD AS ON 31.03.2004



- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Shri S Maria Desalphine, IAS | Chairman, Rubber Board |
| 2 | Shri Ettumanoor Radhakrishnan,
Vice-Chairman, Raghavamandiram,
Onamthuruth PO
Via. Kaippuzha – 686 602.
Ettumanoor, Kottayam Dist. | Representative of Other Interests under clause
(d) of sub section (3) of section 4 of the Rubber
Act 1947. |
| 3 | Shri Vayalar Ravi,
Hon'ble Member of Parliament,
AICC General Secretary,
AICC Office, 24, Akbar Road,
New Delhi - 110 011. | Member of Parliament under clause (e) of sub-
section (3) of section 4. |
| 4 | Secretary to Government,
Environment & Forest Dept,
Govt. of Tamilnadu, Chennai – 9. | Representative of Govt. of Tamilnadu under
clause (b) of sub-section (3) of section 4. |
| 5 | Agrl. Production Commissioner,
Govt. of Kerala, Govt. Secretariat,
Thiruvananthapuram – 695 001. | Representative of Govt. of Kerala under clause (c)
of sub-section (3) of section 4. |
| 6 | Commissioner & Secretary,
Dept. of Tribal Welfare,
(Dept. dealing with Plantation)
Govt. of Tripura, Agartala. | Representative of Other Interests under clause
(d) of sub section (3) of section 4. |
| 7 | Shri Raghupathi Singhanian,
Managing Director,
JK Industries Ltd., Link House,
Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi - 110 002. | Representative of Rubber Goods Manufacturers
under clause (d) of sub- section (3) of section 4. |
| 8 | Shri A Jacob, FCA
Managing Director,
Velimala Rubber Co. Ltd.,
Oppoottil Buildings
KK Road, Kottayam – 686 001. | Representative of large grower from the State of
Kerala under clause (c) of sub- section (3) of
section 4. |
| 9 | Shri K Jacob Thomas,
Managing Director,
M/s. Vaniampara Rubber Co. Ltd.,
Vazhakala Building, KK Road,
Kottayam – 686 001. | Representative of large grower from the State of
Kerala under clause (c) of sub-section (3) of
section 4. |



- 10 Shri MD Joseph,
Manniparambil,
Kanjirappally - 686 507.
Representative of large grower from the State of Kerala under clause (c) of sub-section (3) of section 4.
- 11 Shri S Ramachandran,
Director,
Vaikundam Plantations Ltd.,
PB No.1004, Geetha Vihar,
2/3309, Chalakuzhy Road,
Pattom Palace PO,
Thiruvananthapuram - 695 004.
Representative of large grower from the State of Tamilnadu clause (b) of sub-section (3) of section 4.
- 12 Prof. KK Abraham,
Chairman,
Indian Block Rubber Producers' Association,
Kayathinkara
Marthoma Church Road, Pala.
Representative of Other Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
- 13 Shri C Ananthakrishnan,
Puthen Veedu,
Veeyannoor PO, Thiruvattar (Via),
Nagercoil, Kanyakumari Dist.
Representative of Labour Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
- 14 Adv. P Lalaji Babu,
Lalee Vilas, Bharatheepuram PO,
Kollam Dist., Kerala.
Representative of Labour Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
- 15 Shri Kanam Rajendran,
Kochukala Purayidom,
Kanam PO,
Kottayam - 686 515.
Representative of Labour Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
- 16 Shri PB Sathyan,
Plavada Kochuveedu,
South Vazhakulam PO,
Aluva - 683 105.
Representative of small growers from the State of Kerala under clause (c) of sub-section (3) of section 4.
- 17 Shri PR Muralleedharan,
Pathalil House,
SN Puram PO, Pampady,
Kottayam - 686 502.
Representative of small growers from the State of Kerala under clause (c) of sub-section (3) of section 4.
- 18 Managing Director,
Plantation Corporation of Kerala Ltd.,
Kottayam - 686 004.
Representative of Govt. of Kerala under clause (c) of sub-section (3) of section 4.
- 19 Shri Thomaskutty,
Paragon Rubber Industries,
45A, 2nd Phase,
Peenya Industrial Area,
Bangalore - 560 058.
Representative of Rubber Goods Manufacturers under clause (d) sub-section 3 of section 4.



- 20 Adv. MS Karunakaran,
BMS Office, Manjamattathil,
Opp.Railway Station
Kottayam.
- 21 Adv. Ashokavanam Chandrasenan
Gowreesam,
Edaikodu PO – 629 152
Kanyakumari Dist., Tamil Nadu.
- 22 Shri Georgekutty Augusthy,
Cheeramkunel House,
Inchiyani PO, Parathode
Kottayam – 686 512.
- 23 Dr. AK Krishnakumar,
Rubber Production Commissioner,
Rubber Board, Kottayam-2.

Representative of Labour Interests under clause
(d) of sub-section (3) of section 4.

Representative of Other Interests under clause (d)
of sub-section (3) of section 4.

Representative of small growers from the State
of Kerala under clause (c) of sub-section (3) of
section 4.

Ex-officio member as per clause (f) of sub section
(3) of section 4.